लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

(3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक)
May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka))

Preservation 27-5-92
Fumigated 20-12-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

(खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 54, गुरुवार, 6 मई, 1965/16 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1200	विदेशों में जीवन बीमा की समस्याओं का अध्ययन	5171—73
1202	जलरोध . . .	5173—76
1204	दामोदर घाटी निगम	5176—79
1205	दिल्ली में मूर्तियां लगाना	5179—85
1206	उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले .	5185—87
1207	विदेशी मुद्रा बैंकों में भारतीयकरण . . .	5187—89
1208	चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का लोकोमोटिवों से बरामद होना	5189—90

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
1198	दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां	5190—91
1199	अमरीकी ऋण पर ब्याज	5191
1201	महात्मा गांधी की समाधि	5191—92
1203	नर्मदा जल का विकास	9192
1209	भारत सेवक समाज	5192—93
1210	नेहरू स्मारक सिक्के . .	5193
1211	दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को हटाना	5193—94
1212	केन्द्रीय स्वास्थ्य संगठन . .	5194
1213	जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यवसाय	5194—95
1214	पानी का दूषित होना	5195
1215	यूनिट ट्रस्ट . .	5195—96
1216	विदेश जाने वाले भारतीय डाक्टर	5196
1217	लोदी हाउस, दिल्ली . .	5196
1218	बम्बई में सरकारी कर्मचारी को छुरा मारना	5196—97
1219	राज्यों के घाटे के आयव्ययक .	5197
1220	शहरी क्षेत्रों का विकास	5198
1221	यमुना जल का दूषित होना	5198

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 54—Thursday, May 6, 1965/Vaisakha 16, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
1200.	Study of life Insurance Problems Abroad	5171–73
1202.	Water Logging	5173–76
1204.	D.V.C.	5176–79
1205.	Installation of Statues in Delhi	5179–85
1206.	Eastern Districts of U.P.	5185–87
1207.	Indianisation in Foreign Exchange Banks	5187–89
1208.	Recovery of Smuggled Goods from Locomotives	5189–90

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1198.	Chit Fund Companies in Delhi	5190-91
1199.	Interest on U.S. Loans	5191
1201.	Mahatma Gandhi's Samadhi	5191–92
1203.	Development of Narbada Waters	5192
1209.	Bharat Sewak Samaj	5192–93
1210.	Nehru Commemorative Coins	5193
1211.	Shifting of Government Offices from Delhi	5193–94
1212.	Central Health Organisation	5194
1213.	Business transacted by L.I.C.	5194–95
1214.	Water Pollution	5195
1215.	Unit Trust	5195–96
1216.	Indian Doctors going abroad	5196
1217.	Lodi House, Delhi	5196
1218.	Stabbing of Govt. Official in Bombay	5196–97
1219.	Deficit Budget of States	5197
1220.	Development of Urban Areas	5198
1221.	Pollution of Jamuna Water	5198

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1222	अमरीकी पर्यटकों का व्यय .	5198—99
1223	शाहदरा, दिल्ली के विस्थापित व्यक्ति	5199

अतारांकित प्रश्न संख्या		
3147	उत्तर प्रदेश में जलरोध .	5199—5200
3148	परिवार नियोजन क्लिनिक .	5200
3149	मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाना . .	5200
3150	परियारम तपेदिक आरोग्य आश्रम (सेनीटोरियम)	5200—01
3151	एर्नाकुलम जल निस्सारण योजना	5201
3152	केरल में भूमि न्यायाधिकरण . .	5201—02
3153	केरल में तपेदिक आरोग्य आश्रम (सेनीटोरियम)	5202
3154	बिहार में ग्रामीण आवास	5202—03
3155	ग्रामीण बचत	5203
3156	आयुर्वेद का विकास .	5203—04
3157	कालीकट चिकित्सा कालेज अस्पताल .	5204
3158	ब्रिटेन तथा अमरीका द्वारा पूंजी विनियोजन	5205
3159	राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा	5205
3160	नये नोट .	5205—06
3161	चण्डीगढ़ में रिहायशी मकान . . .	5206
3162	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का लोक निर्माण विभाग	5206—07
3163	बाढ़ आपात के लिये आर्मी यूनिट	5207
3164	इर्विन अस्पताल के रोगी . . .	5207
3165	साम्यवादी प्रोपेगण्डा साहित्य का चोरी छिपे आना	5207—08
3166	प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन	5208
3167	उड़ीसा में पंचायत समिति उद्योग	5208—09
3168	प्राकृतिक उपचार केन्द्र . .	5209—10
3169	उड़ीसा में भारत के राज्य बैंक की शाखा . .	5210—11
3170	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	5211
3171	राज्यों में मानसिक रोगियों का सर्वेक्षण	5211—12
3172	छिपे धन का निर्धारण .	5212
3173	मुख्य मूल्यांकन अधिकारियों का पद . .	5212—13
3174	सीमा-शुल्क विभाग में मूल्यांकन अधिकारी (अपेक्षर)	5213
3175	विद्युत् शक्ति सर्वेक्षण समिति	5213
3176	पोरबन्दर पर तस्कर व्यापार . .	5213—14
3177	इस्पात कारखानों को विश्व बैंक से सहायता	5214—15
3178	सीमा-शुल्क की चोरी	5215

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1222.	American Tourist Traffic Expenses .	5198–99
1223.	Uprooted Persons of Shahdara, Delhi	5199

Unstarred Questions Nos.		
3147.	Water-Logging in U.P.	5199–5200
3148.	Family Planning Clinic . .	5200
3149.	Rural Electrification in Mysore State	5200
3150.	Pariyaram T.B. Sanatorium	5200–01
3151.	Ernakulam Drainage Scheme	5201
3152.	Land Tribunals in Kerala	5201–02
3153.	T.B. Sanatorium in Kerala	5202
3154.	Rural Housing in Bihar	5202–03
3155.	Rural Savings	5203
3156.	Development of Ayurveda . .	5203–04
3157.	Calicut Medical College Hospita	5204
3158.	Investment by U.K. and U.S.A.	5205
3159.	National Consumer Service	5705
3160.	New Currency Notes	5205–06
3161.	Residential Accommodation in Chandigarh	5206
3162.	P.W.D. Andman and Nicobar Islands	5206–07
3163.	Army Units for Flood Emergency	5207
3164.	Patients iof Irwin Hospital	5207
3165.	Smuggling of Communist Propaganda Literature	5207–08
3166.	Study of Administrative Procedures	5208
3167.	Panchayat Samiti Industries in Orissa	5208–09
3168.	Nature Cure Centres . . .	5209–10
3169.	State Bank of India Branches in Orissa . .	5210–11
3170.	Quarters for Central Excise Department Employees n Orissa	5211
3171.	Survey of Mental Patients in State	5211–12
3172.	Assessment of Unaccounted Money .	5212
3173.	Principal Appraisers' Posts .	5212–13
3174.	Appraisers in Customs Department	5213
3175.	Electric Power Survey Committee	5213
3176.	Smuggling at Porbundar .	5213–14
3177.	World Bank Aid to Steel Plants	5214–15
3178.	Evasion of Customs Duty	5215

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3179	बिहार में निम्न आय वर्ग आवास योजना	5215–16
3180	औद्योगिक विकास बैंक	5216
3181	राजस्थान नहर परियोजना	5216–17
3182	पश्चिमी कोसी नहर	5217
3183	काला धन	5217
3184	उज्जैन में छापे	5217–18
3186	परिवहन के साधनों में पूंजी विनियोजन	5218–19
3187	भू-स्वामित्व सम्बन्धी समान कानून	5219
3188	दिल्ली में फोर्ड प्रतिष्ठान को दी गई जमीन	5219–20
3189	राज्य होम्योपैथी बोर्ड	5220
3190	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति	5220
3191	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	5220–21
3192	ऊपरी कृष्णा परियोजना	5221
3193	राजोलीबन्द मोड़ योजना	5221–22
3194	तुंगभद्रा के बायें तट की नहर	5222
3195	ऊंची सतह वाली तुंगभद्रा परियोजना नहर	5222
3196	विद्युत् परियोजनाओं की जांच-पड़ताल	5222
3197	दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल	5223
3198	दुर्गापुर की नहर	5223–24
3199	नई दिल्ली में मथुरा रोड तथा राऊज एवन्यू पर सम्पत्ति	5224
3200	भारवाड़ के लिये पाने का पानी	5224
3201	अखिल भारतीय महापौर (मेयर) परिषद्	5225
3202	निर्यात के लिये कर-समंजन प्रमाण-पत्र योजना	5225
3203	बिजली के मीटरों के लिये नकद जमानत	5226
3204	भारत सेवक समाज	5226
3205	दिल्ली में जल संभरण	5226
3206	भारतीय सिक्कों का तस्कर व्यापार	5227
3207	सिंचाई तथा जल-विद्युत् परियोजनायें	5227–28
3208	ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण	5228–29
3209	पीने के पानी का सम्भरण	5229
3210	वित्त मंत्री का उत्तर प्रदेश का दौरा	5229
3211	गंदी बस्ती सफाई योजनायें	5230
3212	चिकित्सा कालेजों के लिये अध्यापक	5231
3213	बैंकों द्वारा व्यापार गृहों को पेशगी	5231
3215	बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना	5232
3216	पंजाब में नलकूपों के लिये बिजली की व्यवस्था	5232
3217	योग आश्रम, नई दिल्ली	5232–33

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
3179.	Low Income Group Housing in Bihar	5215–16
3180.	Industrial Development Bank.	5216
3181.	Rajasthan Canal Project .	5216–17
3182.	Western Kosi Canal	5217
3183.	Unaccounted Money	5217
3184.	Raids in Ujjain . .	5217–18
3186.	Profits from Investment in Transport	5218–19
3187.	Uniform Legislation on Ownership of Land	5219
3188.	Plot Allotted to Ford Foundation in Delhi	5219–20
3189.	State Homoeopathic Boards .	5220
3190.	Homeopathic System of Medicine . . .	5220
3191.	All-India Institute of Medical Sciences .	5220–21
3192.	Upper Krishna Project . . .	5221
3193.	Rajolibunda Diversion Scheme .	5221–22
3194.	Tungabhadra Left Bank Canal . .	5222
3195.	Tungabhadra Project High Level Canal . .	5222
3196.	Investigation of Power Projects . .	5222
3197.	Delhi Cloth and General Mills . .	5223
3198.	Durgapur Canal	5223–24
3199.	Properties on Mathura Road and Rouse Avenue, New Delhi	5224
3200.	Drinking Water for Dharwar . .	5224
3201.	All India Mayors' Council . . .	5225
3202.	Tax Credit Certificate Scheme for Exports .	5225
3203.	Cash Security for electric meters .	5226
3204.	Bharat Sewak Samaj .	5226
3205.	Water Supply in Delhi . .	5226
3206.	Smuggling of Indian Coins . .	5227
3207.	Irrigation and Hydro Electric Projects	5227–28
3208.	Housing in Rural Areas . .	5228–29
3209.	Drinking Water Supply . .	5229
3210.	Finance Minister's visit to U.P. .	5229
3211.	Slum Clearance Schemes . .	5230
3212.	Teachers for Medical Colleges .	5231
3213.	Advances by Banks to Business Houses .	5231
3215.	Siezure of watches in Bombay .	5232
3216.	Energising the Tube Wells of Punjab	5232
3217.	Yoga Ashram , New Delhi	5232–33

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3218	योग संस्थाओं को सहायता	5233
3220	औषधि सम्बन्धी पुस्तकालय	5234
3221	उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री	5234
3222	भूतपूर्व संसद् सदस्यों के कब्जे में सरकारी आवास	5235
3223	स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र	5235–36
3224	कृषि पुनर्वित्त निगम	5236
3226	संसद्-सदस्यों का विट्ठलभाई पटेल होस्टल	5236–37
3227	सोने का पता लगाने वाला यंत्र	5237–38
3228	सम्मेलनों के लिये अनुदान	5238
3229	एशिया तथा प्रशान्त महासागर के क्षेत्र के लेखाकारों का सम्मेलन	5238–39
3230	गैर-बैंकिंग वित्त समवाय	5239
3231	सहकारी गृह-निर्माण समितियां	5239
3232	जलसिन्धी परियोजना	5240
3233	दिल्ली के अस्पतालों में फलों की बिक्री	5240
3234	कालीकट में पानी की कमी	5240–41
3235	केरल में जल सम्भरण योजना	5241
3236	श्रीनगर राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन	5241
3237	डाक्टरों के वेतन क्रम	5241–42
3238	सरकारी आवास का आवंटन	5242
3239	समयोपरि भत्ते के बदले में अवकाश	5242
3240	मोतीबाग, दिल्ली में अस्पताल	5243
3241	उकई बांध परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा	5243
3242	बड़ी गंडक पर बांध	5243–44
3243	हुबली के निकट स्कूल के बच्चों की मृत्यु	5244–45
3244	सिंचाई सुविधायें	5245
3245	कोचीन पत्तन के सीमा-शुल्क अधिकारी	5246
3246	जाली सिक्के	5246
3247	ब्रिटेन से परियोजनाओं से भिन्न मदों के लिये सहायता	5246–47
3248	दिल्ली बृहद योजना	5247
3249	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिये कच्चा माल	5247
3250	कोसी परियोजना	5248
3251	विदेशी मुद्रा	5248–49
3252	रिहायशी फ्लैटों का वाणिज्यिक प्रयोग	5249
3253	ब्रिटिश पूंजी का भारत में लगाया जाना	5249
3253–क	चलार्थ नोट	5249
3253–ख	कम्पनी पब्लिक ट्रस्टी	5250–51
3253–ग	मंहगाई भत्ता	5251

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
3218	Aid to Yoga Institutions	5233
3220	Library of Books on Medicine	5234
3221	Former Chief Minister of Orissa	5234
3222	Accommodation Occupied by Ex.-M.Ps.	5235
3223	Health Education Centres	5235–36
3224	Agricultural Refinance Corporation	5236
3226	Vithalbhai Patel Hostel for M.Ps.	5236–37
3227	Gold Detector Equipment	5237–38
3228	Grants for Conferences	5238
3229	Asian and Pacific Accountants Conference	5238–39
3230	Non-Banking Finance Companies	5239
3231	House Building Cooperative Societies	5239
3232	Jaisindhi Project	5240
3233	Sale of Fruit in Delhi Hospitals	5240
3234	Water Shortage in Calicut	5240–41
3235	Water Supply Scheme in Kerala	5241
3236	State Housing Ministers' Conference at Srinagar	5241
3237	Pay Scales of Doctors	5241–52
3238	Allotment of Government Accommodation	5242
3239	Leave in Lieu of Overtime Allowance	5242
3240	Hospital in Motibagh, Delhi	5243
3241	Foreign Exchange for Ukai Dam Project	5243
3242	Bund on Bari Gandak	5244–44
3243	Death of Shool Children near Hubli	5244–45
3244	Irrigation Facilities	5245
3245	Customs Authorities of Cochin Port	5246
3246	Counterfeit Coins	5246
3247	Non-Project Assistance from U.K.	5246–47
3248	Delhi Master Plan	5247
3249	Raw Materials for Village and Small Industries	5247
3250	Kosi Project	5248
3251	Foreign Exchange	5248–49
3252	Residential Flats used for Commercial Purposes	5249
3253	Investment of British Capital in India	5249
3253-A	Currency Notes	5249
3253-B	Public Trustee of Companies	5250–51
253-C	Dearness allowance	5251

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3253-घ	दिल्ली में फर्मों का पंजीकरण	5251-62
3253-ङ	पहाड़ी क्षेत्र समिति .	5252-53

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . . 5253—56

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न) . . . . 5256—62

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . 5262—64

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश 5264

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—

नवां तथा दसवां प्रतिवेदन . . . 6264

केरल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे म संकल्प

तथा

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . 5264—87

श्री हाथी 5265-66

श्री रंगा 5267-68

श्री ही० ना० मुकर्जी . 5268—70

श्री मणियंगाडन . 5270—72

श्री नटराज पिल्ले 5272-73

श्री हरि विष्णु कामत 5273-74

श्री दीनेन भट्टाचार्य 5274-75

श्री केप्पन 5275-76

श्री मधु लिमये 5276-77

श्री नो० श्रीकान्तन नायर . . . 5277-78

श्री कोथा . . . . 5278—80

श्री सेझियान 5280-81

श्री वारियर 5281-82

श्री ओंकार लाल बेरवा . . . 5282-83

श्री रवीन्द्र वर्मा . . . . 5283—85

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . . 5285-86

श्री शिव नारायण 5286-87

श्री च० का० भट्टाचार्य 5287

श्री ओझा 5287-88

बच्चों के लिए अनोपयोगी टॉनिक के बारे में आधे घंटे की चर्चा—

डा० राम मनोहर लोहिया 5288-89

डा० सुशीला नायर 5290-92

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
3253-D.	Registration of firms in Delhi	5251-52
3253-E.	Hill Areas Committee	5252-53
	Question of Privilege	5253—56
	Re: Motion for Adjournment (Query)	5256—62
	Papers laid on the Table	5262—64
	Esimates Committee—	
	Minutes	5264
	Committee on Public Undertakings—	
	Ninth and Tenth Reports	5264
	Resolution *re*: Proclamation in relation to Kerala ; and Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill	5264—87
	Motion to consider—	
	Shri Hathi	5265-66
	Shri Ranga	5267-68
	Shri H.N. Mukerjee	5268—70
	Shri Maniyangadan	5270—72
	Shri Nataraja Pillai	5272-73
	Shri Hari Vishnu Kamath	5273-74
	Shri Dinen Bhattacharya	5274-75
	Shri Kappen	5275-76
	Shri Madhu Limaye	5276-77
	Shri N. Sreekantan Nair	5277-78
	Shri Koya	5278—80
	Shri Sezhiyan	5280-81
	Shri Warior	5281-82
	Shri Onkar Lal Berwa	5282-83
	Shri Ravindra Varma	5283—85
	Shrimati Lakshmikanthamma	5285-86
	Shri Sheo Narain	5286-87
	Shri C.K. Bhattacharyya	5287
	Shri Oza	5287-88
	Half-an-Hour Disussion re: Unfit tonic for Children—	
	Dr. Ram Manohar Lohia	5288-89
	Dr. Sushila Nayar	5290—92

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार , 6 मई, 1965 / 16 वैशाख, (1887) शक

Thursday, May 6, 1965/Vaisakha 16, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में जीवन बीमा की समस्याओं का अध्ययन

\+

*1200. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मंत्रिमण्डल के भूतपूर्व सचिव श्री एस० एस० खेड़ा को अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ अन्य देशों में बीमा समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता थी ; और

(ग) इस अध्ययन से जीवन बीमा निगम को अपने विस्तार कार्य-क्रम में कहां तक सहायता मिलेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) श्री खेड़ा जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा की समस्याओं के अध्ययन करने में सरकार की सहायता कर रहे हैं । वे इस सम्बन्ध में अमरीका तथा ब्रिटेन में प्रचलित कार्य-प्रणाली से अपने आप को परिचित कराने के लिए गए थे ।

यह अध्ययन सरकार को इस उद्योग के बारे में हुए आधुनिकतम विकासों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के योग्य बनाएगा और यह अध्ययन न केवल जीवन बीमा निगम अपितु सामान्य बीमा के लिए भी सहायक होगा ।

Shri Bibhuti Mishra : What are the salient features of the suggestions regarding the improvements suggested by Shri Khera after his visit to these countries ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्री खेरा ने मेरे अनुरोध पर जीवन बीमा निगम के कार्य का पुनर्विलोकन करना आरम्भ किया है और वह प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के लिये सुझाव भी देंगे । उन्होंने अभी तक प्रतिवेदन पूरा नहीं किया है और मुझे नहीं दिया है । इस समय मैंने उनसे किसी अन्तरिम प्रतिवेदन के लिये नहीं कहा है । उन्हें यह पता लगाने के लिये भेजा गया है कि विदेशों में क्या हो रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra : Just now the Minister replied that the Report has not yet been completed. But my question is what defects he has pointed out in the administration of the L.I.C. on the basis of what he studied in these countries. How much of our L.I.C. funds is in the Public Sector and how much in the Private Sector respectively? What assistance is given to the farmers in foreign countries and measures have been suggested in that regard ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उन्होंने अपना अध्ययन अभी पूरा नहीं किया है और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कया है । मैं नहीं समझता कि वह हमें इस बात का ब्योरा देंगे कि विदेशों में क्या हो रहा है । उन्होंने विदेशों में जो अध्ययन किया है वह इसलिये किया है कि उनको इस संबंध में सहायता मिल सके कि हमारी बीमा समस्याओं के बारे में उनको क्या सुझाव देने चाहिये । मैंने केवल यही कहा था कि उन्होंने अध्ययन समाप्त नहीं किया है, न कि यह कि उन्होंने मुझे कोई प्रतिवेदन भेजा है ।

Shri K.N. Tiwary : Is it a fact that many cases in which premium has been paid in full or where the policy-holders have died, remain unsettled even now, if so the total amount of policies and the time by which the payment is likely to be made ?

Mr. Speaker : How can it come under the main question ?

Shri K. N. Tiwary : Was Shri Khera asked to suggest measures for early payment in this connection ?

Shri Sidheshwar Prasad : Keeping in view the fact that an experienced man like Shri Khera has been sent abroad to study the various problems connected with the Life Insurance Corporation, may I know whether Government have asked him to keep in mind that he should make his final recommendations only after giving due consideration to the suggestions made by various persons in this regard ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने उन्हें कोई विशेष प्रकार का कार्य नहीं सौंपा है । उनसे मामलों की जांच करने और प्रशासन के सुधार के लिये सिफारिशें देने के लिये कहा गया था । वह क्या कहेंगे, उन्हें किस प्रकार का प्रतिवेदन देना चाहिये, क्या हम उसको सभा पटल पर रख सकते हैं और क्या कार्यवाही की जायेगी, ये सब बातें मैं इस समय नहीं बता सकता ।

श्री शिंकरे : क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं कि जीवन बीमा निगम में मुख्य रूप से जितनी आवश्यकता व्यक्तिगत सम्पर्क की है उतनी तकनीकी सुधार अथवा प्रशासनिक कार्यकुशलता की नहीं है क्योंकि जब से जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई है इसके कर्मचारी एकाधिकार मिल जाने के कारण बीमा पालिसीधारियों के हितों की ओर से नितान्त: उपेक्षा से काम ले रहे हैं । यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका भी मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । उन्हें इस उद्देश्य से बाहर भेजा गया था कि विदेशों से वह जो ज्ञान प्राप्त करके आयें क्या उससे यहां कुछ सुधार किया जा सकता है । यही उन्होंने कहा है .....(**अन्तर्बाधा**)

Shri Bhagwat Jha Azad : Just now the hon. Minister has stated that only questions of general nature have been referred to him for study. Did he not think it proper to highlight the causes which are responsible for the difficulties in the Life Insurance Corporation, such as bogus agencies ? Will he also submit his detailed report on the questions relating to issues on which L.I.C. employees are launching agitation ?

Mr. Speaker : He has not given any thing.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने उन्हें किन्हीं विशेष विषयों के अध्ययन के लिए नहीं कहा है । यह मामला निगम के सामान्य कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन लेने का है ।

जलरोध

\+

*1202. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों से जलरोध क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) किन किन राज्यों में सबसे अधिक जलक्रांत क्षेत्र है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन जलरोध क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) गत दो वर्षों को छोड़ कर, पंजाब में जल जमाव में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी ।

(ख) जल जमाव मुख्यतः इस कारण है कि पानी भूमि में आता अधिक है और उससे निकलता कम है और अधिक पानी आने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) अधिक वर्षा
(2) नहरों से पानी का रिसना
(3) भूमि का अधिक सिंचित होना ; और
(4) अपर्याप्त जल निस्सार ।

(ग) जल जमाव का क्षेत्र पंजाब में सबसे अधिक है ।

(घ) जी, हां । संबद्ध राज्य आवश्यक जल जमाव रोध उपाय कर रहे हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इस बात का कोई सर्वेक्षण किया गया है कि जलरोध से प्रभावित क्षेत्र में कितनी भूमि है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जी, हां । पांच राज्यों में जलरोध प्रत्यक्ष रुप से विद्यमान है । इन में से पंजाब की दशा सब से खराब है । इन सब राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि सरकार अच्छी तरह जानती र कि जलरोध दशा में भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं, क्या उनको ठीक करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो अब कितनी भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है ।

डा० कु० ल० राव : पंजाब में नालियों के निर्माण तथा अन्य उपायों के द्वारा 40 लाख एकड़ भूमि से लगभग 14 लाख एकड़ भूमि को ठीक कर लिया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : इस समय इस समस्या को हल करने के क्या क्या उपाय हैं और पंजाब को छोड़ कर अन्य राज्यों में क्या उपाय किये गये हैं ?

डा० कु० ल० राव : इसको हल करने के लिये तीन मुख्य उपाय हैं । एक तो नहरों का मार्ग निश्चित करना है । दूसरा नलकूपों का निर्माण और तीसरा है भूमिगत नालियों का निर्माण । ये सभी जलरोध विरोधी सुविदित उपाय हैं और पंजाब में जहां भी सम्भव हो रहा है इनको अपनाया जा रहा है । परन्तु अन्य क्षेत्रों में उन्हें सुव्यवस्थित रुप से नहीं अपनाया जा रहा है ।

Shri M. L. Dwivedi : Keeping in view that water logging badly damages even the cultivable land and causes loss, may I know whether Government are taking steps to carry out a survey of all the tracts under water-logging in all parts of the country ; if so, the amount that is being sanctioned for it ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने बताया जलरोध का अधिक जोर केवल पंजाब ही में है । हमारा 85 प्रतिशत जलरुद्ध क्षेत्र पंजाब में है और वे विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं और पंजाब में उनके पास 6 अग्रिम योजनाएं हैं ।

Shri M.L. Dwivedi : My question has not been replied. I had asked whether any survey has been carried out in the country.

Mr. Speaker : He has not got the figures for the whole country.

Shri M. L. Dwivedi : Has any survey been made throughout the country in this regard ?

डा० कु० ल० राव : मैंने यही निवेदन किया है । जलरोध से प्रभावित क्षेत्रों के सम्बंध में विभिन्न राज्यों से ब्यौरे मांगे गये हैं । समस्त देश में ऐसे कुल क्षेत्र का वर्गफल लगभग 35 लाख एकड़ है, जैसा कि विभिन्न राज्यों ने बताया हैं, और इस में से 85 प्रतिशत क्षेत्र पंजाब में है ।

श्री रंगा : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे माननीय मित्र ने अभी जो कुछ कहा है उसी से यह अनुपूरक प्रश्न उत्पन्न होता है । सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है । मेरे माननीय मित्र यह कह कर संतुष्ट हो गये कि 85 प्रतिशत क्षेत्र पंजाब में है और इसलिये शेष रह गए क्षेत्र का कोई महत्व नहीं हैं । क्या सरकार जलरुद्ध भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई अखिल भारतीय योजना बनाने पर विचार कर रही है । यह पता लगा है कि उड़ीसा में, कुछ जिलों में, उदाहरणार्थ केवल आंध्र प्रदेश में ही दो या तीन जिलों में, पश्चिम बंगाल में दो या तीन जिलों में, कम से कम दो

जिलों में आसाम और केरल में भी अन्य अनेक स्थानों के अतिरिक्त जलरोध विद्यमान है। क्या सरकार बाढ़ सुरक्षा बोर्ड को पर्याप्त निधियां देने का विचार रखती है अथवा इन क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिये एक पृथक बोर्ड स्थापित करने का विचार रखती है।

डा० कु० ल० राव : बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र और जलरुद्ध क्षेत्र में अन्तर है। जलरोध का अर्थ है कि भूमि की सतह से 5 फुट की गहराई के भीतर पानी का स्तर चढ़ जाता है और फिर यह फ़सल को बढ़ने से रोकता है। जो क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है उनके बारे में हम अलग से विचार कर रहे हैं। अनेक स्थानों में ये दोनों मौजूद हैं।

श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी : हीरा कुड के बारे में आपका क्या ख्याल है।

डा० कु० ल० राव : मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है। हम उन क्षेत्रों को जलरुद्ध कहते हैं जिनमें अक्तूबर के महीने में भूमि की सतह से 5 फुट से कम की गहराई पर पानी होता है। यह वह अवधि है जिसमें उस गहराई पर पानी नहीं होना चाहिये, और इस दृष्टि से 27 लाख एकड़ अथवा 85 प्रतिशत क्षेत्र पंजाब में हैं; लगभग 5 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में हैं और एक लाख स कम एकड़ क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस से अवगत है कि जहां तक पंजाब का सम्बंध है जितने क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जाता है लगभग उतना ही क्षेत्र बढ़ते हुए जलरोध की लपेट में आ जाता है और यदि हां, तो सरकार इस परिवर्तन के बारे में क्या करने का प्रस्ताव रखती है ?

डा० कु० ल० राव : स्थिति ऐसी नहीं है। पंजाब में यह क्षेत्र लगभग उतना ही रहता है। गत दो या तीन वर्षों में हम ने जो उपाय किये हैं उनके कारण वहां पर जलरुद्ध क्षेत्र में काफी कमी हुई है।

Shri Yashpal Singh: Have Government taken note of the views expressed by the Scientists that the heat of the sun is diminishing daily by 28 lakh tons that lakhs of acres of land is being affected by water-logging and also that the family planning has failed to arrest the growth of population and that every year the population is increasing by 1 crore of people. If so, the condition that will be at the end of the 4th year plan—to what extent the heat of the sun will be reduced and the population of this country increased ?

श्री कपूर सिंह : यह एक गंभीर मामला है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

डा० कु० ल० राव : मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जलरोध की समस्या को हल करने को सब से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है; और जलरुद्ध क्षेत्र कम होता जा रहा है।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने प्रश्न का बिल्कुल उत्तर नहीं दिया है। उस प्रश्न में एक से अधिक बातें थीं, सूर्य की गर्मी में उत्तरोत्तर कमी, हमारे परिवार नियोजन उपायों की असफलता आदि।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या गत 3 वर्षों में जलरोध के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो ऐसे जलरुद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में बिहार में क्या स्थिति है ?

डा० कु० ल० राव : ये सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं और हमें उनसे प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। हम स्वयं कोई सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं।

Shri Raghunath Singh : Most of the water-logging is in Punjab and Western U.P. where there are more canals and railway lines. What arrangements are being made to drain out water from those areas ?

डा० कु० ल० राव : मैं, बाढ़ और जलरोध के बीच जो अन्तर है, उसे बता देना चाहता हूं। हम जलरोध उसको कहते हैं जब कि अक्तूबर के महीने में भूमि के नीचे पानी का स्तर 5 फुट से कम की गहराई तक चढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जिसका माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया है, अर्थात् बाढ़, नियंत्रण कार्य। यह सच है कि बाढ़ नियन्त्रण में पुलों, सड़कों और नहरों की नाकाफी चौड़ाई कुछ रूकावट डाल रही है और नालियों में पानी ठहर जाता है, और इससे जलरोध भी बढ़ जाता है। हम इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं।

Shri A.S. Saigal : Many of the States are affected by water-logging. May I know whether any scheme has been chalked out on a long-term basis in this regard ; if so, the name of the plan and the manner in which Government propose to implement that plan in the States ?

डा० कु० ल० राव: मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस समस्या को हल करने के हमारे पास सुस्थापित तरीके हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है वहां पर जलरुद्ध क्षेत्र 1,000 एकड़ से भी कम है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जलरोध के अतिरिक्त एक और समस्या है। जलरोध से निस्तारण के पश्चात् भी मिट्टी की उर्वरता चली जायेगी और खारापन आ जायेगा। क्या इस बारे में भी साथ साथ अनुसन्धान किया जा रहा है कि निस्तारण के पश्चात् मिट्टी की उर्वरता को पुनः लाया जा सके ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि जलरोध का एक बुरा असर यह होता है कि मिट्टी का खारीपन बढ़ जाता है। जलरोध के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं।

D.V.C.

1204. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards a news item in the 'Statesman' dated the 8th April, 1965 from which it appears that the working and progress of the Damodar Valley Project is not satisfactory ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken to make Damodar Valley Project a success ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां। परन्तु उस लेख में यह नहीं लिखा है कि दामोदर घाटी परियोजना का संचालन और प्रगति संतोषजनक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Siddheshwar Prasad : May I know whether attention of Government has been drawn to the criticism regarding Damodar Valley Corporation published in its annual Report that none of the main objects of the D.V.C. has yet been achieved by the establishment of this Corporation and as also that this body could not be able to provide adequate irrigation facilities and supply of electricity to the people of that area; and if so, the steps being taken by Government to eradicate basic evils and deficiencies that have crept in these ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मुझे इस प्रश्न के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है। इस बारे में हमारे पास कोई निश्चित प्रकार का प्रतिवेदन भी नहीं है। मुख्य प्रश्न "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। मुझे राज्य से और अधिक सूचना नहीं मिली है।

श्री भागवत झा आजाद : जब विशेषज्ञों ने स्पष्ट तौर पर यह मान लिया है कि दामोदर घाटी निगम में इस समय पानी की निकासी के लिए जो चार बांध हैं उनके स्थान पर आठ बांधों की आवश्यकता है, तो क्या कारण है कि सरकार स्पष्ट तौर पर दिये गये सुझाव तथा प्रस्ताव की अवहेलना करके शुष्क मौसम में चलने के लिए केवल 450 प्रतिक्षण घनफुट (क्यूसक) की व्यवस्था करने के लिए एक नीचा बांध बनाने का विचार कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है। इस विशेष बांध का निर्माण उस स्थान के 450 क्यूसक के लिये नहीं अपितु 900 क्यूसक प्रवाह के लिए किया गया है।

Shri Siddheshwar Prasad : The article on the basis of which I have put down this question contains :

> "भविष्य में अधिक बाढ़ के कारण लोगों में और भी नाराजगी उत्पन्न होगी क्योंकि वे सुरक्षा की एक झूठी धारणा लेकर चुपचाप बैठे हुए हैं. . . .

In view of this fact, I want to know as to whether Government propose to revise the present scheme of the D.V.C. with a view to control floods in this area ?

डा० कु० ल० राव : इस प्रकार के विवरण अथवा वक्तव्य देश में किसी भी बाढ़ नियंत्रण कार्य के बारे में दिये जा सकते हैं। दामोदर घाटी निगम का डिजायन इस प्रकार का बनाया गया है कि वहां बाढ़ से आये हुए 6.5 लाख क्यूसक पानी का दामोदर नदी में निकासी की जा सकती है। यदि हजारों वर्ष में एक बार कभी असाधारण बाढ़ आ जाय तो हम उस स्थिति में कर ही क्या सकते हैं . . . .

श्री भागवत झा आजाद : ऐसी बाढ़ पहले आ चुकी है। मंत्री महोदय कैसे यह कहते हैं कि हजारों वर्ष में केवल एक बार ऐसी बाढ़ आ सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इन सब कठिनाइयों का कारण यह नहीं है कि दामोदर घाटी निगम के मुख्य-कार्यालय को कलकत्ता से हटा कर बिहार में नहीं लाया गया है ? दामोदर घाटी निगम का एक मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन तथा नौपरिवहन को भी प्रोत्साहन देना था। क्या इनके बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में मुख्य कार्यालय के स्थापन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक बिलकुल अलग प्रश्न है। दामोदर घाटी निगम के उद्देश्य मुख्यतः बाढ़-नियंत्रण सिंचाई तथा विद्युत् उत्पादन थे। इनके अलावा नौपरिवहन तथा मत्स्य पालन भी उसके गौण उद्देश्य हैं।

श्री रघनाथ सिंह : श्रीमान, उन्होंने नौपरिवहन के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

डा० कु० ल० राव : मैंने कहा है।

डा० रानेन सेन : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि दामोदर घाटी निगम का एक उद्देश्य दामोदर घाटी निगम क्षेत्र का एक नौपरिवहन नहर द्वारा कलकत्ता से मिलाने का है। क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सहयोग के अभाव के कारण यह नौपरिवहन -नहर का कार्य पूर्ण रूपेण असफल रहा है। यदि हां, तो कठिनाइयों का निवारण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा वह क्या कार्यवाई करने का विचार करती है ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक नौपरिवहन का सम्बन्ध है, हम इस बारे में गत तीन चार महीनों से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मैं इस मामले में गम्भीर रूप से बातचीत कर रहा हूं और मैंने पश्चिम बंगाल सरकार से नौपरिवहन चालू करने के लिए निवेदन किया है। इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि इस नहर का प्रयोग कोयला तथा रेत के दूरप्रेषण के लिए किया जायेगा जिससे जी० टी० सड़क पर भी यातायात की भीड़-भाड़ दूर हो जायेगी। पश्चिम बंगाल सरकार से जो मुझे अन्तिम पत्र मिला था उसमें यह आग्रह किया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य को स्वयं अपने हाथ ले ले और हम ऐसा ही कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : मेरा प्रश्न यह था कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार तथा दामोदर घाटी निगम के बीच सहयोग के अभाव के कारण प्राधिकारी इस नहर का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच समन्वय तथा सहयोग स्थापित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० कु० ल० राव : मैंने कहा कि हमने पश्चिम बंगाल सरकार से नहर के नौपरिवहन सम्बन्धी कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए निवेदन किया। उन्होंने अन्त में यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ही इस काम को अपने हाथ में ले ले। इसलिये दामोदर घाटी निगम इस काम को ले रहा है। इसमें समन्वय का कोई भी प्रश्न नहीं है।

Shri Sheo Narayan : Bloods have proved to be a curse for this country. May I know whether my specific request has been made to the Ministry of Irrigation and Power to the effect that the centre should take special steps

with regard to the problem of flood control and if so, the steps being taken by the Government ?

डा० कु० ल० राव : आमतौर से मैं यह कह सकता हूं कि सरकार देश के बाढ़ नियंत्रण की समस्या पर सर्वाधिक ध्यान दे रही है ।

श्री प्रभातकार : जब दामोदर घाटी निगम बनाया गया, तो बाढ़ों का पूर्ण नियंत्रण तथा लोगों को सस्ती दर पर बिजली के उपलब्ध करने के बारे में इस सभा के प्सामने एक विवरण प्रस्तुत किया गया ।

आज इस निगम के कार्यों को पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बांटा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक इसके उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, इसे पहले की भांति केन्द्र के नियंत्रण में क्यों नहीं लाया जाता ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने दामोदर घाटी निगम के पुर्नसंगठन का प्रश्न उठा दिया है । पुर्नसंगठन कार्य केवल एक कारणवश किया जाता है । इस परियोजना से समस्त सिंचाई बंगाल में होगी और वह भूमि बंगाल की ही हो । इसलिये, उस पहलू पर पश्चिम बंगाल विचार करेगा और बिजली से सम्बन्धित काम केन्द्रीय सरकार के अधीन रहेगा ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस परियोजना से कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई करने का अनुमान लगाया गया था और वास्तव में कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : ऐसा अनुमान था कि इस परियोजना से 9.7 लाख एकड़ के कुल क्षेत्र में सिंचाई होगी । अब तक 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई है । हम आशा करते हैं कि अगले दो या तीन वर्षों में और भी अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी ।

दिल्ली में मूर्तियां लगाना

1205. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्रीमति मैमूना सुल्तान :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 10 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मूर्तियों की स्थापना सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं और निर्देश-पद क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय द्वारा यह विषय अभी हाल ही में मेरे मंत्रालय में स्थानान्तरित किया गया है । पूरे मामले की सावधानिता पूर्वक जांच की जायेगी तथा शीघ्रत: शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या ऐसा कहना उचित है कि क्योंकि यह विषय अभी हाल ही में इस मंत्रालय को सौंपा गया है, अत: इस पर फिर से विचार करना होगा ? जब हमने समिति के गठन के बारे में ठीक स्थिति पूछी है तो वह जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं की जाती ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह अध्यक्ष महोदय के लिए एक व्यवस्था का प्रश्न है और मंत्री महोदय के लिए नहीं। श्रीमान् आप ने कई बार कहा है कि जब एक मंत्री महोदय कोई बात कहते हैं तो वह ऐसा समूची सरकार की ओर से कहते हैं। और वह निर्णय समूची सरकार का माना जाता है। चाहे किसी मंत्रालय विशेष द्वारा ही वह किया गया हो। मंत्री महोदय की इस बात में सार नहीं है कि यह कार्य उनके मंत्रालय में अभी हाल में हस्तान्तरित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देने के लिए खड़े हुए थे जब यह प्रश्न उठाया गया था।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला है समिति का गठन। इस बारे में श्री हरि विष्णु कामत के उत्तर में गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि दिल्ली में मूर्तियां लगाने के लिए एक समिति बनायी जायेगी, जिस में दोनों सदनों के प्रतिनिधि होंगे। दूसरा पहलू है मूर्तियों के लिए स्थानों का चयन करना। श्री मोती लाल नेहरू तथा श्री बल्लभभाई पटेल की मूर्तियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं।

Shri Bagri: Bhagat Singh's name should also . . .

श्री मेहर चन्द खन्ना : लाला लाजपत राय की मूर्ति तथा पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की मूर्ति के लिए दो स्थान चुन लिये गये हैं। इस समय मैं पांच या छः स्थानों के चुनने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं। वे मूर्तियां नेताजी, जवाहर लाल नेहरू, गांधी जी, मालवीय जी, तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद की होंगी।

श्री रंगा : नेताजी के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने नेताजी के बारे में यह कहा है कि मैं स्थान चुनने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने आर्किटेक्टों और इंजीनियरों को इस कार्य में लगाया है जब वे प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो उन पर विचार किया जायेगा। जहां तक गृह-कार्य मंत्री द्वारा समिति तथा उसके सदस्यों के चुनने के गठित करने सम्बन्धी वाग्बद्धता का है मैं उस की जांच पड़ताल कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या समिति नियुक्त कर दी गई है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी अभी नहीं। मैं समिति के सदस्यों के बारे में विचार कर रहा हूं।

श्री रंगा : श्रीमन, सामान्यतः मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाता हूं परन्तु अब मैं कर रहा हूं। अब यह बहुत से मंत्रियों की आदत हो गई है कि वे व्यक्तिगत रूप.में बात करते है। क्या सरकार का कार्य करने का यही तरीका है। क्या सरकार एक एकक की भांति कार्य कर रही है। प्रत्येक मंत्री पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है न कि निजी। क्या यह एक महाराजा की सरकार है या जनतान्त्रिक सरकार है जहां सभी की जिम्मेदारी है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ऐसे कह सकता हूं कि निर्माण तथा आवास मंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं और गृह-कार्य मंत्री ने पहले ही विचार कर लिया है। सरकार इस पर विचार करेगी। यदि श्री रंगा इस प्रकार सन्तुष्ट हो सके तो मैं ऐसे ही उत्तर दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि यह प्रश्न पहले 10 मार्च को उठाया गया था और आप ने यह कहने की कृपा की थी। मैं आपके वास्तविक शब्द पढ़ता हूं :

> "यह मांग कि जब दो नामों के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो पूरा उत्तर दिया जाये बिल्कुल उचित है। मंत्री महोदय को इस का ध्यान रखना चाहिये। प्रश्न विशेष का उत्तर भी वैसा ही होना चाहिये।

दो महीने पूर्व 10 मार्च, को यह प्रश्न उठाया गया था और उस समय गृह-कार्य मंत्री ने बचन दिया था कि शीघ्र एक समिति बनायी जायेगी। आज मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह उन को अभी सौंपा गया है। मैं समझ नहीं पाया कि यह उन को क्यों सौपा गया है। यह गृह-कार्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नों की सूची में था फिर बाद में अभी ही पन्द्रह दिन पहले यह हस्तान्तरित किया गया है। क्या सदन को यह समझना है कि डेढ़ महीने तक गृह-कार्य मंत्रालय ने इस विषय में कुछ नहीं किया और लगभग छः सप्ताह तक कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। सरकार ने इस समय में क्या किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कोई समिति नहीं बनायी गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : पर क्यों? इस समिति की नियुक्ति में डेढ़ महीने तक कुछ कार्य न करने के क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को प्रश्न काल के प्रयोजन को समझना चाहिये। मैं तो एक प्रश्न विशेष के उत्तर के लिए कह सकता हूं। मैंने उन से पूछा कि क्या समिति नियुक्त कर दी गई है या नहीं उन्होंने नहीं में उत्तर दिया। यदि श्री कामत को कोई अनुपूरक प्रश्न करना है तो करें?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न है कि समिति की नियुक्ति में बिलम्ब के क्या कारण है?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस में कोई बिलम्ब नहीं हुआ। यदि हम आज या कल एक समिति बनाते हैं तो हमें समिति के सदस्यों के नामों पर विचार करना होगा और शायद दोनों सदनों से परामर्श प्राप्त करना होगा। परन्तु मुख्य प्रश्न तो स्थानों के चुनने का है। जब तक दिल्ली में उचित स्थान नहीं मिलते मूर्तियां स्थापित नहीं की जा सकती हैं। निर्माण तथा आवास मंत्रालय यह प्रयत्न कर रहा है और मुख्य आर्किटेक्ट तथा इंजीनियर को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वे लगभग छः स्थानों का सुझाव दें।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करते हैं कि गृह-कार्य मंत्री ने पिछली बार समिति के बारे में जो बात कही थी कि यह समिति जिसकी नियुक्ति की जा रही है, सभी राजनैतिक वर्गों की प्रतिनिधि होगी और उस में केवल कांग्रेस दल के सदस्य ही नहीं भर दिये जायेंगे?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने आपका अनुपूरक प्रश्न पढ़ा है और मैं इस के लिए पूरी तरह तैयार हो कर आया हूं। सरकार या गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये किसी भी वचन का पूरा सम्मान किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महिंड़ा : श्री कामत के प्रश्न में ही मेरा व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है परन्तु मुझे स्मरण है कि गृह-कार्य मंत्री ने प्रोफैसर रंगा के प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। प्रोफेसर रंगा ने कहा था कि राजधानी में गांधी जी की कोई मूर्ति नहीं है और गृह-कार्य मंत्री ने हमें निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। 15 वर्ष बीत गये हैं और राजधानी में गांधी जी को एक भी मूर्ति नहीं है। इसमें कितने और वर्ष लगेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि स्थान चुने जा रहे हैं। उन्होंने नाम भी बताये हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने 6 मूर्तियों में गांधीजी का नाम भी बताया है।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister had said in the last session that if any organisation would be prepared to bear the whole expenditure for the installation of a statue of any prominent leader, the Government would consider it. At the site of old clock towar in Chandni Chowk Swami Shardhanand had boldly faced the bayonets of the Britishers. May I know whether any institution has offered to have the whole expenditure on the erection of a statue of Swamiji at that site. If so, what is the reaction of the Government thereto ?

Shri Mehr Chand Khanna : That question has not come before me. If the hon. Member writes to me in this regard, I will correspond with the Delhi Municipal Corporation on the subject. Since Chandni Chowk is in the jurisdiction of the Delhi Municipal Corporation and not under Land and Development Office.

Shri Prakash Vir Shastri : The Delhi Municipal Corporation has approved it.

Shri Mehr Chand Khanna : You send that to me. I will look into it.

Shrimati Johraben Chavda : The Minister mentioned about the installation of statues at cerain places. It is a matter of pleasure. I would also like to know whether the Government are considering to instal the statues of Mrs. Kasturba Gandhi and Mrs. Sarojini Naidu who have made a major contribution to our struggle for independence ?

Shri Mehr Chand Khanna : There are five or six names before me. Two more names have been suggested by the hon. lady Member. I will consider them also.

Shri Yudhvir Singh : A reference had been made to non-availability of sites just now. The Government have stated that they are looking for the sites. It is being discussed since a long time that the statues of Britishers should be placed in the museums. Do the Government propose to reserve some sites for the insallation of those statues ?

Shri Mehr Chand Khanna : These two questions have no connection with each other ?

An hon. Member : He is not replying to the question ?

Mr. Speaker : Can he not say that these questions have no connection ? If there is any doubt, it can be decided later on but it is not correct that he cannot say so.

Shri Madhu Limaye : On the one hand he says that there are no sites. The hon. Member has demanded that the statues of foreigners should be removed. India was freed 17 or 18 years ago and the Constitution was also promulgated long ago. It is a matter of shame that the statue of King George is still there in front of Rashtrapati Bhawan. At least that statue and the statue of other foreigners should be removed but this is a shameless (बेहया) Government.

श्री रघुनाथ सिंह : यह कहना बहुत आपत्तिजनक है कि यह "बेहया" सरकार हो गई है । यह असंसदीय शब्द है ।

Shri Madhu Limaye : It is not bad. It is not unparliamentary.

An hon. Member : The Government is not shameless.

Shri Madhu Limaye : Much more is said in the House of Commons.

Mr. Speaker : I do not allow it.

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order.

Mr. Speaker : I have not called you. There may or may not be a point of Order. The hon. Member asked a question but others have intervened. The question could not therefore be replied and I had to intervene while the Minister was replying when the Minister replies, his reply should first be listened to. It is very improper to make a speach in excitement. Such things will not be allowed to continue. If such things persist, these will not be brought on the record.

माननीय मंत्री अपना उत्तर पूरा करें ।

Shri Bagri : On a point of order, Sir. Shri Madhu Limaye spoke with your permission and you are not keeping your words. You had said before that anything spoke without your permission would be expunged.....

Mr. Speaker: Did you hear what I said. Whatever has been spoken with my permission has not been expunged. You should first ascertain the fact. You have raised the point of order for nothing.

Shri Mehr Chand Khanna : I was telling that both these questions were different. One relates to the erection of statues of our great leaders and the other relates to the removal of the statues erected during the British regime. A sufficient number of such statues have been removed.

Shri Yudhvir Singh : Do you intend to remove other such statues also.

श्री अलवारेस : सरदार पटेल तथा श्री गोविन्द बल्लभ पंत दोनों ही की मृत्यु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद हुई । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने किन कारणों से सरदार पटेल और श्री पन्त की मूर्ति लगाने का निर्णय पहले किया और श्री सुभाष चन्द्र बोस तथा महात्मा गांधी के सम्बन्ध में पूर्ण उपेक्षा की ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहस की जा रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह बहस नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल कारणों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सूचना प्राप्त कर सकता हूं कि कौन सी मूर्तियां स्थापित की गई हैं और किन किन के स्थापित करने का विचार है । परन्तु यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ मूर्तियां पहले क्यों लगायी गयीं और दूसरी बाद में क्यों लगायी जायेंगी तो वह बहस ही होगी ।

श्री रंगा : कुछ महत्वपूर्ण कारण होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी ऐसा ही विचार है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Keeping in view the difference between fame of a temporary nature and the fame of historical importance, will the Government adopt this principle that the statues of those persons, who have died within a period of three hundred years should not be installed and instruct the Committee accordingly. The Government had promised to remove all the statues of foreigners. Government should bear in mind that the persons like me have to dissuade others to do the same treatment with the statue of George as they have done with the statue of Irwin. How long will I be able to do so, is a different matter.

Mr. Speaker : I have noted your point.

Dr. Ram Manohar Lohia : What about the first question ?

Mr. Speaker : What was the need for the second part of your question. You always give threats and warnings.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is not a warning, but a question.

Mr Speaker : That is not a question.

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं 300 वर्षों के सम्बन्ध में कुछ नहीं समझा पाया हूं ।

Mr. Speaker : His suggestion is that statues of those who died less than three hundred years ago should not be installed. Statues of those persons, who died before that may be installed.

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr. Speaker, I said that the statues of those persons, who achieve fame for the time being only, should not be installed since sometimes, those statues have to be removed.

Shri S.M. Banerjee : It was stated a few days ago in this House that statues of our revolutionary leaders like Sudhi Ram Bose, Bhagat Singh, Raj Guru, Sukh Dev, Surjit Singh etc. will be installed in front of Red Fort alongwith the statue of Netaji Subhash Chander Bose. May I know whether it is a fact that a reknowned sculptor, Devi Prasad Roy Choudhury, has been asked to make those statues. If so, when will he start the work ?

Shri Mehr Chand Khanna : I do not know the names but I know that a famous sculptor of Calcutta, Shri D.P. Roy has been given an order. It will cost about five or six lakhs of rupees. I do not remember the exact amount. He will make a memorial showing the march of freedom. It will take four or five years. I do not know the names of persons whose statues will form part of that memorial.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इन मूर्तियों के स्थापित करने के संबंध में सरकार कुछ प्राथमिकताओं का ध्यान रखती है। यदि हां, तो क्या सरकार इस बात के कारण बतायेगी कि गांधीजी तथा नेताजी के संबंध में उचित विचार नहीं किया गया है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना: यदि इस मामले पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा होता तो हमने निश्चित रूप से प्राथमिकतायें निर्धारित कर दी होतीं। यदि गृह-कार्य मंत्री के वचनों को पूरा करना है तो यह आवश्यक है कि प्राथमिकताओं के प्रश्न पर विचार स्थापित की जाने वाली समिति द्वारा किया जाए ।

Shri Sheo Narain : I would like to know the intention of the Government regarding setting up of the statues of Rani Laxmi Bai, the great warrior of 1857 movement and Sardar Bhagat Singh.

Mr. Speaker : You are giving a suggestion. This matter has been referred to a Committee.

Shri Tulshidas Jadhav : The Committee which is being appointed..

Mr. Speaker : You may send this proposal.

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले

\+

*1260. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री विश्वनाथ पांडे :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पटेल आयोग की सिफारिशों पर विकास के लिये चुने गये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों को वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की सलाह से किया गया था ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राज देव सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी ज़िलों के विकास के लिये प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने का विचार कर रही है। यदि हां, तो किस रूप में ?

श्री ब०रा० भगत : यह राज्य की ज़िम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसी ज़िम्मेदारी लेने का विचार नहीं है।

Shri Vishram Prasad : Many large and small works have been referred to in the Patel Commission report. There is a proposal to construct a railway bridge over Ganges at Tari Ghat in Ghazipur. I would like to know the position regarding that bridge and whether it is a fact that political pressure in being exercised to construct that bridge at Buxar instead of Ghazipur. If not, the date by which the bridge will be completed.

Shri B. R. Bhagat : The Government have not considered this point. It will be considered if the State Government recommends to include it in the Fourth Plan.

Shri J. B. Singh : May I know whether any officer of the Central Government will be stationed there to see that the money alloted for the development of these four districts of Uttar Pradesh is being spent properly and the work is going on satisfactorily ?

Shri B. R. Bhagat: No, Sir. That is not needed. The whole programme is going on under the State Government.

Shri D. N. Tiwary : Is the Central Go ernment giving any grant for the development of those four di tricts and if so, how much ? I would like to know whether there are other such districts which need the Central assistance. I mean northern districts of Bihar. Whether the Government are considering about those districts also ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): जहां तक उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों का संबंध है, इसे उत्तर प्रदेश के योजना संबंधी कार्यक्रम से पृथक व्यय माना गया है। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काम आरम्भ कर दिया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know the date by which the scheme will be completed. and what will be the amount of expenditure likely to be incurred by the Central Government and the State Government ?

Shri B. R. Bhagat : The work on the scheme will be continued till the suggestion is accepted. As regards the expenditure, the central Government will give assistance amounting to Rupees 4 1/2 crores and the State Government will incur an expenditure of Rupees 8 crores and 64 lakhs during this year.

Shri S. M. Banerjee : May I know whether in view of constant famine situation in the eatern districts of Uttar Pradesh,will the Planning Commission grant certain amount every year in addition to the amount being given this year in order to remove the backwardness of those districts. If so, the amount thereof ?

Shri B.R. Bhagat : This is being spent during the Third Plan. These things will be considered during the Fourth Plan.

Shri Bhagawat Jha Azad : Patel Commission was appointed on the suggestion of a Member of this House made during the course of a speech. The Central Government accepted those recommendations and some amount was granted. Do the Government think that with the grant of certain amount their work will be completed or will the Government make an assessment from time to time and give further grants. Now he says that this is the responsibility of State Government. May I know, what is the factual position ?

Shri B.R. Bhagat : There is no contradiction involved between the two. As I said, the State Government will carry on the work and the Central Government will make the necessary Grants. There is a separate evaluation machinery set up for the purpose. The work is done jointly by the State Government, Central Government and the Planning Commission.

Shri Ganpati Ram : May I know whether the subsidy being given by Planning Commission to socially and economically beackward classes is being reduced from 50 percent to 25 per cent. If so, what is the difference between Patel Commission and ordinary planning ?

Shri B. R. Bhagat : It is not a question of backward classes but of backward areas. The pattern for assistance to them is made on the basis of suggestions of Patel Commission.

विदेशी मुद्रा बैंकों में भारतीयकरण

\+

1207. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा बैंकों के अधिकारी संवर्ग के भारतीयकरण की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह विषमता दूर की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान कुछ ऐसे प्रैस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अन्य विदेशी वाणिज्य सार्थों की दृष्टि में विदेशी मुद्रा बैंकों के भारतीयकरण के काम में कम प्रगति हुई है और यह कि इस संबंध में हमने पाकिस्तान की तुलना में भी कम प्रगति की है और पिछले 15 वर्षों के प्रयत्न के बावजूद भी हमने केवल लगभग 33 प्रतिशत भारतीयकरण किया है ।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस विशेष प्रैस समाचार की जानकारी नहीं है परन्तु वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। 1954 में इन बकों में 1,000 रु० से अधिक वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या 86 थी तथा गैर भारतीयों की 320; 1 जनवरी, 1964 को भारतीयों की संख्या 307 तथा गैर भारतीयों की 239 थी। इस आधार पर हम यह कहते हैं कि इस दिशा में कम प्रगति नहीं हुई है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान से विदेशी बकों के कार्यालयों में से निकाले गये कुछ व्यक्तियों को भारत पर थोपा जा रहा है जिससे कि भारतीयकरण की प्रगति में रुकावट आ रही है।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास कोई विशेष सूचना नहीं है परन्तु जहां तक ऊंचें वेतन पाने वाले व्यक्तियों का संबंध ह, निश्चय ही इस मामले की रक्षित बैंक द्वारा छानबीन की जाती है।

श्री स० चं० सामन्त : इस समय कितने विदेशी मुद्रा बैंक चल रहे हैं तथा उनमें 1947 तथा 1964 में कितने प्रतिशत भारतीय अधिकारी थे ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास इस समय सूचना नहीं है। मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये।

श्री सुबोध हंसदा : क्या इन बैंकों को अधिकारी संवर्ग के भारतीयकरण के लिये कोई अन्तिम तिथि निश्चित की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक प्रगतिशील उपाय है। इसमें समय लगेगा। इस बारे में कुछ बाधायें हैं, परन्तु हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has stated that there are 279 foreign officers. May I know whether there is any difference in the pay and the facilities provided to these officers and those provided to the Indian officers.

Shri B.R. Bhagat : I told about the pay. Indians holding positions in those banks on a salary of above Rs. 1,000 numbered 307 and non-Indians 239. The foreign officers are not 279 as the hon. Member has said. I am not able to give the details but no difference is made in the facilities provided to the officers drawing more than Rs. 1,000 and doing the same type of work.

Dr. Ram Manohar Lohia : Will the hon. Minister collect the information and convey it to us ?

Shri B. R. Bhagat : If you want, this information will be conveyed to you.

श्री प्रभात कार : क्या यह सच है कि ऐसे विदेशियों को बैंक सेवा में नियुक्त किया जा रहा है जिन्हें बैंक कार्य में कोई विशेष जानकारी नहीं है और उन्हें उनके पद के समान भारतीयों की तुलना में ऊंचे वेतनों पर यहां लाया जा रहा है और अब तक विदेशी मुद्रा बैंकों में किसी भी भारतीय को बैंक अब उद्योग का प्रथम पद तो दूर, दूसरा पद भी नहीं दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : ये प्रत्ययी संस्थान हैं और स्वभाविक तौर पर इनका अपना उत्तरदायित्व है। यह हमें आवश्यक तौर से उन पर ही छोड़ना पड़ता है कि व ऐसे लोगों को चुनें जिन पर वे विश्वास करते हैं। साधारणतया हम उनसे जो बात कह सकते हैं, वह यह

है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि भारतीयों का अनुपात भी बढ़े। यह कहना कि कौन प्रबन्धक हो अथवा कौन उनका विश्वस्त व्यक्ति हो, मेरे विचार में, न ही तो उचित है और न ही वांछनीय।

श्री प्रभात कार : प्रश्न यह नहीं है। मैंने यह कहा है कि बैंक कार्य संबंधी जानकारी के बिना जिन विदेशियों को यहां लाया जाता है, उन्हें भारतीयों, जिनके पास बैंक-कार्य संबंधी विशेष जानकारी होती है और डिपलोमे होते हैं और जिन्हें रंग भेद के कारण प्रथम पद तो दूर, दूसरा पद भी नहीं दिया जाता, के समान नहीं समझा जाता। मैं किसी दूसरी बात के बारे में नहीं बोल रहा हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा इसका निर्णय उनके हाथों में ही है कि कोई व्यक्ति योग्य है अथवा नहीं। हम इस बारे में निर्णय नहीं कर सकते।

Shri Joachim Alva : During the past ten years, the Government have set up two foreign banks here, namely the Bank of America and the Bank of the Middle East which is inconspicuous. In these two banks they have employed a negligible number of Indian officers drawing a salary of Rs. 2,000 and Rs. 3,000 ; there is no Indian officer drawing high salary in Accounting Department and Foreign Exchange, Loans and vital Investment Departments. May I know the reasons therefor ?

Mr. Speaker: Shri Prabhat Kar asked the same very question.

Recovery of Smuggled Goods from Locomotives

*1208. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Quetion No. 510 on the 1st October 1964 and state :

(a) whether the investigations made into the smuggling of transistors, tape recorders and other consumer goods which were found inside packags concealed in the cabs of some locomotives imported by the Diesel Locomotive Works, Varanasi from the U.S.A., have since been completed ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the action taken or proposed to be taken against the officials conerned ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) Investigations are in progress and are nearing completion.

(b) and (c) Some show cause notices have been issued and penalties totalling Rs. 20,000/- have been imposed upto now. On completion of investigations, appropriate further action will be taken against the persons concerned.

Shri Vishram Prasad : It is ten months back when the goods were seized. I want to know the names of officers, both high and small, involved in it. You may tell the names of 2 or 4 officers. To what extent has it affected the smuggling ?

Shri B. R. Bhagat : 23 persons have been served with notices, so far. Railway officers and the officers of the Company Elco are involved. The names can only be given after the enquiry has been completed but it would not be proper to give their names.

Shri Vishram Prasad : When will this enquiry be completed and of the 23 persons who were served with notice, how many have been suspended ?

Shri B.R. Bhagat : The notice has just been served. It is difficult to say anything till the enquiry has been completed but every effort is being made to complete the enquiry quickly.

Mr. Speaker : Has some body been suspended ?

Shri B.R. Bhagat : No body has been suspended so far.

Shri Radhe Lal Vyas : Is it a fact that these goods were bound for some other destination, but for the change of destination these goods would never have been seized ? I want to know why the involved officers have not been suspended and what are the difficulties in suspending them.

Shri B.R. Bhagat : The matter is being looked into. It is difficult to say anything just now. We will proceed in the matter after sufficient evidence has been gathered.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ बहुत उच्च अधिकारी और अमरीकन भी इस मामले में ग्रन्तग्रस्त हैं और इसी कारण यह जांच बिना विलम्बित किये हुये चल रही है। क्या बिना उनको निलम्बित किये हुये निष्पक्ष जांच हो सकती है, यदि नहीं तो उन्हें क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री ब० रा० भगत : जब कारण बताओ नोटिसों का उत्तर आ जायेगा, सबूत इकट्ठा हो जायेगा, तब अभियोग चलाया जायेगा और जब यह सब कार्यवाही पूरी हो जायेगी तो संबंधित अधिकारियों को निलम्बित किया जायेगा। परन्तु अभी ऐसा करना उचित नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां

*1198. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **वित्त** मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मद्रास चिट फन्ड अधिनियम, 1961 के लागू होने के पश्चात् दिल्ली में चिट-फन्ड कम्पनियों पर कितने मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इन कम्पनियों के कार्यकरण में कितना सुधार हुआ है; और

(ग) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 30 अप्रैल, 1965 तक जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) दो ।

(ख) 15 जुलाई, 1964 से, जब से मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 जिसे दिल्ली में भी लागू किया गया है, अमल में लाया गया, तब से अब तक लगभग 365 उप-नियम (बाई-लाज़) रजिस्टर किये गये हैं । आशा है कि इस अधिनियम के लागू किए जाने के बाद और इन उप-नियमों के अनुसार शुरू किये गये सभी चिट फण्डों का संचालन ठीक तरह से किया जायगा और खासतौर से ग्राहकों (सब्सक्राइवर्स) को दी जाने वाली रकमों का भुगतान देर किये बगैर किया जायगा ।

(ग) इस अधिनियम के लागू किये जाने के बाद से अब तक 144 शिकायतें आयी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शिकायत इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार शुरू किये गये किसी भी चिट फण्ड के बारे में नहीं है । शिकायतों की जांच की गयी है और जहां आवश्यक समझा गया, पुलिस अधिकारियों के परामर्श से भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पिनल कोड) की तत्सम्बन्धी व्यवस्थाओं के अधीन कार्रवाई की गयी या करने का विचार है ।

अमरीकी ऋण पर ब्याज

*1199. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आज तक अमरीकी तथा दूसरे ऋणों पर, जो सहायता के रूप में प्राप्त हुए, नियमित रूप से ब्याज का भुगतान करती रही है ।

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों में प्रत्येक वर्ष ऐसे ब्याज का कितना तथा किस मुद्रा में भुगतान किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार इन ऋणों का परिसमापन या अपलेखन कराने अथवा इन ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय दायित्व के आधार पर एक फाउन्डेशन बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4362/65]

(ग) जी नहीं ।

महात्मा गांधी की समाधि

*1201. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट, दिल्ली पर महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) मुख्य समाधि का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें कोर्टयार्ड, संगमरमर के बैरियर्स तथा आसपास के मिट्टी के टीले शामिल हैं। आस पास की भूमि पर, बगीचों, छिछली झीलों, शैल्टरों आदि के विकास का कार्य चल रहा है।

(ख) लगभग 38 लाख रुपये।

(ग) लगभग एक वर्ष के अन्दर।

नर्मदा जल का विकास

*1203. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोया :
श्री कनकसबै :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा के पानी से कितनी सिंचाई होने की तथा बिजली पैदा होने की संभावना है ;

(ख) क्या खोसला समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसमें क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन अभी तक पेश नहीं किया गया है तो वह इस समय किस अवस्था में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इसका पता खोसला समिति की रिपोर्ट मिलने पर लगेगा।

(ख) तथा (ग) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। रिपोर्ट के शीघ्र प्रस्तुत होने की संभावना है।

भारत सेवक समाज

*1209. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-लेखा समिति द्वारा हाल में भारत सेवक समाज के संबंध में व्यक्त किये गये विचारों की दृष्टि से भारत सेवक समाज का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार इसकी गतिविधियों पर, विशेषत: इसे दिये गये सरकार धन तथा अन्य लोकनिधि के लेखे-जोखे पर, अधिक नियंत्रण रख सके ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) : लोक लेखा समिति ने लोक सभा के पटल पर दिनांक 12 अप्रैल 1965 को रखे गये अपने प्रतिवेदन में, अन्य विषयों के अलावा इस बात की भी सिफारिश की है कि भारत सेवक समाज का पुनर्गठन किया जाय। इस सिफारिश की जांच की जा रही है ।

Nehru Commemorative Coins

*1210 **Shri Yashpal Singh** :
Shri Kapur Singh :
Shri Indrajit Singh Gupta:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the report appearing in the 'Patriot' dated 14th April, 1965, regarding the huge demand in the U.S.A. for Nehru Commemorative Coins ;

(b) the number of coins exported so far ;

(c) whether it is a fact that the coins are being sold abroad at much higher value ; and

(d) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) The Reserve Bank has so far granted export licences for seven Re. 1/- and seven 50 P Nehru Commemorative Coins. They have also issued an export licence of 2000 Re. 1/- Nehru Commermorative Coins in favour of Lion International for issue to American citizens who may donate eye glasses to the Lions for free distribution in India, but these coins have not been taken so far from the Reserve Bank. The Reserve Bank has, however, granted permission since Ottober, 1964 for export of 10806 ordinary Re. 1/- coins and 14218 ordinary 50P coins. Under the authority of these licences it is possible that some Nehru Commemorative Coins may have come to be exported but their details are not available.

(c) While no definite information is available, there are reports that Nehru Commemorative Coins are being sold abroad at very high prices.

(d) The quetion whether the sale of Nehru Commemorative Coins abroad should be made and if so, the agency through which it should be made and the price which should be charged is under the consideration of the Government.

दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को हटाना

*1211 **श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कार्यालयों के लिये स्थान की कमी दूर करने के लिये केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को नागपुर जैसे स्थानों पर ले जाने का विचार संबंधित मंत्रालयों के विरोध के कारण अब छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों ने क्या आपत्तियां उठाई थीं ; और

(ग) राजधानी में कार्यालयों के लिये स्थान की कमी दूर करने के लिये क्या अन्य प्रबन्ध करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को दिल्ली के बाहर के स्थानों पर भेजने का प्रस्ताव छोड़ा नहीं गया है, परन्तु निर्णय को कार्यान्वित करने में पर्याप्त कठिनाई अनुभव की गयी है। यह कुछ तो उन स्थानों में जहां कार्यालयों को भेजने का प्रस्ताव था, कार्यालय तथा रिहायश के लिये समुचित स्थान की कमी के कारण है और कुछ संबंधित कार्यालयों के द्वारा दिल्ली के बाहर जाने में कार्य का नुकसान होने के आधार पर हिचकिचाहट के कारण है।

(ग) दिल्ली के बाहर भेजें जाने वाले कार्यालयों में से कुछ को फरीदाबाद भेजने का प्रस्ताव है जहां निर्माण कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा होने को है। ऐसे कार्यालयों के लिये फरीदाबाद के द्वितीय चरण में तथा गाजियाबाद में कार्यालय तथा रिहायशी वास के निर्माण को तेज़ करने का भी प्रस्ताव है।

केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन

*1212. **श्री बृजवासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के सहयोग से एक केंन्द्रीय स्वास्थ्य संगठन स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस स्थान पर;

(ग) इस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(घ) संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) किन शर्तों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य संगठन स्थापित करने को तैयार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) : जी हां।

(ख) दिल्ली में या दिल्ली के नज़दीक, 1965–66 में।

(ग) 1,76,000 रुपये प्रति वर्ष आंवर्ती तथा 20,000 रुपये अनावर्ती।

(घ) इस कार्यक्रम के लिये यूनिसेफ की सहायता की शर्तें अभी विचाराधीन हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया व्यवसाय

*1213. **श्री अल्वारेस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने 1964–65 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम व्यवसाय किया ;

(ख) कुल व्यवसाय में इस हानि के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का आशा के अनुकूल व्यवसाय बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) वर्ष 1964-65 के दौरान निगम द्वारा पूर्ण किया गया कुल नया व्यवसाय 701 करोड़ रुपये की राशि का था जबकि 1963-64 के दौरान 702·76 करोड़ रुपये का ।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में यह कमी सीमान्त प्रकार की है । इस सीमान्त कमी के लिये कोई विशेष कारण नहीं दिया जा सकता ।

(ग) जीवन बीमा निगम नए व्यवसाय को सारभूत रूप से बढ़ाने के लिये सचेत है । निगम को इस दिशा में अपेक्षित सहायता देने के लिये सरकार भी स्थिति का अध्ययन कर रही है ।

पानी का दूषित होना

1214. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:**
श्री बूटा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार देश में जल दूषण के प्रभावशाली नियंत्रण के लिये विधान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या तीन-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने ऐसा विधान बनाने की सिफारिश की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसके प्रतिवेदन में केन्द्र तथा राज्यों में जल दूषण नियंत्रण बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) इस समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

यूनिट ट्रस्ट

*1215. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किये गये एककों को दोबारा बेचने के सम्बन्ध में क्रियाविधि सम्बन्धी मामलों को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) यूनिटों को फिर से ट्रस्ट के ही हाथ बेचने की प्रणाली निर्धारित की जा चुकी है और उसमें संशोधन करने का विचार नहीं है । जहां तक

यूनिट योजना में संशोधन करने का सम्बन्ध है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार, जैसे कि वे इस समय हैं, एक से अधिक योजनाओं के अधीन यूनिटों की बिक्री नहीं की जा सकती। यूनिटों को बेचने या फिर से खरीदने के मूल्यों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब ट्रस्ट के खाते बंद कर दिये जायेंगे और जून, 1965 के अन्त तक का लाभांश घोषित कर दिया जायेगा ।

विदेश जाने वाले भारतीय डाक्टर

1216. **श्री कपूर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने निदेश दिये हैं कि चिकित्सा अर्हता प्राप्त भारतीयों को, कुछ अथवा किसी भी परिस्थिति में विदेश जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाये, चाहे प्रव्रजन के इच्छुक व्यक्तियों की राज्य सरकार ने उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो आब्जेकशन सर्टिफिकेट) भी दे दिया हो; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4363/65]**

लोदी हाउस, दिल्ली

*1217. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी हाउस, नई दिल्ली, को जून, 1965 से होटल बनाने का विचार

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे बदलने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) दिल्ली के होटलों में स्थान (बैड्स) की कमी के कारण ।

बम्बई में सरकारी कर्मचारी को छुरा मारना

*1218. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :

डा० उ० मिश्र :
श्री बागड़ी :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय के उपनिदेशक को, बम्बई में लेखावाह्य धन का पता लगाने के लिए एक छापा मारते समय, छुरा मार दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं अन्य कर्मचारियों को भी छुरे मारे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और भविष्य में सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । परन्तु प्रवर्तन निदेशालय बम्बई के चार अन्य अफसरों को मामूली चोटें लगीं ।

(ग) स्थानीय पुलिस को रीतिवत् रिपोर्ट की गई थी जिन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है ।

अब तक तेरह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं ।

जहां तक भविष्य में अफसरों की सुरक्षा का सवाल है, प्रवर्तन निदेशालय के ऐसे अफसरों को, जो अपने साथ हथियार ले जा सकते हैं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण छापों पर जाने से पूर्व अपने साथ हथियार ले जाने की सलाह दी जा रही है । अन्य मामलों में निदेशालय के कर्मचारियों को आवश्यक पुलिस-मदद प्राप्त करने की सलाह दी जा रही है ।

राज्यों के घाटे के आयव्ययक

*1219. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि 1965-66 में प्रायः सभी राज्यों के आय-व्ययक घाटे के हैं ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई सलाह दी गई है तो वह क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को इस बात का पता है कि यदि बजटों में दिखाये गये घाटे यथार्थ सिद्ध हुए, तो चौथी पंचवर्षीय आयोजना कम साधनों से ही शुरू करनी पड़ेगी ।

(ग) राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए पर्याप्त साधन जुटाने के सम्बन्ध में पक्की व्यवस्था करना जरूरी है ।

शहरी क्षेत्रों का विकास

*1220. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये बोर्ड बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्डों के सही-सही कार्य तथा गठन क्या होगा; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4364/65]**

(ग) राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।

यमुना जल का दूषित होना

*1221. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 8 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यमुना जल के दूषित होने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रथम प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की उपपत्तियां तथा निष्कर्ष दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4365/65]**

(ग) प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी गई हैं ।

अमरीकी पर्यटकों का व्यय

*1222. **श्री अल्वारेस :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस आशय का कोई सुझाव दिया है कि अमरीकी पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला व्यय पी. एल. 480 निधि में से पूरा किया जाये ;

(ख) इस प्रस्ताव से विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि होगी ; और

(ग) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) यह मान लिया गया है कि 30 सितम्बर, 1964 के पी. एल. 480 करार (संशोधित) के अनुसार अमरीकी सरकार को प्राप्त

होने वाले रुपयों में से अमरीकी सरकार अमरीकी पर्यटकों और नागरिकों के हाथ बेचने के लिए रुपयों में, 20 लाख डालर के बराबर की रकम का इस्तेमाल कर सकती है ।

शाहदरा, दिल्ली के विस्थापित व्यक्ति

*1223. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस कार्यवाही के कारण जी० टी० रोड दिल्ली शाहदरा, पर स्थित अपने मकानों से निकाले गये बहुत से लोगों ने, जो अब शान्ति बन, नई दिल्ली, के समीप भूख हड़ताल पर हैं, सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिस में उन्होंने अपनी शिकायतों और मांगों का वर्णन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां । हड़ताल अब समाप्त हो गई है ।

(ख) मोटे तौर पर उनकी मांग है कि जिन मकानों से उन्हें निकाला गया है उनको आवंटित कर दिये जायें ।

(ग) जी० टी० रोड शाहदरा पर स्थित मकान गंदी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत बनाये गये थे, तथा वे गन्दी बस्तियों से हटाये गये व्यक्तियों के लिए हैं । क्योंकि इन मकानों से हटाये गये व्यक्ति पात्र गन्दी बस्ती-निवासी नहीं हैं इसलिए उन्हें इन मकानों में वास आवंटित नहीं किया जा सकता ।

Water-Logging in U.P.

3147. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the total area affected by water-logging in U.P. during 1964-65 ; and

(b) the amount of Central assistance given during the same period for effective improvement of the areas affected by water-logging.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) In U.P., except in isolated places such as those adjacent to highly embanked perennial canals, where water comes close to the surface due to seepage from the canals this problem is not serious and, therefore, no records have been prepared of the extent of lands affected. Data in this regard are now being collected. However, due to heavy rainfall and flooding in the last monsoon, nearly 3·7 lakh acres are reported to have been affected by drainage congestion in Meerut and Muzaffarnagar districts.

(b) A loan of Rs. 175·81 lakhs was sanctioned to the Government of Uttar Pradesh for financing Flood Control, anti-water-logging and drainage schemes in the State for the year 1964-65.

परिवार नियोजन क्लिनिक

3148. श्री वीरप्पा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मैसूर के देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में इस समय कितने परिवार नियोजन क्लिनिक काम कर रहे हैं; और

(ख) 1965-66 में उस राज्य में कितने क्लिनिक खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस समय मैसूर राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की संख्या क्रमश: 164 तथा 43 है ।

(ख) 1965-66 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की संख्या क्रमश: 107 तथा 10 है ।

Rural Electrification in Myore State

3149. Shri Veerappa : Wi ll the Minister **of Irrigation and Power** be pleased to state :—

(a) the amount allocated for rural electrification work in Mysore State during 1964-65;

(b) whether this amount was fully utilised during the above period ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The amoaunt llocated by the Government of India for rural electrification works in Mysore State during 1964-65 is Rs. 110 lakhs.

(b) Yes; in fact the actual expenditure during first three quarters was 113·75 lakhs.

(c) Does not arise.

परियारम तपेदिक आरोग्य आश्रम (सेनीटोरियम)

3150. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परियारम तपेदिक आरोग्य आश्रम (केरल) में नर्सों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की कमी के कारण आरोग्य आश्रम का काम ठप्प पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए कब और क्या उपाय किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) परियारम क्षय आरोग्याश्रम में 2 हैड नर्स और 17 स्टाफ नर्स हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस सेनेटोरियम में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

एर्नाकुलम जल-निस्सारण योजना

3151. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) एर्नाकुलम जल-निस्सारण योजना पर कार्य कब आरम्भ हुआ ;

(ख) उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) यह काम कब पूरा होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) एर्नाकुलम जल-निस्सारण योजना का कार्य फरवरी, 1956 में शुरू किया गया था ।

(ख) सितम्बर, 1964 तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

(1) सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट पूरा हो गया है ।

(2) आपरेटरों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए अर्जित क्षेत्र का री-क्लेमिंग तथा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के अहाते के नीची सतह वाले क्षेत्र को भरने का काम पूरा हो गया है ।

(ग) सितम्बर, 1964 तक 18.30 लाख रुपये खर्च किये गये ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ।

केरल में भूमि न्यायाधिकरण

3152. श्री अ० क० गोपालन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल कृषि सुधार अधिनियम के लागू होने के पश्चात् केरल में भूमि न्यायाधिकरणों में कितनी याचिकाएं दायर की गई;

(ख) कितनी याचिकाओं पर निर्णय किया गया;

(ग) कितनी याचिकाएं अनिर्णीत पड़ी हैं ; और

(घ) केरल कृषि सम्बन्धी अधिनियम के आधार पर कितनी याचिकाएं दायर की गईं और कितनी याचिकाओं पर निर्णय दिया गया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) केरल भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1964 से, भूमि न्यायाधिकरणों के सामने 14,836 याचिकायें दायर की जा चुकी हैं ।

(ख) 1,900 ।

(ग) 12,936 अनिर्णीत पड़ी हैं ।

(घ) केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम के अनुभाग 16 के अन्तर्गत 54,376 याचिकायें दायर की गईं और उन पर केरल भूमि सुधार अधिनियम के अनुभाग 132(4) के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है । इन में से 25,290 का निबटारा किया जा चुका है ।

केरल में तपेदिक आरोग्य आश्रम (सेनीटोरियम)

3153. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल में कितने तपेदिक आरोग्य आश्रम हैं और उनमें कुल कितने बिस्तर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में त्रिचूर में थाट्टिल कोइम्बरीड तपेदिक क्लिनिक भवन गिरा दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) केरल राज्य में 3 क्षय आरोग्याश्रम हैं । जिनमें 1018 बिस्तर हैं ।

(ख) और (ग) : जी नहीं । भवन में दरार पड़ जाने के कारण वार्ड का एक भाग रोगियों को भर्ती करने के लिये असुरक्षित बतलाया गया था और इस वार्ड के अन्तरंग रोगी यहां से लगभग 3 मील दूर स्थित के० वी० सेनेटोरियम, मुलनकुन्नाथुकाबू में स्थानान्तरित कर दिये गये थे ।

(घ) जिन रोगियों को अन्तरंग उपचार की आवश्यकता होती है उन्हें नियमित रूप से टी० बी० सेनेटोरियम मुलनकुन्नायुकाबू भेज दिया जाता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 500 टी० बी० के पृथक्करण पलंग बनाने का विचार है जिनमें से 224 पलंगों के बनाने का कार्य पहले से ही आरम्भ किया जा चुका है और शेष पलंगों का निर्माण कार्य जारी है । चौथी पंचवर्षीय योजना में 300 पलंग और बढ़ाने का विचार है ।

बिहार में ग्रामीण आवास

3154. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में बिहार को ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई तथा कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) नियत राशि उपयोग करने में कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन नियत राशियों का उपयोग करने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित शर्तों में क्या अन्तर है ;

(घ) क्या किसी राज्य में इन ऋणों के वितरण में प्रक्रिया सम्बन्धी किसी दोष का पता लगा है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस राज्य में तथा किस प्रकार का ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) राज्य सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में 1963–64 तथा 1964–65 के लिए क्रमश: 1.40 लाख रुपये तथा 1.55 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा 1–4–63 से 31–12–64 तक केवल 2.14 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया है ।

(ख) ग्रामीण आवास प्रायोजनाओं की योजना के अन्तर्गत खर्चे में हुई गिरावट के सामान्य कारण हैं—(1) योजना को निम्न प्राथमिकता का दिया जाना (2) ग्रामीणों को मौके पर ही तकनीकी मार्ग प्रदर्शन के लिए तकनीकी व्यक्तियों की कमी (3) साधारण ग्रामीण की अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ऋण की वापस अदायगी की कम क्षमता ।

(ग) राज्य सरकारों को स्थानीय स्थिति देखते हुए योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपने नियम बनाने की स्वतंत्रता दे दी गयी है । फिर भी नियमों को योजना की सामान्य संरचना के अनुरूप होना है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल ही नहीं उठता ।

ग्रामीण बचत

3155. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण बचत का उपयोग करने के लिये प्रयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनरियों के तुलनात्मक लाभ क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): गांव वालों की बचतों को प्राप्त करने वाली संस्थाओं में डाकखाना बचत बैंक, भारतीय राज्य बैंक की शाखाएं और अन्य वाणिज्यिक बैंक, फसल कटते या लगभग उसी समय ग्रामीण-ऋणपत्र (रूरल डिबेंचर) जारी करने वाले भूमि बंधक बैंक और सहकारी ऋण अथवा बचत समितियां शामिल हैं । इन संस्थाओं का क्रियाकलाप एक दूसरे का पूरक होता है, इसलिए किसी एक संस्था के दूसरी संस्था से अधिक प्रभावी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Development of Ayurveda

3156. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) the amount actually granted to the Maharashtra State for the development of Ayurvedic System in that State and the amount actually utilized therefor during 1964-65; and

(b) the amount proposed to be sanctioned to that State for that purpose during 1965-66 ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) On the basis of the anticipated expenditure reported by the Government of Maharashtra for the implementation of the Centrally Sponsored Research Schemes in Ayurveda, a sum of Rs. 0·84 lakh has been sanctioned provisionally to the State Government during 1964-65 subject, however, to the final adjustment during 1965-66. Central assistance is also being released to the State Government through Ways and Means Advances in respect of all Centrally aided Health Schemes which, among others, in the development of indigenous systems of medicine *viz.* Ayurveda, Unani, Nature Cure, Yoga and Homoeopathy. Provision in respect of these schemes is made in the State budgets and Central assistance is sanctioned in lumpsum in 1964-65 a grant-in-aid of Rs. 127·52 lakhs has been provisionally sanctioned to the State Government for all Centrally aided Schemes including indigenous systems of medicine. The amount actually released for the development of Ayurvedic System of Medicine and the amount utilised by the State Government therefor are not known.

(b) No allocation has so far been made for the year 1965-66.

कालीकट चिकित्सा कालेज अस्पताल

3157. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीकट चिकित्सा (मेडिकल) कालेज अस्पताल, केरल में पिछले तीन महीनों से एक्सरे फिल्मों के अभाव के कारण कोई एक्सरे नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल को एक्सरे फिल्म देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस अस्पताल में प्रतिदिन औसतन कितनी एक्सरे फिल्मों की आवश्यकता पड़ती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं। एक्सरे फिल्म लेना पिछले तीन सप्ताहों से आपाती रोगियों तक ही सीमित किया गया है। क्योंकि अनुमत संभारक इनका सम्भरण नहीं कर सका।

(ख) कन्ट्रैक्ट-रेट से बाहर की फर्मों से सम्पर्क किया गया है और किसी दूसरे कन्ट्रैक्ट के होते ही सामान्य कार्य फिर शुरू हो जायेगा।

(ग) इस अस्पताल में प्रतिदिन 150 से 200 फिल्में प्रयुक्त की जाती हैं।

ब्रिटेन तथा अमरीका द्वारा पूंजी विनियोजन

3158. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1964 को अमरीका तथा ब्रिटेन की भारत में कुल कितनी पूंजी लगी पूंजी हुई थी ;

(ख) 1963 के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक ; और

(ग) 1963 तथा 1964 में इन देशों को लाभ के रूप में कितनी राशि भेजी गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). 1961 के अन्त में भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की क्रमश: 95.9 करोड़ रुपये और 447.6 करोड़ रुपये की कुल व्यापारिक पूंजी लगी हुई थी। बाद के वर्षों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

1960 और 1961 के बीच, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा लगाई गयी पूंजी में क्रमश: 22.9 करोड़ रुपये और 15.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ग) चालू और संचित दोनों प्रकार के लाभ के रूप में इन देशों को भेजी गयी रकमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

	1963	1964 जनवरी–सितम्बर
अमेरिका	0.84	0.66
ब्रिटेन	12.96	8.62

राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा

3159. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **योजना** मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 507 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा उन चीजों के परीक्षण के लिये, जिनके अपमिश्रित होने का सन्देह हो प्रयोगशालाएं खोलेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): फिलहाल, राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा के द्वारा इस प्रकार की प्रयोगशालायें खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

New Currency Notes

3160. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are going to issue a new series currency notes in the near future;

(b) if so, the denomination of these series;

(c) the difference between the old and these new currency notes;

(d) whether the effigy of any national leader will be incorporated in these new notes; and

(e) if so, the name of that leader.

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari): (a) to (c). The matter is under the consideration of the Government. The denominations will be the same but there will be some changes in the sizes of these notes.

(d) There is no intention to incorporate the effigy of any national leader in the designs of Currency Notes.

(e) Does not arise.

चण्डीगढ़ में रिहायशी मकान

3161. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चण्डीगढ़, पंजाब में रिहायशी मकानों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वहां स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए क्या प्रबन्ध किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल पूल में *रिहायशी* मकान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का लोक निर्माण विभाग

3162. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोक निर्माण विभाग की स्टोर्स तथा वर्कशाप डिवीजन की अनियमितताओं के बारे में 24 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनियमितताओं की जांच अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). पूछताछ अन्तिम स्थिति में है। जैसे ही जांच की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी, उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न उठाया जायेगा।

बाढ़ आपात के लिए आर्मी यूनिट

3163. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री बाढ़ आपात के लिए आर्मी यूनिट बनाने के बारे में 24 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1855 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इर्विन अस्पताल के रोगी

3164. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री इर्विन अस्पताल से रोगियों के **गुम** हो जाने संबंधी 24 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रयत्नों के बावजूद वे श्री कांशी राम का अभी तक पता नहीं लगा सके हैं।

साम्यवादी प्रोपेगण्डा साहित्य का चोरी छिपे आना

3165. **श्री प्र० के० देव :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रचार सामग्री के नाम से साम्यवादी प्रोपेगण्डा साहित्य देश में चोरी-छिपे लाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। केवल उसी किस्म के आपत्तिजनक साहित्य को देश में आयात करने की अनुमति नहीं है जो भारत सरकार की अधिसूचनाओं सीमा शुल्क 77 दिनांक 22-9-1956, 158 दिनांक 26-11-59, 25 दिनांक 9-3-1960 और 152 दिनांक 21-11-64 में निर्दिष्ट हैं। इस किस्म के साम्यवादी प्रोपेगण्डा साहित्य को प्रचार सामग्री के रूप में भी देश में आयात नहीं किया जा सकता।

सामान्य प्रचार सामग्री के अंग के रूप में आपत्तिजनक साहित्य के आयात किये जाने से सम्बन्धित प्रयत्न का कोई विशिष्ट मामला नहीं देखा गया है, यद्यपि पिछले दो वर्षों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में आपत्तिजनक प्रोपेगण्डा साहित्य पकड़ा गया है।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन

3166. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने विकास प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक निरन्तर कार्यक्रम चालू करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या आयोग ने इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अनुसंधान संस्थाओं से सहयोग मांगा है ; और

(ग) क्या इन अध्ययनों पर, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिये, गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा पुनः विचार किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ल० रा० भगत) : (क) से (ग). केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों और प्रबन्ध तथा प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिक संगठनों के सहयोग से प्रबन्ध तथा प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययनों का निरन्तर कार्यक्रम चालू रखने के लिये, योजना कार्य समिति योजना आयोग ने एक प्रबन्ध तथा प्रशासन अनुभाग की स्थापना की गई है। प्रशासन के क्षेत्र में, सामान्यतया सार्वजनिक प्रशासन की अपेक्षा विकास प्रशासन की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

2. शुरुआत में यह प्रभाग विकास कार्यक्रमों के आयोजन से सम्बन्धी सामग्री, बजट बनाने, क्षेत्रीय विकास योजनाओं के आयोजन की समस्याओं का विश्लेषण और समन्वय करने, राज्यों से केन्द्र को मुख्य क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का विश्लेषण तथा विकास कार्य के सम्बन्ध में गैर-सरकारी नागरिकों, नेताओं के प्रशिक्षण के विषय एवं प्रणाली के कार्यों में लगा हुआ है।

3. प्रबन्ध तथा प्रशासन प्रभाग का सामान्य संगठन तथा रीति अध्ययनों से कोई मतलब नहीं है। यह प्रभाग गृह मंत्रालय तथा राज्यों में किये जाने वाले कार्यों से सम्पर्क बनाये रखेगा और अन्य एजेंसियां इससे जो भी सहायता मांगेंगी उनके अनुसार सहायता देगा। राज्यों में प्रशासनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा राज्य सरकारों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के सार्वजनिक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के विभागों में अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष प्रयत्न करेगा।

उड़ीसा में पंचायत समिति उद्योग

†3167. { **श्री राम चन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को राज्य में पंचायत समिति उद्योग स्थापित करने के लिये 1964–65 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1965–66 में उसी प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि नियत की गई ह ;

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा राज्य सरकार को ग्राम तथा लघु उद्योगों के बारे में सभी योजनाओं के लिये केन्द्र ने सहायता दी है। 1964–65 के लिये कुल 85 लाख रुपये दिये गये हैं। (55 लाख ऋण और 30 लाख अनुदान) और इसमें पंचायत समिति उद्योगों के लिये सहायता भी शामिल है।

(ग) वर्ष 1965–66 के लिये केन्द्र की उड़ीसा के लिये सहायता वित्त मंत्रालय शीघ्र ही पूर्ण कर देगा और उसकी फिर उसको सूचना दे दी जायेगी।

प्राकृतिक उपचार केन्द्र

3168. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में विभिन्न प्राकृतिक उपचार केन्द्रों को 1964–65 में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को 1964–65 में आर्थिक सहायता इस प्रकार दी गई है :—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	राशि (रुपये में)
	1. अनुसंधान कार्य के लिए	
1	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल अमीरपेट, हैदराबाद	10,000
2	दी फाउण्डर ट्रस्टी, गांधी नेचर क्योर क्लिनिक, बापटला	3,000
3	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, डबरूगढ़	2,637
4	तपोवर्द्धन प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, भागलपुर	2,000
5	सार्वजनिक प्राकृतिक चिकित्सा गृह, मुजफ्फरपुर	2,730
6	आतुर सेवा संघम्, कोट्टयम	2,000
7	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, नागपुर	4,500
8	प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर, जयपुर	2,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम	राशि (रुपये में)
	2. प्रशिक्षण के लिए	
1	श्री रामकृष्ण प्राकृतिक आश्रम, भीमवरम	12,000
2	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, वाराणसी	10,000
3	प्राकृतिक निकेतन ट्रस्ट, कलकत्ता . . .	70,000

उड़ीसा में भारत के राज्य बैंक की शाखा

3169. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उड़ीसा में भरत के राज्य बैंक की कितनी शाखाएं हैं तथा वे किन-किन स्थानों में कार्य कर रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): स्टेट बैंक की देश में 32 शाखायें हैं और उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित स्थानों में इसकी शाखायें हैं :

(1) अंगुल
(2) अस्का
(3) बालासोर
(4) बारगढ़
(5) बारुईपाड़ा
(6) बैरामपुर (गंजम)
(7) भद्रक
(8) भंजनगर
(9) भवानीपटना
(10) भुवनेश्वर
(11) बोलनगिर
(12) चतुर
(13) कटक
(14) ढेंकानल
(15) जाजपुर
(16) जयपुर
(17) केन्द्रपाड़ा
(18) क्योंझर

(19) खुर्द

(20) कोरापुट

(21) नवापर

(22) नयागढ़

(23) पारलाखेमुन्डी

(24) फूलबनी

(25) पुरी

(26) रायरंगपुर

(27) रायगढ़

(28) रुड़केला

(29) साम्बलपुर

(30) सुन्दरगढ़

(31) तालचेर

(32) टिटिलागढ़

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3170. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये कटक तथा रामगड़ा में रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): कटक तथा रामगड़ा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण को आस्थगित करना पड़ा है।

राज्यों में मानसिक रोगियों का सर्वेक्षण

3171. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री चंडक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में मानसिक रोगियों की संख्या में हुई बृद्धि के कारणों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ?

(ख) क्या यह सच है कि 1955–65 की अवधि में राजस्थान में मानसिक रोगियों की संख्या में शत प्रतिशत बृद्धि हुई है; और

(ग) उन विशेषज्ञों के निष्कर्ष क्या हैं जिन्होंने मानसिक रोगों के फैलने के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). यद्यपि मानसिक रोग की व्यापकता का निर्धारण करने के लिये कदम उठाये गये हैं तथापि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राजस्थान या किसी अन्य स्थान में मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ग) मानसिक रोग पैतृक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और समाजिक तत्वों की जटिल पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है । इस रोग के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

1. भावात्मक सुरक्षा का अभाव
2. सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे से मेल न खाना और उससे उत्पन्न असंतोष ।
3. सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने वाला तथा जीवन में अधिक क्रियाशीलता पैदा करने वाला द्रुत उद्योगीकरण एवं शहरीकरण ।
4. भिन्न-भिन्न कारणों से पैदा होने वाली चिन्तायें ।
5. मद्यपान जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाने का कारण हो सकता है ।
6. सामान्य चिकित्सकों द्वारा साईकोट्रोपिक औषधियों का अविवेकपूर्ण प्रयोग ।
7. भारत का विभाजन तथा शरणार्थी समस्या जिसने गांवों में बहुत से व्यक्तियों से पैतृक घर की सुरक्षा छीन ली है । जहां वे बीमारी की अवस्था में रोज़गार रहित होने और अन्य किसी असाधारण भार और अतिश्रम की परिस्थिति में तथा सामाजिक सुरक्षा की किसी अन्य व्यापक पद्धति की अनुपस्थिति में जा सकते थे ।

छिपे धन का निर्धारण

3172. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री 18 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान काले धन का अनुमान लगाया जा चुका है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ख) क्या सरकार ने सदाचार समिति द्वारा इस सम्बन्ध में एकत्रित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं ताकि उनके ठीक होने की जांच की जा सके और इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सके।

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी : (क) देश में काले धन की सीमा का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुख्य मूल्यांकन अधिकारियों के पद

3173. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति, 1958 ने सिफारिश की थी कि मुख्य मूल्यांकन अधिकारियों (प्रिंसिपल अप्रेजर्स) के पदों का स्तर प्रथम श्रेणी का होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश क्रियान्वित कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मूल्यांकन (अप्रैजिंग) विभाग के पुनर्गठन के लिये एक योजना बनाई गई थी परन्तु 1962 में आपात्कालीन स्थिति उत्पन्न होने से उसे छोड़ना पड़ा । मामले पर अब पुन: विचार किया जा रहा है ।

सीमा-शुल्क विभाग में मूल्यांकन अधिकारी (अप्रेजर)

3174. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार रोक सन्तानम समिति ने सीमा शुल्क विभाग में मूल्यांकन अधिकारियों के वेतन तथा पदस्तर बढ़ाने के लिये कोई सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

विद्युत् शक्ति सर्वेक्षण समिति

3175. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ग० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् शक्ति सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव : (क) विद्युत् शक्ति सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट इस मास में प्राप्त हो जाएगी, ऐसी सम्भावना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Smuggling at Porbandar

3176. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact, that on the 8th March, 1965, the Customs Officer at Porbandar seized contraband goods such as blades and cigarettes valued about

Rs. 2 Lakhs from a lunch 'M.V. Murshidi', which had arrived there from Dubai in the Persian Gulf;

(b) if so, the details of the articles seized; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) On the 7th March 1965 Customs Officers at Porbandar seized contraband goods worth about Rupees 2 lakhs from a mechanised vessel M.V. AL MURSHIDI which had arrived at the port from Dubai in the Persian Gulf.

(b) The details of the articles seized are as follows :—

S.No.	Description	Value (in Rs.)
1.	Textiles	87,855·00
2.	Saffron	27,000·00
3.	Mechanical Lighters	28,425·00
4.	Nail-Cutters	1,800·00
5.	Blades	35,220·00
6.	Perfumes	1,750·00
7.	Watch-straps	19,855·00
8.	Fountain pens	675·00
9.	Miscellaneous goods like ash-trays, playing cards etc.	141·00
	Rs.	2,02,751·00

(c) The vessel was seized and the tindal and the crew were arrested. The case is under investigation.

इस्पात कारखानों को विश्व बैंक से सहायता

3177. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावित पांचवें कारखाने के प्रति बैंक का क्या रवैया है ;

(ग) क्या बैंक ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत में समस्या यह है कि वाणिज्यिक व्याज दर बहुत अधिक है और धन वापिस करने की अवधि बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) विश्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात के दो कारखानों के उत्पादन को संतुलित करने और/या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रस्तावित पांचवें इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में विश्व बैंक ने कोई मत प्रकट नहीं किया है।

(ग) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि बैंक ने ऐसा कोई मत प्रकट किया है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Evasion of Customs duty

3178. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry propose to appoint a Committee to improve the efficiency of the Customs Department and to bring about a radical improvement in its working with a view to check the evasion of customs duty ; and

(b) if so, the outlines of the proposal ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) A proposal is under consideration of the Government to appoint a study team for suggesting improvements in the working of the Customs Department, with particular reference to the vigilance aspect.

(b) Broadly, the Team will study the organisation, structure, and more paticularly, the methods of work and procedures, the Customs of Department and suggest measures for their improvement and simplification.

बिहार के निम्न आय वर्ग आवास योजना

3179. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिए अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) उस में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस कार्य के लिए और धन मांगा है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख)–निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार को 1964–65 के अन्त तक कुल 362.76 लाख रुपये मंजूर

किये गये थे। इस राशि में से दिसम्बर 1964 के अन्त तक 329.04 लाख रुपये का उपयोग किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास बैंक

3180. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास बैंक ने विकास सहायता निधि नामक एक विशेष निधि बनाई है ; और

(ख) यदि हां, इस निधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 27 मार्च 1965 से "विकास सहायता निधि" नामक एक विशेष निधि की स्थापना की है। निधि की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके की गयी है।

2. इस निधि में मुख्यत: केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान दिया जायगा। निधि का उद्देश्य 'मूल' उद्योगों और ऐसे अन्य उद्योगों की सहायता करना है जिन्हें मौजूदा वित्तीय संस्थाओं से केवल वाणिज्यिक कारणों की दृष्टि से पर्याप्त सहायता न मिल सकती हो, लेकिन जिन्हें देश के औद्योगिक विकास में प्राथमिकता के आधार पर सहायता देना जरूरी समझा जाता है।

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा 16 में इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि निधि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जायगा। इसमें इस बात की व्यवस्था है कि औद्योगिक विकास बैंक, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, अधिनियम की धारा 9 के खंड (घ), (ङ), (च) और (छ) के अधीन ऋण अथवा अग्रिम देने के लिए या उसके परिणामस्वरूप अथवा इन खंडों के अधीन की गयी किसी अन्य व्यवस्था के कारण या उसके परिणामस्वरूप विकास सहायता निधि से कोई भी रकम लेकर उसे वितरित या खर्च कर सकता है। विकास सहायता निधि की किसी रकम का वितरण करने के लिए, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेने से पहले, औद्योगिक विकास बैंक को इस बात की तसल्ली कर लेनी पड़ेगी कि बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं या अन्य अभिकरणों द्वारा, उस औद्योगिक संस्था को व्यापार सम्बन्धी साधारण बातों के लिए ऐसे ऋण या अग्रिम दिये जाने या उस औद्योगिक संस्था के साथ या उसके सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई समझौता किये जाने की सम्भावना नहीं है। अपनी मंजूरी देने से पहले केन्द्रीय सरकार को भी इस बात की तसल्ली करनी होगी कि देश के औद्योगिक विकास के लिए, प्राथमिकता के आधार पर, इस प्रकार का ऋण या अग्रिम देना या इस प्रकार का समझौता करना जरूरी है।

राजस्थान नहर परियोजना

3181. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से जिन बड़ी परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये अपने हाथ में ले रही है उनका विवरण क्या है ;

(ख) क्या राजस्थान नहर परियोजना ले ली गई है और यदि हां तो किन शर्तों पर ; और

(ग) यदि प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस विषय पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) राजस्थान नहर परियोजना को भारत सरकार द्वारा हाथ में लेने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी कोसी नहर

3182. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर का मार्ग रेखा निर्धारण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो नहर का कार्य कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं ।

(ख) रेखांकन को अन्तिम रूप देने और भूमि का प्रबन्ध करने के शीघ्र ही बाद ।

Unaccounted Money

3183. **Shri Yudhvir Singh** :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an amount of rupees two crores of black money was unearthed in Calcutta in March, 1965; and

(b) if so, the details thereof ?

The Miniter of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). In the month of March, 1965 concealed income to the tune of Rs. 4·4 crores was disclosed to the Income-tax Department at Calcutta under clause 68 of the Finance Bill, 1965. The tax paid on such disclosures amounted to Rs. 1·75 crores.

Raids in Ujjain

3184. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Shinkre :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri D.C. Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri S.C. Samant :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Daji :
Shri Hem Berua :

Will the Minister of **Finance** be plased to refer to the reply given to Unstarred Question No 1838 on the Ist April, 1965 and state :

(a) the particulars of the six raids organised in Ujjain in which the total amount to the tune of Rs. 1,03,864/- not accounted for in the books was seized;

(b) whether it is a fact that the police had also taken away with them the account books of the said parties; and

(c) whether it is also a fact that the Police detained the parties along with their children and misbehaved with them ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) It would not be desirable to give the particulars of the raids, as the investigations are still in progress.

(b) Action taken by the Police regarding seizure of books of account, if any, is not known.

(c) No Sir.

Profits from investment in Transport

3186. Shri Siddheshwar Prasad: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government propose to study the question of profits earned from capital invested on various means of transport;

(b) if so, whether study team has been constituted for this purpose; and

(c) whether that team would keep in view the problems of urban and rual areas which are absolutely different from each other, while studying the said question ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) ? (a) to (c). In connection with the formulation of the Fourth Plan, the Planning Commission have undertaken a programme of technical and economic studies with a view to making a systematic assessment of transport requirements and capacities required to be developed on different media of trasport. The objective of these studies is to bring together data and analyses to assist in formulating integrated long-term transport plan against which programmes for the Fourth Plan could be formulated. The broad approach followed is that various transport services should be developed as integral parts of a composite transport network and operated so as to ensure that each form of transport is put to maximum advantage from the point of view of the economy as a whole. The proramme of studies at present underway consists, firstly, of a detailed study of future pattern of movement of selected commodities and, secondly, of studies of transportation requirements of different regions of the country in relation to the expansion of economics of these regions over the period ending 1975-76. As work proceeds and more data become available, it is proposed to undertake studies of comparative costs of development and of operation under different modes of transport in selected situations. Cost-benefit studies for some important projects will also be carried out.

2. The studies are being organised through the Joint Technical Group for Transport Planning set up by the Planning Commission in co-operation with the

Ministries of Transport and Railways. For transport surveys of regions, special units have been established by the State Governments with which officers of the the Zonal Railways are associated.

3. The studies being undertaken by the Joint Technical Group for Transport Planning cover largely inter-city traffic and will not include problems of suburban traffic. The studies also do not include any detailed examination of problems relating to transport in rural areas.

Uniform Legislation on Ownership of Land

3187. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether any legislation to give rights to 'Bataidars' in U.P. is being passed;

(b) whether the enactments relating to 'Bataidar' and 'Ryotwari' are being amended in other States also; and

(c) whether the Planning Commission has advised the States to adopt to uniform legislation relating to ownership of land throughout the country?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Provisions for the regulation of tenancies are contained in the U.P. Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950. The Act does not permit leasing of lands except by disabled persons, such as widows and minors, students and members of the armed forces. N legislation for the amendment of these provisions is under the consideration of the State Legislature.

(b) All States have enacted laws for the regulation of tenancies. These laws have been amended from time to time.

(c) The advice of the Planning Commission is set out in the Five Year Plans and more recently in the Memorandum on the Fourth Plan. The suggestions in the Plan are in the nature of a broad common approach which has to be adapted and pursued in each State with due regard to local conditions and needs.

दिल्ली के फोर्ड प्रतिष्ठान को दी गई जमीन

3188. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फोर्ड प्रतिष्ठान को दिल्ली में कोई जमीन दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या प्रयोजन तथा वह किन शर्तों पर दी गयी है ; और

(ग) फोर्ड प्रतिष्ठान को ठीक ठीक कितने एकड़ जमीन दी गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). फोर्ड फाउन्डेशन को अपने कार्यालय भवन तथा अतिथि गृह बनाने के लिए लोदी एस्टेट, नई दिल्ली में तीन एकड़भूमि का एकप्लाट और चार्ज के, 1 रुपया प्रति वर्ष मामूली भूमि किराये पर अलाट करने का निश्चय इस शर्त पर किया गया है कि जब इसके उपयोग की उन्हें और आवश्यकता नहीं रहेगी तब इस संपत्ति को भारत सरकार को बगैर मूल्य वापस लौटा दिया जायेगा। अलाटमैंट की अवधि बीस वर्ष होगी परन्तु यदि आवश्यकता

हुई तो आपसी समझौते के द्वारा आगे वृद्धि की जा सकेगी। स्थान को सीमांकन करने के बाद फोर्ड फाउन्डेशन को अलाटमैंट किया जायेगा।

राज्य होम्योपैथी बोर्ड

3189. **श्री मोहन नायक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जिन संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त है वहां अधिकांशतः अयोग्य व्यक्ति राज्य होम्योपैथी बोर्डों के सदस्य हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) होम्योपैथी बोर्ड केवल दिल्ली संघ क्षेत्र का ही है जिसे दिल्ली होम्योपैथी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाया गया है। यह बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनाया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

3190. **श्री मोहन नायक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं, चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार इस सिद्धान्त पर चल रही है कि देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का आधार आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा हो।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

3191. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के एक संस्पर्शी खण्ड का कुल क्षेत्रफल कितना है

(ख) क्या इस संस्था के क्षेत्र में आम रास्ते हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो जनसाधारण की यह असुविधा दूर करने के लिये इस संस्था को राजधानी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान कैम्पस का वर्तमान कुल क्षेत्र 143एकड़ है। यह दो खण्डों में बंटा हुआ है जिनके बीच से यह महरौली रोड गजरती है ।

(ख) चूंकि पश्चिमी खण्ड केवल 25 एकड़ का है अत: इसके भीतर आम रास्ता देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पूर्वी खण्ड के चारों ओर सड़कें हैं (महरौली रोड, रिंग रोड तथा गोतम नगर होते हुये रिंग रोड से यूसफ सराय तक एक सर्विस रोड जो इसे महरोली रोड से मिलाती है) यदि कैम्पस के भीतर आम रास्ते बना दिये जायें तो इससे अस्पताल तथा कालेज के काम में बड़ी बाधा पड़ेगी। फिर ये अनावश्यक भी हैं क्यों कि उपर्युक्त सड़कें वहां पहले ही से हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ऊपरी कृष्णा परियोजना

3192. **श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपनी स्वीकृति देने से पहले ऊपरी कृष्णा परियोजना के प्रथम चरण में आन्ध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले के कुछ क्षेत्रों को शामिल करने के लिये प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राजोलीबन्द मोड़ योजना

3193. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजोलीबंद मोड़ योजना के अन्तर्गत मैसूर और आन्ध्र प्रदेश में कितनी भूमि में सिंचाई होगी ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह मैसूर सरकार से हैडवर्क्स आन्ध्र प्रदेश को स्थानान्तरित करने के लिये कहे ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) मैसूर में 5900 एकड़ भूमि और आन्ध्र प्रदेश में 87000 एकड़ भूमि ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वे "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956" की धारा 108(2) (ख) द्वारा भारत सरकार को मिले अधिकारों के अन्तर्गत राजोलीबुंदा

व्यपवर्तन स्कीम नहर के हैडवर्क्स और सांझे भाग को तुंगभद्रा बोर्ड के नियन्त्रण में देने के लिये आदेश जारी कर दें ।

(ग) मामला विचाराधीन

तुंगभद्रा के बायें तट की

3194. **श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आलमपुर तथा गदवाल ताल्लुकों को लाभ पहुंचाने के लिए तुंगभद्रा परियोजना के बांये तट की नहर के पानी के प्रयोग में के बारे में 1960 में भारत सरकार को स्मरण-पत्र दिया था ; और

(ख) क्या समस्या हल करने के लिये मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के सिंचाई मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिये कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) सुझाव विचाराधीन हैं ।

ऊंची सतह वाली तुंगभद्रा परियोजना नहर

3195. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊंची सतह वाली तुंगभद्रा परियोजना नहर के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव): (क) तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण 2 को तकनीकी तौर पर मान लेने पर विचार किया जा चुका है ।

(ख) चरण 2 को चरण 1 के पूर्ण होने पर हाथ में लेने की सम्भावना है । प्रथम चरण के 1967 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

विद्युत् परियोजनाओं की जांच पड़ताल

3196. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि सहायता के अन्तर्गत दिया गया उपकरण बिजली परियोजनाओं की जांच पड़ताल के लिए आन्ध्र प्रदेश को दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो जांच पड़ताल कार्य में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां, उपकरण कार्यक्रम के अनुसार ही सप्लाई किये जा रहे हैं ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Delhi Cloth and General Mills

3197. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Sarjoo Pandey:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that on the request of Delhi Administration, the Central Government have asked the proprietors of Delhi Cloth and General Mills to shift their mills outside Delhi;

(*b*) whether in this connection the Health Department authorities have also reported about the increase in the incidence of tuberculosis and asthama among the residents of nearabout localities due to the location of the above Mills; and

(*c*) if so, when the Mills would be shifted?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar): (*a*) No.

(*b*) No.

(*c*) In the Master Plan for Delhi it has been provided that the Delhi Cloth Mills which are non-conforming have to move out of the congested area to the extensive industrial districts according to the time schedules prescribed for different non-conforming uses.

दुर्गापुर की नहर

3198. **श्री सुबोध हंसदा:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले के परिवहन के लिये दुर्गापुर की नहर को दामोदर घाटी निगम से ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य प्राधिकारियों ने क्या आपत्ति की है ; और

(ग) इस समय इसे कौनसी एजेंसी चला रही है और क्या सरकार को इससे काफी आय होती है और यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उनके पास विभागीय रूप से नहर में नौपरिवहन कार्य को हाथ में लेने के लिये न ही तो कोई अनुभव है और न ही कोई संसाधन । किन्तु उनके द्वारा यह प्रस्तावित है कि नहर को हाथ में लेने के प्रश्न पर तब तक विचार न किया जाए जब तक दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन की साधारण स्कीम को अन्तिम रुप नहीं दे दिया जाता । राज्य सरकार को यह स्वीकार है कि पुनर्गठन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने तक दामोदर घाटी निगम नहर में नौपरिवहन कार्य को शुरू करने के लिये एक उचित स्कीम बना ले और इसके लिये राज्य सरकार सहायता देने के लिये भी तैयार है ।

(ग) अभी तक कोई चालन एजेन्सी स्थापित नहीं की गई है और अभी तक व्यापारिक आधार पर नौपरिवहन का विकास नहीं हुआ है। इसलिये नहर के नौपरिवहन से कोई आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली में मथुरा रोड और राऊज एवेन्यू पर सम्पत्ति

3199. **श्री दाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में मथुरा रोड तथा राऊज़ एवेन्यू पर स्थित सम्पत्ति पर कोई अतिरिक्त भुगतान करने से छूट दे दी है, भले ही उनके मालिकों ने सरकार से किये गये करार के विरुद्ध जगह गैर-सरकारी व्यक्तियों को बाजार भाव पर किराये पर दे दी हो; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जी नहीं। प्रश्नाधीन पट्टेदारों को अतिरिक्त प्रीमियम देने तथा भूमि (लैंड) के उद्देश्य को बदलने के लिए भूमि किराया (ग्राउण्ड रैन्ट) देने के नोटिस जारी किये जा रहे हैं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

धारवाड़ के लिए पीने का पानी

3200. **श्री मोहसिन :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धारवाड़ जिले के उत्तरी भाग में सैकड़ों गांवों को अब तक पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फुसफुसी काली मिट्टी के कारण उस क्षेत्र में पीने के पानी के कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं ;

(ग) क्या उन गांवों के लिये वरादा नदी से शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो वह इस समय किस अवस्था में है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये अन्य योजना क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ङ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय महापौर (मयर) परिषद्

3201. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सरजू पान्डय :
श्री हरि विष्णु कामत:
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री कनकसबै :
श्री कोया :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करगा कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने जिसकी बैठक 10 अप्रैल, 1965 को दिल्ली में हुई थी; इसके द्वारा स्वीकृत विभिन्न संकल्प सरकार को भेज दिये हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर पृथक्-पृथक् सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन सब संकल्पों की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात के लिए कर-समंजन प्रमाण-पत्र योजना

3202. **श्री कनकसबै:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये कर-समंजन प्रमाण-पत्र योजना के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में समय समय पर सरकार को सलाह देने के लिये एक समिति स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन तथा कार्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । निर्यात के लिए कर-जमा पत्र सम्बन्धी एक सलाहकार बोर्ड बनाने का विचार है ।

(ख) भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के सचिव, सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे । वित्त मन्त्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और निर्यात की जाने वाली वस्तु से सम्बन्धित कामकाज देखने वाले मन्त्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, इस सलाहकार बोर्ड के सदस्य होंगे । बोर्ड का यह काम होगा कि वह, वित्त मन्त्री के 27 फरवरी, 1965 के बजट भाषण में घोषित कर-जमा-पत्र योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात का निश्चय करे कि निर्यात की दृष्टि से, किन-किन वस्तुओं के निर्यात के लिए और किन-किन दरों पर कर-जमा-पत्र दिये जाएं । बोर्ड जब भी जरूरी समझे, सम्बद्ध पक्षों को उनकी राय जानने के लिए निमन्त्रित कर सकता है । बोर्ड का काम सलाह देना होगा और अन्तिम निर्णय भारत सरकार करेगी ।

Cash Security for Electric meters

3203. **Shri Jedhe:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya
Shri Yudhvir Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 380 on the 11th March, 1965, regarding cash security for electric meters and state:

(a) whether it is a fact that non-Gazetted Government employees have again been served with notices to deposit Rs. 50/- as cash security for the electric meters installed in Government quarters occupied by them;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of (i) Gazetted Officers and (ii) non-Gazetted Government servants who have been served notices for depositing the cash security?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L Rao): (a) to (c). Non-Gazetted Government servants are not required to deposit cash securities.

The Delhi Electric Supply Undertaking issued notices to about 2150 Government servants residing in Government quarters to whom electricity bills were being sent to their residences and not through their Departments. As the tac of their being gazetted or non-gazetted employees could not be verified, it was stated by DESU in the notice that if any of them was a non-gazetted employee, he need not pay any security but he should intimate the fact to Delhi Electric Supply Undertaking giving the name of his Department. So far only 236 employees have intimated that they are non-gazetted and the DESU have cancelled the notices sent to them under intimation to the concerned employees.

भारत सेवक समाज

3204. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भारत सेवक समाज की इकाइयों को 1964 में केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता दी; और

(ख) यह सहायता किन मदों के लिये दी गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय वह सभा को दे दी जायेगी ।

Water Supply in Delhi

3205. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Health** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Capital will have to face water crisis even this year; and

(b) if so, the measures which Government have taken or propose to take to meet the situation ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No water-crisis is apprehended. However, low pressure and intermittent water-supply will have to continue in certain localities during this summer also due to peak load summer demands.

(b) The following measures have been taken by the Delhi Municipal Corporation to augment the water supply :—

(*i*) The construction of an additional 40 million gallons per day plant has been undertaken. Out of it 10 million gallons per day plant has been functioning since 6-1-1965. It will provide additional water to the South Delhi colonies when the Booster pump now under construction starts functioning by the middle of May, 1965. The remaining plant with capacity of additional 30 million gallons per day is expected to be completed by the April, 1966 and thereafter it is hoped there will be no shortage of water.

(*ii*) 20 Tubewells yielding 3·5 MGD. have been installed

Smuggling of Indian Coins

3206. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five bags containing Indian coins meant to be shipped abroad were recovered on the 1st April, 1965 at Bombay seashore;

(b) if so, the total value of these coins and the name of the place to which these bags were being despatched;

(c) whether the person who was carrying them was an Indian ; and

(d) the action being taken in the matter ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) to (d). Five bags, containing Indian coins, were seized by the Maharashtra State Police on 8-4-65 (and not on 1-4-65) at Nariman Point, Marine Drive, Bombay. These coins, of the value of Rs. 18,937/- were taken over by the Police as unclaimed. The case is under investigation by the Maharashtra State Police. Appropriate action under the Customs law, if due, will be initiated on completion of the investigations.

सिंचाई तथा जल-विद्युत् परियोजनायें

307. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1965 में भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के बीच ऋण तथा अनुदानों सम्बन्धी हुए नये करारों के परिणामस्वरूप भारत की नदी विकास योजनाओं में तथा बिजली पैदा करने की क्षमता में विस्तार किया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन ऋणों तथा अनुदानों की कुल राशि क्या है ; और

(घ) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीका सरकार के साथ पी० एल० 480 के अधीन मार्च, 1965 में सिंचाई और पन-बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में तीन परियोजना करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

परियोजना का नाम	नियत निधि (करोड़ रुपयों में)	ऋण अथवा अनुदान
1. नदी घाटी विकास (अनुपूरक संख्या 10) करार संख्या 11	34.92	ऋण
2. रिहन्द नदी घाटी विकास (अनुपूरक संख्या 4) करार संख्या 20 . .	3.29	ऋण
3. साविरीगिरि पन-बिजली परियोजना करार संख्या 125	18.40	ऋण

दो का सम्बन्ध नदी घाटी विकास और रिहन्द घाटी विकास स्कीमों के लिये वर्तमान करारों के अन्तर्गत अनुपूरक नियतनों के साथ है । 18.4 करोड़ रुपये के तीसरे करार का सम्बन्ध पम्पा-काफी (साविरीगिरी) पन-बिजली परियोजना से है ।

मुख्य पी० एल० 480 पण्यवस्तु करार में यह प्रबन्ध है कि अमरीका सरकार को दी जाने वाली भारतीय मुद्रा का निर्धारित भाग भारत सरकार को ऋण और अनुदान के रूप में आर्थिक विकास की परस्पर मान्य परियोजनाओं पर धन लगाने के लिये दिया जाएगा । इसके अनुसार पृथक् सक्रिय करारों पर, जिनको "परियोजना करार" कहा जाता है, दोनों सरकारों द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिये ऋण तथा अनुदान निर्धारित करते हुए, समय समय पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं । ऋणों पर 4 प्रतिशत ब्याज है और वे 73 छमाही किस्तों में वापिस करने हैं और यह अदायगी राशि लेने के चार वर्ष बाद आरम्भ होती है । मार्च, 1965 के करारों के अन्तर्गत कुल 56.61 करोड़ रुपयों का निपटान किया गया ।

(घ) स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

Housing in Rural Areas

3208. { Shri Yudhvir Singh: / Shri Hukam Chand Kachhavaiya: / Shri Jagdev Singh Siddhanti

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of new houses planned to be constructed in rural areas of the country during the Third Plan period;

(b) the number of houses constructed so far as also the number of those expected to be constructed by the end of the current Plan period; and

(c) the amount of money allocated for this purpose in the Plan and the amount actually spent out of the same?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) The physical target for rural housing, as indicated in the Third Plan, is 1,25,000 houses.

(b) A total of about 25,000 houses is expected to be built during the current Plant period, including about 18,500 houses reported to have been constructed so far.

(c) The total provision for the Village Housing Projects Scheme in the Third Plan is Rs. 12·7 crores, against which the amount drawn by States/Union Territories duing the first four years is Rs. 2·86 crores only. The Budget provision for 1965-66, which is the last year of the Plan, is Rs. 1·21 crores.

Drinking Water Supply

3209. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether any scheme for solving the problem of drinking water this year by giving special grants to the State Governments is under consideration, and

(b) if so, the amount proposed to be given to each State for this purpose.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No special ts are under consideration other than the grants under the National Water Supply and Sanitation Scheme.

(c) Does not arise.

वित्त मंत्री का उत्तर प्रदेश का दौरा

3210. **श्री किन्दर लाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अप्रैल, 1965 में उत्तर प्रदेश का दौरा किया था और राज्य के मन्त्रियों से चौथी पंचवर्षीय योजना के वित्तीय मामलों पर बातचीत की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी की निकासी के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी क्योंकि जलरोध के कारण राज्य में प्रतिवर्ष फसलों को भारी हानि हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य के कुछ भागों में जल-रोध और जल-निकासी की समस्याओं पर, जिसमें इस सम्बन्ध में योजनाओं का वित्त प्रबन्ध भी शामिल था, विचार किया गया था। राज्य सरकार को इस समस्या को सुलझाने के लिये, योजना आयोग के परामर्श से, एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये कहा गया था।

गन्दी बस्ती सफाई योजनायें

3211. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की गन्दी बस्ती हटाने की योजनाओं के लिए 330.20 लाख रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता में से प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्दी बस्तियों में कितने लोग रहते हैं तथा उनमें कितने मकान हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां, 1964–65 के दौरान।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	दी गयी रकम		
	ऋण	अनुदान	योग
बिहार	18.75	18.75	37.50
गुजरात .	17.07	17.07	34.14
जम्मू और काश्मीर . .	6.00	6.00	12.00
केरल . .	2.33	2.66	4.99
मध्य प्रदेश .	6.17	6.16	12.33
मद्रास .	22.50	22.50	45.00
महाराष्ट्र . .	45.00	45.00	90.00
मैसूर	2.22	2.22	4.44
उड़ीसा .	1.88	1.87	3.75
पंजाब .	2.25	2.25	4.50
राजस्थान .	0.38	0.37	0.75
उत्तर प्रदेश	9.00	9.00	18.00
पश्चिमी बंगाल	31.40	31.40	62.80
योग	164.95	165.25	330.20

(ग) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वालों अथवा उनके मकानों का अभी तक कोई नियमित अथवा सम्पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी, गन्दी बस्ती सफाई पर 1958 में प्रकाशित अशोक सेन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों के न रहने योग्य मकानों की संख्या 11.5 लाख थी ।

चिकित्सा कालेजों के लिए अध्यापक

3212. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चिकित्सा कालेजों में अध्यापकों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देश में चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार होने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा अध्यापकों की आम कमी है ।

(ख) अध्यापकों की कमी अलग-अलग संस्थाओं में भिन्न भिन्न है और पूर्व क्लीनिकी विभागों में अधिक है। यह कमी 25 प्रतिशत तक हो सकती है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी और तीसरी योजनाओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिये वित्तीय सहायता दी है । चौथी योजना में भी इस स्कीम को रखने का विचार है । देश में मौजूदा स्नातकोत्तर संस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी योजना की शेष अवधि में पांडिचेरी, हैदराबाद और बम्बई में ऐसी संस्थाओं के विकास के बारे में कार्यवाही की जा रही है। चौथी योजना में ऐसी ही तीन और स्नातकोत्तर संस्थायें स्थापित करने के लिये कार्यवाही हो रही है । कुछ स्थानों पर शरीर रचना विज्ञान तथा क्रिया-विज्ञान में एम० एस० सी० कोर्स प्रारम्भ किये जा चुके हैं ।

बैंको द्वारा व्यापार गृहों को पेशगी

3213. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल ही में अन्य बैंकों को चेतावनी दी थी कि वे ऐसे व्यापार गृहों को सोच समझ कर पेशगी दें जिन पर काले धन के लिये छापे मारे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या विशेष हिदायतें जारी की गई हैं तथा किन परिस्थितियों में ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । लेकिन बैंकों को कुछ सामान्य आदेश दिये गये हैं, जिनमें उनसे कहा गया है कि वे इस बात की पक्की व्यवस्था करें कि सराफों या दूसरी पार्टियों को उन हुंडियों पर रुपया न दिया जाय, जो असली न हों । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उन व्यक्तियों के पते और दूसरी बातों की सावधानी से जांच करें जो ऐसी परिस्थितियों में मीयादी तौर पर या थोड़ी मुद्दत के लिए रुपया जमा कर रहे हों जिनमें कर-अपवंचन (टैक्स इवेजन) का सन्देह हो ।

बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना

3215. **श्री किन्दर लाल :**
श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 अप्रैल, 1965 को बम्बई में तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह से आठ लाख रुपये के मूल्य की कलाई घड़ियां पकड़ी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : 17-4-1965 को महाराष्ट्र राज्य की पुलिस द्वारा चोरी छिपे रूप में लाये गये 6 पैकेज पकड़े गये थे जिनमें लगभग 5.5 लाख रुपये के मूल्य की 5145 कलाई-घड़ियां थीं । पैकेजों को 6 व्यक्ति छोड़ कर चले गये थे जो अंधेरे में बच कर निकल गये । अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, लेकिन मामले में आगे जांच-पड़तालें चल रही हैं ।

पंजाब में नलकूपों के लिए बिजली की व्यवस्था

3216. **श्री हेमराज :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि बिजली के संभरण के लिए सहायता अथवा ऋण दिया जाये जिससे कृषि उत्पादन के लिए नलकूप चलाये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है तथा 1964–65 में कितनी राशि दी गई और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) 6,000 नलकूपों को चालू करने के लिए बिजली देने हेतु पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तीन करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी । केन्द्रीय सरकार ने एक करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है । 1965–66 में दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य सरकार के निवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

योग आश्रम, नई दिल्ली

3217. **श्री हेमराज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग प्रसार समिति, योग आश्रम, मन्दिर लेन, मन्दिर मार्ग नई दिल्ली को कितनी भूमि दी गई और किन शर्तों पर ;

(ख) क्या उक्त समिति ने सरकार से प्रार्थना की थी कि इसे स्थायी रूप से उन्हें दे दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) समिति को लाईसेंस पर एक रुपये प्रति माह के मामूली किराये पर संरचनाओं को आवंटित किया था । इसमें मन्दिर लेन, नई दिल्ली के पुराने रिज क्लब के दो टैनिस कोर्ट, चार नौकरों के क्वार्टर, एक आउट हाउस, एक पवेलियन, एक स्विमिंग पूल, तथा दो क्लाक रूम, जिनका माप 2827 वर्ग फीट है, शामिल है । परिसरों का अनुरक्षण समिति को अपनी लागत पर करना है । लाईसेंस पिछली बार 14 जुलाई 1964 तक बढ़ाया गया था ।

(ख) और (ग) समिति ने परिसर को स्थाई रूप से आवंटन करने के लिए अनुरोध किया था परन्तु क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली के मास्टर प्लान के अन्तर्गत "हरा" (ग्रीन) है अतएव स्थाई आवंटन नहीं किया जा सकता । समिति को वैकल्पिक स्थान आवंटित करने का प्रश्न सरकार के विचारारधीन है ।

योग संस्थाओं को सहायता

3218. श्री हेमराज : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री योग संबंधी अनुसंधान के बारे में 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रश्न में उल्लिखित तीनों संस्थाओं की आवश्यकताओं पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था कितने अनुदान की हकदार है ;

(ग) इन संस्थाओं से अपने आय-व्यय के विवरण तथा लेखे भेजने के लिये कब कहा गया था ; और

(घ) किस वर्ष के लिये अनुदानों की सिफारिश की जायेगी, मंजूर किये जायेंगे तथा दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) बम्बई की दो योग अनुसंधान संस्थाओं की अभी जांच हो रही है । योग प्रसार समिति मन्दिर लेन, नई दिल्ली की आवश्यकताओं कीं जांच की जा चुकी है ।

(ख) प्राक्कलनों के अनुसार योग प्रसार समिति, मन्दिर लेन, नई दिल्ली को 28,000 रुपये का वार्षिक आवर्ती और 9000 रुपये का अनावर्ती अनुदान देने का विचार है ।

(ग) 27 फरवरी, 1965 को योग प्रसार समिति नई दिल्ली को गत वर्ष की बैलेंस शीट के साथ साथ अपने लेखे जोखे का आडिट किया हुआ विवरण, खर्च का आज तक का विवरण और अपनी परिसम्पत्ति और देयता का आडिट किया हुआ विवरण भेजने के लिये कहा गया था । ये विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(घ) यदि समिति वांछित सूचना देदे तो अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में दे दिये जायगे ।

Librar of Books on Medicine

3220. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a library ofbooks on medicine ;

(b) if so, the number of books to be kept in the library ; and

(c) the estimated expenditure involved therein ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c) A proposal to establish a National Medical Library at an estimated cost of Rs. 50·24 lakhs in the campus of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, is under conideration. The library when fully developed will have about 10 lakh books and periodicals.

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री

3221. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक ने उन 10 करोड़ रुपयों पर जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने जमा किए हैं, आयकर दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को एक रुपये में देने की पेशकश के उत्तर में उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीरेन मित्रा को एक रुपये के कितने मनीआर्डर प्राप्त हुए, क्या इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डाक अधिकारियों से पूछताछ की गई है ;

(घ) यदि हां, तों उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) क्या श्री मित्रा ने इस पर देय आय कर का भुगतान कर दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). की गई पूछ ताछ से पता चलता है कि श्री पटनायक के 10 करोड़ रुपया संचय करने के दावे से सम्बन्धित समाचार-पत्रों की रिपोर्ट सही नहीं है । उनका दावा यह प्रतीत होता है कि वे 10 करोड़ रुपये की पूंजी वाली संस्थाओं पर नियंत्रण किये हुए थे ।

श्री पटनायक की कर सम्बन्धी देनदारी के विषय में जांच हो रही है ।

(ग), (घ) और (ङ). आकस्मिक किस्म की होने के कारण ऐसी प्राप्तियों पर कर नहीं लगेगा । अतः ऐसी प्राप्तियों की संख्या अथवा उन पर कर की अदायगी के बारे में डाक प्राधिकारियों के पूछताछ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Accommodation occupied by Ex-M.Ps.

3222. **shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of Government flats still occupied by the ex-Members of Parliament ;

(b) the number of persons against whom arrears of rent are outstanding;

(c) the steps taken by Government to get the flats vacated from those persons ; and

(d) the number of present Members of Parliament who are still facing difficulties for want of accommodation ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Two.

(b) 436 ex-members of Parliament.

(c) Necessary action under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958 has already been instituted against one person. As regards the other, the ex-Member of Parliament has assured us that the accommodation will be vacated before the middle of this month. If this is not done, necessary action will be taken.

(d) No demand from Members of Parliament for allotment of residence is pending on date.

स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र

3223. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में तीन स्नातकोत्तर स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) तीन केन्द्रों में स्वास्थ्य शिक्षा के स्नातकोत्तर डिग्री के कोर्स चलाने का विचार है । प्रत्येक केन्द्र लगभग 30 स्नातकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देगा । अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता, इनमें से एक केन्द्र होगा । शेष दो केन्द्रों के चुनाव के प्रश्न पर (जिनमें एक केन्द्र मद्रास में स्थापित करने का विचार है) सरकार विचार कर रही है ।

1965–66 के शिक्षा वर्ष में अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन-स्वास्थ्य संस्थान्, कलकत्ता में स्वास्थ्य शिक्षा का एक दस मासिक डिप्लोमा कोर्स चलाया जायेगा । यह कोर्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के चिकित्सा कला, विज्ञान, या शिक्षा स्नातकों

अथवा सामुदायिक कार्यों में दो वर्ष के अनुभव वाले परिचर्या स्नातकों अथवा इनमें से किसी एक विषय में मास्टर आफ आर्टस, अथवा मास्टर आफ साइन्स की डिग्री वाले व्यक्तियों के लिये खुला होगा ।

इस पाठ्यक्रम के संबंधी (एफीलियेशन) की स्वीकृति के लिए अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के निदेशक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को लिखा है ।

कृषि पुनर्वित्त निगम

3224. **श्री चंद्रिका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने रायचूर जिले में तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को कृषि पुनर्वित्त निगम से वित्तीय सहायता देने के लिये एक योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना स्वीकार कर ली गई है और आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) निगम द्वारा योजना की छानबीन की जा रही है ।

संसद्-सदस्यों का विट्ठलभाई होस्टल

3226. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** :
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में फ्लैटों का किराया निर्धारित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस समय वैस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में रहने वाले संसद् सदस्य विट्ठलभाई पटेल भवन में आने को तैयार नहीं हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) किराये निम्न प्रकार हैं :—

	किराया	छूट	शुद्ध प्राभार्य
एक कमरे के फ्लैट			(रुपयों में)
भवन	50.00	12.50	37.50
फर्नीचर	18.27	4.57	13.70
गीजेर	6.12	1.53	4.59
चर्या (सर्विसेज़)	13.45	3.36	10.09
	87.84	21.96	65.88
			(66 रुपये प्रति माह)
दो कमरे के फ्लेट			
भवन	75.00	18.75	56.25
फर्नीचर	36.04	9.01	27.03
गीजेर	8.71	2.18	6.53
चर्या (सर्विसेज़)	22.90	5.72	17.18
	142.65	35.66	106.99
			(107 रुपये प्रति माह)
नौकरों के क्वार्टर	—	—	15.50 प्रति माह
गैरेज	—	—	12.50 प्रति माह

(ग) सदस्यों की अभिलाषा जानी जा रही है ।

सोने का पता लगाने वाला यंत्र

3227. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क विभाग के लिये अमरीका में हाल में बना सीटी देने वाला स्वर्ण भेदी यंत्र प्राप्त करने का है ताकि तस्कर व्यापारियों के प्रयास को असफल बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका डिजाइन तैयार करके इसे देश में बनाया जा सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) सीटी देने वाले स्वर्ण भेदी यंत्र को प्राप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस युक्ति के बारे में, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, विकसित हुआ बताया जाता है, पूछ-ताछ की जा रही है ।

सम्मेलनों के लिये अनुदान

3228. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1960, 1961, 1962, 1963 और 1964 में अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने के लिये अनुदान अथवा राजसहायता के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक सम्मेलन को दी गई राशि बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री तिङ् तङ् कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

एशिया तथा प्रशान्त महासागर के क्षेत्र के लेखाकारों का सम्मेलन

3229. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ एशियाई तथा प्रशान्त महासागर के क्षेत्र लेखाकार सम्मेलन, 1965 की सम्मेलन समिति ने भारत में अपना सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता देने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनको इस सम्बन्ध में क्या वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । 23-4-1965 को सम्मेलन समितिसे एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग) सम्मेलन समिति ने जो लागत तथा निर्माण लेखाकारों और चार्टर लेखाकारों के संस्थानों के गतिविधियों पर सम्मिलित है, केवल वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध

किया है । समिति ने सरकार को सूचित किया है कि लागत तथा निर्माण लेखाकारों के संस्थान ने सम्मेलन-निधि के लिए योगदान देना स्वीकार कर लिया है परन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव चार्टर लेखाकारों के संस्थान से प्राप्त नहीं हुआ । सरकार वित्तीय सहायता की प्रार्थना पर विचार कर रही है और यह बात भी विचारी जा रही है कि चार्टर लेखाकारों का संस्थान, जोकि सम्मेलन के संयुक्त पोषकों में से एक है, सम्मेलन की निधि में उपयुक्त योगदान क्यों न करे ।

गैर-बैंकिंग वित्त समवाय

3230. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-बैंकिंग वित्त समवायों के कार्यकरण पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सरकार को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक कोई विनियमन संहिता तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). इस प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है और इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि उन विनियमों के उपबन्ध या वे निर्देश क्या होंगे जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जा सकते हैं ।

सहकारी गृह-निर्माण समितियां

3231. **श्री बूटा सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मकानों के निर्माण में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) दिल्ली में पहले से विद्यमान सहकारी गृह निर्माण समितियों को क्या विशेष सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). भूमि के आवंटन के मामले में दिल्ली में आवास सहकारिताओं को सुविधाओं का दिया जाना पहले ही लोक-सभा के पटल पर तारीख 23-3-61 को श्री पी० जी० देब के द्वारा नियम 197 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में गृह मंत्री के द्वारा रखे गये विवरण (उसके पैरा 2 iii और iv में निर्दिष्ट किया जा चुका है । मकान बनाने की वित्तीय सहायता के लिए समितियां विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं जैसे--सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास, निम्न आय वर्ग आवास, मध्य आय वर्ग आवास तथा ग्रामीण आवास प्रायोजनाओं की योजनायें ।

जलसिन्धी परियोजना

3232. { **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर स्थित जलसिन्धी में एक संयुक्त सीमा-पार पनबिजली परियोजना बनाने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने जलसिन्धी पन-बिजली स्कीम को एक संयुक्त उपक्रम के रूप में निर्माण करने के लिये एक समझौता किया है।

(ख) तथा (ग). स्कीम की परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा अब भी तैयार की जा रही है और इस समय किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

Sale Of Fruit in Delhi Hospitals

3233. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contracts are awarded for the sale of fruit in Irwin Hospital, Safdarjang Hospital and Willingdon Hospital in the Capital every year ; and

(b) if so the rates at which these contracts were awarded during the years 1964 and 1965 ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Contracts are not awarded for the sale of fruits in these hospitals. Contracts for supply of fruits for the use of inpatients are, however, entered into every year.

(b) The rates at which contracts for the supply of fruits have been concluded are given in the Statement laid on the Table
[*Placed in Library. See No. LT 4366/65*]

कालीकट में पानी की कमी

3234. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में कालीकट में पीने के पानी की भारी कमी है;

(ख) क्या कालीकट नगर निगम ने नलों के पानी का प्रयोग सीमित कर दिया है; और

(ग) यह कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में जल सम्भरण योजना

3235. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल और पांडिचेरी में कण्णनु, तेल्लिच्चेरी तथा माही नगरपालिकाओं के लिये एक व्यापक जल संभरण योजना बनाने के मामले में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है;

(ख) क्या किसी नगरपालिका ने इस योजना के लिये अपना अंशदान दे दिया है; और

(ग) योजना कब आरम्भ की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) तेलीचेरी और कण्णनूर के लिए एक विस्तृत जल प्रदाय योजना जिसमें माही(पांडिचेरी) की जल प्रदाय योजना भी सम्मिलित है, के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से सूचना मंगाई गई है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्रीनगर में राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन

3236. **श्री कनकसबै :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1965 में श्रीनगर में राज्यों के आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की प्रस्तावित कार्य-सूची क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य सूची को अभी अन्तिम रूप देना है । फिर भी, सम्मेलन में विचार के लिए प्रमुख विषय होंगे, शहरी आवास योजनाओं के एकीकरण का प्रस्ताव, भूमि अर्जन की कार्य-वाहियों को तेज़ करना, केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक आवास योजनाओं के लिए व्यवस्था करना ।

डाक्टरों के वेतन-क्रम

3237. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन-क्रमों के बारे में दास आयोग की सिफारिशों को समान रूप से क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) और (ख). डाक्टरों के वेतन-मान के सम्बन्ध में जगन्नाथ दास आयोग की सिफारिशों का असर कई मंत्रालयों के, जिनमें स्वास्थ्य, रक्षा और रेल मंत्रालय शामिल हैं, अधीन विभिन्न पदक्रमों के कर्मचारियों पर पड़ा था । सिफारिशों के परिपालन के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे, यथासमय, सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

सरकारी आवास का आवंटन

3238. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आवास-प्राप्त सरकारी कर्मचारी के पुत्र को सरकारी नौकरी मिलने पर, उसके पिता को दिये गये उसी आवास को रखने का अधिकार है चाहे वह इसके लिए पात्र न हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों के लिये भी ऐसी ही सुविधाएँ उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जब कोई सरकारी कर्मचारी जिसे जनरल पूल से रिहायशी वास आवंटित किया गया है सेवा-निवृत्त होता है अथवा सेवा के दौरान मर जाता है तो उसके/उसकी पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति अथवा पिता को जनरल पूल से बगैर पारी के वास आवंटित कर दिया जाता है बशर्ते कि कथित सम्बन्धी जनरल पूल के वास के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी हो तथा सेवा निवृत्त अथवा मृत अधिकारी के साथ सेवा-निवृत्ति अथवा मृत्यु की तारीख से कम से कम छः माह पूर्व तक वास में साथ रह रहा हो ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

Leave in Lieu of Overtime Allowance

3239. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have decided that the staff working in the Central Government Offices on Sundays and holidays should be given compensatory leave in lieu of overtime allowance; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari): (a) and (b) Orders have been issued that compensatory leave should normally be given to staff for working on Sundays, but if this is not possible in the interest of work, overtime allowance may be allowed. For duty on public holidays, overtime allowance in cash is allowed. This is in accordance with the Second Pay Commission's recommendations.

मोतीबाग, नई दिल्ली में अस्पताल

3240. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका का एकमात्र अस्पताल, जो मोती बाग, नई दिल्ली में है, भली प्रकार सामान आदि से पूर्ण होने पर भी सरकार के ध्यान देने के अभाव में निष्क्रिय पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उकई बांध परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा

3241. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना में उकई बांध परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा देने के लिये मांग की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण काम में विलम्ब हो गया है;

(ग) तीसरी योजना की अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा मांगी गई है;

(घ) सरकार ने इस परियोजना के लिये निर्धारित तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु विदेशी मुद्रा आवंटित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कुछ हद तक ।

(ग) 30 अप्रैल, 1965 तक 395 लाख रुपये ।

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 53 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा दी गई है । विदेशी मुद्रा स्थिति अब भी विकट बनी हुई है और 1965–66 में विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त आवंटन की कोई खास उम्मीद नहीं है ।

बड़ी गंडक पर बांध

3242. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी गंडक के दाहिने किनारे पर नेपाल बांध परियोजना पर काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आएगी तथा इसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री(डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) बांध का निर्माण कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और इसके आगामी मानसून के शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) इस योजना की अनुमित लागत 30 लाख रुपये है और इसके अधीन गंडक नदी के दाहिने किनारे के साथ साथ 9 मील लम्बे क्षेत्र में 2.62 करोड़ घनफुट मिट्टी का कार्य करना है ।

हुबली के निकट स्कूल के बच्चों की मृत्यु

3243. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री बुद्धवीर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हुबली के निकट गदग में 11 बच्चों की मृत्यु का संदिग्ध कारण विषाक्त भोजन करना है ;

(ख) क्या वे स्कूल द्वारा दिया गया मध्यान्ह भोजन खाने के बाद बीमार हो गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई जांच की गई हैं, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर):(क) से (ग). दोपहर के भोजन की योजना के अन्तर्गत भोजन पाने वाले बच्चों में फैले आंत्र शोध के प्रकोप के कारण दस बच्चों की मृत्यु हुई बतलाई गई है ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, धारबार, डीन, कर्नाटक मेडिकल कालेज अस्पताल के निरोधी चिकित्सा के प्राध्यापक तथा चिकित्सा-प्राध्यापक एवं महामारी विज्ञान सूचनालय मैसूर के जन-स्वास्थ्य उपनिदेशक ने इस प्रकोप की जांच की ।

आंत्रशोध की पहिली घटना 24 मार्च, 1965 को गडकबेट्टीगेरी नगर-पालिका क्षेत्र में हुई । 29 मार्च, 1965 तक वहां 66 घटनायें हुईं (जिनमें से 59 रोगी 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे) तथा 8 मृत्युएं हुईं । इन में से अधिकांश घटनायें नगर पालिका के बेट्टीगेरी क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों जैसे कन्नड़ कन्या विद्यालय नंबर 3, कन्नड़ बुआइज़ स्कूल नंबर 3, कन्नड़ बुआइज़ स्कूल नंबर 2, कन्नड़ कन्या विद्यालय नंबर 4 के आस-पास हुईं । इन 66 रोगियों में से 54 ने दोपहर के स्कूल के लंच में दिया गाय भोजन खाया था । 29 मार्च, 1965 के बाद इस प्रकोप का स्वरूप बदल गया तथा यह बच्चों तक सीमित न रह कर सामान्य रूप में फैल गया । 25 अप्रैल, 1965 तक 353 घटनायें तथा 15 मौतें हुईं, इन में से 74 रोगी 13 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे थे ।

पहिले दो दिनों में जिन रोगियों का अस्पताल में इलाज किया गया उन के मल में मौर्फोलोजीकली तथा कल्चरली दोनों प्रकार से जांच में हैजा विषाणु मिले । लगता है कि यह संक्रमण बेट्टीगेरी क्षेत्र के इन उपर्युक्त 4 स्कूलों में लंच भेजते समय या बांटते समय उसके दूषित हो जाने के कारण हुआ ।

राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने निम्नलिखित निरोधी एवं रोग हारी कदम उठाये हैं :—

1. लगभग सभी रोगियों का अस्पताल में इलाज ।
2. उचित आधुनिक चिकित्सा की व्यवस्था ।
3. पीड़ित बस्ती में हैजा निरोधी टीके लगाना ।
4. होटलों तथा खाने पीने के अन्य स्थानों का नियंत्रण ।
5. 25 मार्च, 1965 के बाद स्कूल लंच का कार्यक्रम बन्द कर दिया गया ।
6. पेय जल स्रोतों का पूर्ण विसंक्रमण तथा क्लोरिनीकरण और मक्खियों के पैदा होने वाले स्थानों पर अवशिष्ट कीट-नाशकों का छिड़काव ।।
7. निरोधी तथा रोगहारी उपाय बरतने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति तथा उपकरण एवं सामग्री का संभरण

Irrigation Facilities

3244. Shri Baswant : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a proposal to give incentive to the States having less irrigation facilities is under consideration of Government ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the time likely to be taken in providing equal irrigation facilities to all the States ;

(d) Whether any instructions have been issued to the Khosla Committee to carry out investigations into it; and

(e) Whether the States having the least irrigation facilities would be given top priority in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao). (a) : No.

(b) Does not arise.

(c) Each State formulates its irrigation programme after taking into account the scope for irrigation, *inter-se*, Priority of projects already investigated, availability of funds, etc. There is, therefore, no question of providing equal irrigation facilities in all States:—

(d) No.

(e) The Fourth Plan proposals are still under formulation. The State Governments concerned would, no doubt, take all relevant aspects into consideration before formulating their proposals for the Fourth Plan.

कोचीन पत्तन के सीमा-शुल्क अधिकारी

3245. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान फरवरी, 1965 के "इंडियन रिव्यू" में "भारत में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अमरीका का विचार" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर आकृष्ट किया गया है, जिस में कोचीन पत्तन के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आरोप सही हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या झूठे आरोप प्रकाशित करने के लिए इस पत्रिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां। लेख श्री बूस डब्ल्यू ब्रैनिक द्वारा लिखा गया 'सम्पादक के नाम पत्र" का सही प्रतिरूप है जो 26 अक्तूबर, 1964 के "इंडियन एक्सप्रैस" में छपा था।

(ख) प्रारम्भिक पूछ-ताछों से संकेत मिलता है कि आरोप अतिव्याप्त किस्म के और बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण थे। लेकिन पत्र में दिये गये भ्रष्टाचार के कुछ विशिष्ट उदाहरणों के बारे में आगे पूछ-ताछ की जा रही है।

(ग) जांच-पड़तालों के पूरा होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

जाली सिक्के

3246. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 5 पैसे के सिक्कों के किनारे काटकर उनकी आकृति 25 पैसे के सिक्कों की बना कर जाली सिक्कों के रूप में चलाया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

ब्रिटेन से परियोजनाओं से भिन्न मदों के लिये सहायता

3247. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ने, जो हाल ही में नई दिल्ली आये थे बताया कि ब्रिटेन चालू वर्ष में भारत को परियोजनाओं से भिन्न मदों के लिए सहायता देने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता के किन शर्तों पर प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) वाशिंगटन में 21 अप्रैल, 1965 को भारत सहायता संघ की जो बैठक हुई थी उस में ब्रिटेन ने संकेत दिया था कि उसके 300 लाख पौंड के अंशदान में से आधी रकम सामान्य प्रयोजनों के लिए सहायता के रूप में होगी और बाकी आधी रकम में से कुछ भाग प्रायोजनाओं से भिन्न आयातों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष श्री डगलस जे ने 23 अप्रैल 1965 को नयी दिल्ली में अपने पत्रकार सम्मेलन में इसका उल्लेख किया था।

(ख) सहायता की विस्तृत शर्तें दोनों पक्षों की बातचीत के समय निश्चित की जायेंगी।

दिल्ली वृहद् योजना

3248. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार की दृष्टि में दिल्ली वृहद् योजना एक अव्यवहार्य दस्तावेज़ है ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों में ; और

(ग) यदि इस का पुनरीक्षण अथवा संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह कार्यवाही क्या होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल कोई नहीं किन्तु जब कभी जरूरत पड़ती है, मास्टर प्लान में संशोधन करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 तथा दिल्ली विकास (मास्टर प्लान तथा मण्डल विकास योजना) नियम, 1959 में व्यवस्था मौजूद है।

ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिये कच्चा माल

3249. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग, बिजली तथा परिवहन सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास समिति ने चौथी योजना में ग्राम तथा छोटे उद्योगों को कच्चे माल का सम्भरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली उपाय करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) बड़े, मध्यम और लघु स्उद्योगों को दुर्लभ कच्चा माल आवंटित करने और उपयोग करने के प्रश्न पर, उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय द्वारा गठित दुर्लभ कच्चा

माल सम्बन्धी समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा रहा है और आशा है उसकी सिफारिशें भी शीघ्र ही मिल जायेंगी ।

कोसी परियोजना

3250. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने कोसी परियोजना करार, 1954 में संशोधन करने के लिये हमारी सरकार से प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने किन संशोधनों का सुझाव दिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) संशोधन में यह स्पष्ट प्रबन्ध है कि नेपाल सरकार को नेपाल में सिंचाई तथा किसी और उद्देश्य के लिये कोसी नदी से और सनकोसी नदी से या कोसी बेसिन में कोसी नदी की किसी उप-शाखा से समय-समय पर आवश्यकतानुसार पानी लेने का अधिकार हो । भारत सरकार को यह हक होगा कि वे बराज स्थल पर कोसी नदी में शेष सारे पानी का नियंत्रण करे तथा पूर्वी नहर में बिजली उत्पन्न करे ।

संशोधनों में यह भी प्रबन्ध है कि नेपाल सरकार कोसी परियोजना के लिये अर्जित की गई सारी भूमि को संशोधनों पर हस्ताक्षर की तिथि से 199 वर्ष की अवधि के लिये भारत सरकार को पट्टे पर नामीय किराये पर देगी । कुछ और मामूली से संशोधन भी हैं ।

विदेशी मुद्रा

3251. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे, उद्योग तथा संभरण और पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों से विदेशी मुद्रा देने के अधिकार को वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह बात सही नहीं है कि रेल, उद्योग और संभरण तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों से विदेशी मुद्रा देने के "अधिकार वापस" ले लिये गये हैं । लेकिन विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति और हमारी विदेशी-मुद्रा-प्रारक्षित निधि में भारी कमी को देखते हुए 20-3-1965 को उन्मुक्त विदेशी मुद्रा (फ्री फारेन एक्सचेंज) के सम्बन्ध, में सभी मंत्रालयों से ऐसे अधिकार वापस ले लिये गये थे । अधिकारों की यह वापसी, संसद् में मेरी 17 फरवरी, 1965 को की गई इस घोषणा के अलावा है कि हम उन्मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर

किये जाने वाले सरकारी आयात के सभी वायदों पर पुनर्विचार करेंगे ताकि इस सम्बन्ध में यथा-सम्भव मितव्ययता की जा सके ।

रिहायशी फ्लैटों का वाणिज्यिक प्रयोग

3252. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडारा रोड, नई दिल्ली में किन्हीं रिहायशी फ्लैटों का वाणिज्यिक कार्यों के लिये प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार से अनुमति ले ली गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) केवल एक फ्लैट केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर को अलाट किया हुआ है और उसका वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

Investment of British Capital in India

3253. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the British Government's new financial proposals making certain changes in texation and in exchange control with a view to check the outflow of capital from U.K.; and

(b) if so, the probable effects of these financial proposals on the outflow of the British capital to India ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) The proposed measures of exchange control are not intended to affect the outflow of British capital to sterling area countries. As regards the proposed changes in taxation, it is too early to say what effect these proposals will have on the inflow of British capital into India in the long run.

Currency Notes

3253-A. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Yudhvir Singh:
Shri Jagdev Singh Sidhanti :
Shri Ram Sewak Yadeav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a majority of the currency notes are being destr oyed by the Reserve Bank under the 'Emergency Procedure';

(b) the intention of this 'Emergency Procedure' and the rules for its enforcement ; and

(c) the previous occasions when this sort of 'Emergency Procedure' was enforced during the last ten years ; and

(d) whether Government's attention has been drawn to this fact that there is a possibility of misppropriation and fraud if the bundles of notes are destroyed without counting them under such special 'Emergency Procedure'?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The majority of the notes returned from circulation are subjected to detailed examination. Only a portion of the notes are disposed of under the 'Emergency Procedure'.

(b) The intention is to expedite disposal of spoiled notes returned from circulation and to prevent the accumulation of heavy arrears in this regard. There are no specific rules; but a pro cedure has been laid down for applying different types of test-checks without foregoing any of the essential safeguards.

(c) Such an 'Emergency Procedure', though in a different form, has been applied from time to time during the last War and subsequently whenever the occasion demanded.

(d) The Special 'Emergency Procedure' has been prescribed after taking into account all possible safeguards against misppropriation, etc. and it is operated under the supervision of the Officer-in-Charge of operation and a senior official of the Treasurer's Branch of the Bank. The representative of the remitting office is also present to watch the notes being taken out of the vaults and being subjected to the checks before destruction.

Public Trustee of Companies

3253-B. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishram Prasad :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Daji :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) when the post of the Public Trustee of Companies was created, the number of persons who were assigned to that post since then and the dates on which appointments were made;

(b) the minimum qualifications, scale of pay, duties and responsibilities assigned to that post ;

(c) the course which was adopted to make appointments for this post, whether the appointments were made through U.P.S.C. or the posts were advertised; and

(d) if the reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The post of Public Trustee was created with effect from 1st September, 1964 under section 153A of the Companies Act which was introduced by the Companies (Amendment) Act, 1963. Only one appointment has been made to this post and that is of the present incumbent who took charge of the post on the same date.

(b) No minimum qualification was contemplated by the Act referred to. The duties and responsibilities of the post are those which have been entrusted to him by the Act and consist mainly of representing certain Trusts in meetings of shareholders of companies and acting in such meetings in the interests of the

beneficiaries of the Trusts. The pay of the post is Rs. 2000/- p. m. plus the pension admissible to the officer concerned provided that his pay plus gross pension and pensionary equivalent and other retirement benefits does not exceed Rs. 3,000/-.

(c) No Sir.

(d) Under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958, as amended from time to time, it is not necessary to consult the Commission in regard to posts of a Member of a Board, Tribunal or other similar authority created under the provisions of a Statute. As regards advertisement, it is not the normal practice to advertise very senior posts for which retired officers are considered suitable.

महंगाई भत्ता

3253. **ग. श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सरकारी घोषणा के अनुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का क्या आधार है, जब कि पिछला महंगाई भत्ता निर्वाहसूचक अंक के 145 होने पर दिया गया था और अब निर्वाहसूचक-अंक बढ़ कर 163 हो गया है ; और

(ख) 1200 से 1290 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न देने के क्या कारण हैं जब कि दास आयोग ने 600 से 1200 रुपये तक के मासिक वेतन पर भी महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते की दरों में, मूल्यों के मासिक सूचक-अंक के आधार पर नहीं बल्कि, 12 महीनों की अवधि के औसत सूचक-अंक के आधार पर संशोधन किया जाता है । 1 अक्टूबर 1964 से महंगाई भत्ते की दरें, औसत अंक 145 से सम्बन्धित थीं । फरवरी, 1965 में औसत अंक 155 तक पहुंच जाने पर 1 मार्च, 1965 से दरों में संशोधन किया गया है ।

(ख) 600—1200 रुपये के वेतन-वर्ग के सम्बन्ध में एस० के० दास निकाय की सिफारिशों जिनका सम्बन्ध औसत सूचक-अंक 145 से था, स्वीकार नहीं की गयी थीं क्योंकि ये वेतन-वर्ग उसके विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत नहीं माने जा सकते । फिर भी, मूल्यों के सूचक-अंक में और वृद्धि होने के संदर्भ में तथा सभी सम्बद्ध बातों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1000 रुपये तक [1090 रुपये तक के सीमान्तक समायोजन (मार्जिनल एडजस्टमेंट) के साथ] वेतन पाने वालों को भी महंगाई भत्ता देना शुरू किया है । दूसरे वेतन आयोग ने 1000 रुपये की सीमा की भी कल्पना की थी ।

दिल्ली में फर्मों का पंजीकरण

3253. **घ. श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली प्रशासन के फर्म पंजीयक को भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने में लगभग दो से चार महीने लगते हैं ;

(ख) क्या आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने में बहुत अधिक देरी होने के कारण काफी मामले कालबाधित हो जाते हैं और पंजीयन प्रमाणपत्रों के न होने के कारण न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिये जाते हैं ; और

(ग) सरकार ने लोगों की इस गम्भीर शिकायत को दूर करने तथा विभाग की लापरवाही के कारण जिन व्यक्तियों को हानि हुई थी , उसे पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) फर्मों के पंजीकरण में विलम्ब हो जाने के अवसर रहे हैं जो साधारणत: 6 सप्ताहों के विलम्ब से अधिक नहीं हैं ।

(ख) सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं लाया गया ।

(ग) सरकार इस मामले में जांच करने और पंजीकरण के कार्य की गति में शीघ्रता लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

पहाड़ी क्षेत्र समिति

3253–**डा. श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना-आयोग द्वारा नियुक्त पहाड़ी क्षेत्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) किन मुख्य विषयों व मदों पर चर्चा हुई तथा क्या निश्चय किये गये ; और

(ग) क्या इस समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों की कोई परिभाषा अथवा कसौटी निर्धारित की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एक, 12 मार्च, 1965 को ।

(ख) इस समिति ने इन क्षेत्रों की सामान्य समस्याओं और इन क्षेत्रों का आयोजन किस प्रकार किया जाय के तरीकों पर विचार-विमर्श किया । मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

(1) पहाड़ी क्षत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कृषि के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, खादी और ग्रामोद्योग, दस्तकारी और लघु उद्योग तथा परिवहन एवं पर्यटन के लिए विचारक दल गठित किये जायें ।

(2) योजना आयोग में एक कर्णधार समिति बनाई जाये जिसमें सब सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि हों ।

(3) केन्द्र में खाद्य और कृषि मंत्रालय में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक कार्यालय खोला जाय ।

(4) विचारक दल, पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करे । उनका प्रतिवेदन मई, 1965 के अन्त तक योजना आयोग को मिल जाना चाहिये । इसके बाद योजना आयोग द्वारा एक सेमिनार किया जाय, जिसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा बनाना सम्भव होगा ।

(5) सेमिनार के बाद, विचार-विनिमय और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली दिक्कतों का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल पहाड़ी क्षत्रों के दौरे पर जाये ।

(6) योजना आयोग दो पत्र भेजेगा । एक उन राज्यों को जिनमें पहाड़ी क्षेत्र राज्य सीमाओं के साथ विद्यमान है और दूसरा उन राज्यों को जिनमें पहाड़ी क्षेत्र राज्य का एक भाग है । सीमाओं के साथ विद्यमान पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्यों संघीय क्षेत्रों से निवेदन किया जायेगा कि वे पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विशेष समस्याओं का अपनी योजनाओं में समावेश करें, और किन राज्यों संघीय क्षेत्रों का पहाड़ी क्षेत्र एक भाग है उनसे निवेदन किया जायेगा कि वे पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक उप-योजना बनायें और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें ।

(7) पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ व्यापक-उद्देश्य वाली एक दीर्घकालीन पन्द्रह वर्ष की योजना होगी । संचार को सब से उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भूमि संरक्षण, जल-विभाजक का प्रबन्ध, पहाड़ी क्षेत्रों का अनुसन्धान, पशुपालन, तकनीकी व्यक्तियों का प्रशिक्षण और सर्वेक्षण हैं ।

(8) यह वांछनीय होगा यदि विभिन्न सेवाओं के केन्द्रीय संवर्ग में पहाड़ी क्षेत्रों में दीर्घ-कालीन प्रतिनियुक्ति के लिए एक प्रतिनियुक्ति आरक्षण निर्मित किया जाय । विचारक दल का प्रतिवेदन मिलने तथा सेमिनार द्वारा इस पर विचार करने के बाद इन सेवाओं के बारे में ठीक ठीक ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

(9) योजना आयोग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से विचार-विमर्श कर इन क्षेत्रों के सर्वेक्षण और अपेक्षित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा ।

(ग) जी, नहीं, समिति ने उन क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र स्वीकार किया है जिन को भारतीय जन-गणना रिपोर्ट में इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं "दी हिन्दु" तथा "इण्डियन नेशन" समाचारपत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं । इन समाचारपत्रों ने श्री नन्दा द्वारा आसाममें दिये गये भाषण को प्रकाशित किया था तथा भारत सेवक समाज का उल्लेख करते हुए लोक लेखा समिति के बारे में कुछ कहा था । उन्होंने यह नहीं देखा कि श्री नन्दा ने इसका प्रतिवाद कर दिया है और कहा है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था । इसलिये इन दोनों समाचारपत्रों के विरुद्ध मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि मुझे वास्तविकता बताई जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हमने सूचना सम्बन्धित समाचारपत्रों को भेज दी थी । हम ने उन से कह दिया था कि यदि वे इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं । "दी हिंदु" ने तो तुरन्त ही उत्तर दे दिया था । उन्होंने इस बारे में बहुत ही खेद प्रकट किया है । उन्होंने कहा है कि हमें यह रिपोर्ट यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया से प्राप्त हुई थी और हमेशा की भांति हमने इसे प्रकाशित कर दिया था । परन्तु जब उन्हें यह पता लगा कि श्री नन्दा ने इस रिपोर्ट को मानने से इन्कार कर दिया है तो उन्होंने न्यूज एजेंसी से पूछा कि उन्हें गलत रिपोर्ट क्यों दी गई थी । उन्होंने कहा है कि इसी बीच हम ने इस रिपोर्ट के प्रतिवाद को भी प्रकाशित कर दिया था । उन्होंने कहा कि हम फिर भी खेद प्रकट करते हैं तथा आश्वासन देते हैं कि इसे प्रकाशित करने में हमारी यह मंशा बिल्कुल नहीं थी कि लोक सभा अथवा लोक लेखा समिति के विशेषाधिकार को भंग किया जाये ।

मेरे विचार से उनके द्वारा खेद प्रकट किया जाना काफी है। जहां तक दूसरे समाचारपत्र "इण्डियन नेशन" का सम्बन्ध है हमने उन्हें 23 अप्रैल, 1965 को पत्र लिखा था। परन्तु उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। इसलिये जहां तक इस समाचारपत्र का सम्बन्ध है उनका मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दोनों का ।

अध्यक्ष महोदय : "इण्डियन नेशन" का मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उस समाचार एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जो ऐसे समाचार देती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। उस तारीख के "दी हिन्दु" की प्रति मेरे पास है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि मंत्री महोदय ने इस प्रकार कहा था। जो कुछ उन्होंने कहा था वह उद्धरण में दिया गया है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब आलोचना होने लगती है तो कुछ माननीय मंत्री समाचारपत्रों में दी गई रिपोर्टों का प्रतिवाद करना आरम्भ कर देते हैं। इसलिये सभा यह जानना चाहती है कि मंत्री महोदय ने वास्तव में क्या कहा था।

अध्यक्ष महोदय : इसका समाचारपत्रों में प्रतिवाद कर दिया गया है। इसलिये इससे अब हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। यह लोकतन्त्र के लिये खराब बात होगी माननीय मंत्री यहां बैठे हैं उनको बोलने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हरि विष्णु कामत : शान्ति, शान्ति क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति कह कर मैंने कौन सा अपराध कर दिया ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने भी तो यही कहा था कि शान्ति शान्ति कह कर यह मामला हल नहीं हो सकता है। यह तो गम्भीर मामला है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : सभा को तो "दी हिन्दु" में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसका पता है। परन्तु किसी अन्य दिन उस समाचारपत्र ने माननीय गृहकार्य मंत्री द्वारा किये गये उस रिपोर्ट के प्रतिवाद को प्रकाशित किया था जिसकी सूचना सभा को नहीं मिली। हमें यह मालूम नहीं है क्या मंत्री महोदय ने उस रिपोर्ट का किस तरीके से प्रतिवाद किया था। इसलिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रतिवाद को आपको तथा इस सभा को उपलब्ध किया जाये ताकि आप उस प्रतिवाद के स्वरूप को हमें बता सकें तथा यह स्पष्ट कर सकें कि प्रतिवाद को तथा सम्बन्धित समाचारपत्र द्वारा मांगी गई क्षमा को देखते हुए और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। अन्यथा जब दूसरा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा, तो समिति इस मामले को देख कर उस मामले को ही छोड़ देगी ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I too had asked for permsision to raise a point of privilege and had also sent you a copy of the letter forwarded to Shri Nanda. In that letter I had asked him that I wanted to raise a point of privilege if the report of his speech was correct, against him or the newspaper. In reply to this letter he had said that he would reply to this question very soon and the next day he had also replied. He had also sent me the copy of the contradiction.

You have recently said that you had got this information from "the Hindu" that they had received this report from the news agency and then published it. Therefore I would wish that the news agency should be asked to explain and the contradiction of the reports should also be submitted to the House so that a decision can be arrived at whether the contradiction is correct or not.

Mr. Speaker : I had received a notice from the hon. Member though it was late by five or six days. The hon. Member had also mentioned that the delay had been caused because he was trying to get the newspaper and he had come to know that my Secretary had taken the newspaper. But I want to make it clear that he had taken the newspaper not for any private purpose. Because the notices were addressed to me, therefore the newspaper had to be enclosed with them. He should have given the notice in the first instance.

As far as the hon. Members wish that news agency should also be enquired into because they have given the report, is concerned I can say that such a thing has never happened before it. If a regret is expressed once then the matter is not prursued further.

Shri Madhu Limaye : I am not asking about "the Hindu". I am asking about the news agency.

Mr. Speaker : If anyone expresses regret then in general circumstances it is accepted. As far as the other newspaper is concerned that matter is being referred to the Committee of Privileges. The Committee will submit a report and then the House can give a final decision.

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं । आप ने जो निर्णय दिया है वह ठीक है । परन्तु क्या मंत्री महोदय को जब वह किसी रिपोर्ट का प्रतिवाद करते हैं तो क्या उन्हें सभा तथा आप को नहीं बताना चाहिये कि उन्होंने वास्तव में उस अवसर पर क्या कहा था ?

Mr. Speaker : He has said that he had not given any reference about P.A.C.

Shri Kishen Pattnayak : I had asked for your permission.....

Mr. Speaker : Every day it happens like that. During the Question Hour when the supplementaries are being asked I received two three letters. As I remain busy at that time so I can't read them. I had received your letter also

[Mr, Speaker]

when the Questions were going on. I will read it and the decision on that will be conveyed to you accordingly.

सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र। वित्त मंत्री महोदय।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा-पटल पर रखना चाहता हूं . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय वित्त मंत्री अपने स्थान पर बैठ जायें।

Shri Madhu Limaye : I want to aske one question.

Mr. Speaker : I can't allow it.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हम ने स्थगन प्रस्ताव के लिये सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अपनी अनुमति नहीं दी है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री यहां पर बैठे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह वक्तव्य दे रहे हैं या नहीं। इस बारे में समाचारपत्रों में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निश्चय करना उनका काम है।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : यह एक गम्भीर विषय है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या हम जान सकते हैं कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उन्हें इस समय मुझ से नहीं पूछना चाहिये। वह जानते ही हैं कि हर दिन . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप ने श्री मुकर्जी को अनुमति दे दी है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको कोई अवसर नहीं दिया है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

Mr Speaker : You please sit down. Shri Hem Barua may also sit down.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने जब अपना वक्तव्य दिया था उस समय कुछ प्रश्न पूछे गये थे और एसा प्रतीत होता था कि कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। मेरे विचार से ऐसे मामले के बारे में, जिसका हमें आजकल सामना करना पड़ रहा है, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। पिछले कुछ दिनों में जो वक्तव्य मैंने इस सभा में दिये हैं उनमें मैं ने सरकार की सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि पूर्व स्थिति कायम करने के सम्बन्ध में जब तक एक साथ समझौता नहीं हो जाता है तब तक युद्ध-विराम नहीं हो सकता। इस संदर्भ में, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, एक सप्ताह के लिये भी युद्ध-विराम करने के सुझाव को हम ने अस्वीकार कर दिया है। मैं ने इस बात का भी संकेत दिया था कि यदि वे शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करना चाहें तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी। परन्तु यदि इन आशाओं पर पानी फिर गया तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम अपनी भूमि की कैसे रक्षा करें तथा आक्रमणकर्ता को यहां से कैसे बाहर निकाला जाये। सच तो यह है कि यह हमारी स्थिति है, यह हमारा निश्चय है और हम इस पर स्थिर रहेंगे . . . . **(अन्तर्बाधायें)**

श्री स० मो० बनर्जी : दाल में कुछ काला है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें इस प्रश्न को सभी सीमाओं की दृष्टि से देखना होगा। यदि हम इस मामले में मध्यस्थनिर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमें काश्मीर, बंगाल तथा अन्य स्थानों में भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रश्न पर समूचे रूप से विचार करना पड़ेगा तथा आंग्ल-अमरीकी षडयंत्र को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस समय युद्ध-विराम तथा पूर्वस्थिति को कायम करने के अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं है। जब ऐसा हो जाता है, तब हम अन्य मामलों पर विचार कर सकते हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रधान मंत्री ने कहा है कि जब तक पूर्व स्थिति कायम नहीं हो जाती है तब तक युद्ध-विराम को स्वीकार नहीं किया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब पूर्व स्थिति ही कायम की जायेगी तो क्या हम अपनी गश्ती टुकड़ियों को कंजरकोट तक भी भेज सकेंगे। यदि वे इस बात को नहीं मानते हैं तो क्या वह (प्रधान मंत्री) युद्ध-विराम को स्वीकार कर लेंगे? हमें इस बारे में आश्वासन दिया जाये।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस से पहले हमारी पुलिस उस क्षेत्र में गश्त किया करती थी। इसलिये, यदि अब पूर्व स्थिति कायम हो जाती है, तो वे अवश्य ही गश्त लगायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि जब तक पूर्व स्थिति कायम नहीं हो जाती है वह किसी बात पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु जब ब्रिटेन के मध्यस्थता प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि "अभी नहीं"। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंग्ल-अमरीकी गुट से वास्तव में प्रस्ताव आया था ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके तथा क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं होगा कि हमारी प्रभुत्ता पंच निर्णय का विषय बन जायेगी? इसलिये, क्या इस प्रस्ताव को, उस पर विचार करने के बाद, अस्वीकार कर दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं । श्री हेम बरुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनको बताने तो दीजिये कि क्या कोई प्रस्ताव है भी या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देने के लिये नहीं कहूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी: यह समाचारपत्रों में आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आ गया होगा । परन्तु मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप बैठ जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : इन व्यक्तियों ने हमारे देश का विभाजन कर दिया है और अब फिर उसका विभाजन करना चाहते हैं . . . . **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : बार बार प्रार्थना करने पर भी वह नहीं बैठ रहे हैं । इसलिये उनके भाषण को कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री स० मो बनर्जी : * * * अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरे जैसे ही इस देश के नागरिक हैं । हो सकता है कि आप मेरे से अधिक देशभक्त हों । परन्तु प्रश्न पूछने का मेरा हर अधिकार है चाहे कोई प्रस्ताव हो अथवा न ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री हेम बरुआ : कल जब मैंने प्रधान मंत्री के वक्तव्य को सुना तो मेरे मन में कुछ भय उत्पन्न हो गया था और यही कारण था कि मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । मैंने अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए ही ऐसा किया था परन्तु आप ने उसकी अनुमति नहीं दी, परन्तु मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं । क्या मैं सरकार का ध्यान आज के छपे समाचारपत्रों में दी गई रिपोर्ट की ओर दिला सकता हूं जो, ऐसा अनुमान है कि, कराची में पाकिस्तानी अधिकारी द्वारा दिया गया वक्तव्य है । इसमें ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है । मेरी शंका इस प्रकार है । अब युद्ध-विराम हो गया है । पिछले तीन या चार दिनों से बी० बी० सी० यह प्रसारित कर रहा है कि कच्छ की खाड़ी में यथार्थत: युद्ध-विराम हो गया है । हम ने उस बारे में कुछ नहीं कहा है । परन्तु प्रधान मंत्री के कल के वक्तव्य को सुनने से यह पता चलता है कि बी० बी० सी० के प्रसारण को पुष्टि दे दी गई है तथा हम ने भारत की भूमि पर आये हुए शत्रु के साथ यथार्तत: युद्ध-विराम स्वीकार कर लिया है । क्या मैं यह कह सकता हूं कि संसार के सैनिक इतिहास में असन्तुष्ट पार्टी अपनी भूमि पर आये हुए शत्रु से कभी युद्ध विराम स्वीकार नहीं करती है जब तक वह अपनी हार न मान ले ? हम ने हार नहीं मानी है और तब भी युद्ध-विराम हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा है . . . . .

श्री हेम बरुआ : उन्होंने यह कहा है . . . . **(अन्तर्बाधायें)** क्या मैं कह सकता हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कल वक्तव्य दिया था और मैंने प्रश्नों की अनुमति दी थी । अब वे फिर उसी वक्तव्य पर चर्चा चाहते हैं ।

---

* * * कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री हेम बरुआ : सदस्यों को कुछ आशंकायें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता । बार-बार बातों को दोहराया जा रहा है । यही प्रश्न कल पूछे गये थे ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : My question is totally different.

Mr. Speaker : I have not called you.

श्री हेम बरुआ : अंग्रेजी में बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय : कोई कहेगा कि मुझे हिन्दी में बोलना चाहिये । कल ही प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था और सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी । **(अन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुआ : आज वे कच्छ के रन में वस्तुतः युद्ध-विराम कर रहे हों ।

अध्यक्ष महोदय : सभा सरकार को हटा सकती है । मैं ऐसा नहीं कर सकता । जो वे कहते हैं मुझे स्वीकार करना है । प्रधान मंत्री ने जो भी कहा है वह सभा के सामने है और यह निर्णय सभा को करना है कि वह इससे सहमत है या कोई कार्यवाही करना चाहती है अथवा कुछ और जो चाहे करना चाहती है । मैंने केवल इतना कहा है कि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं थे क्योंकि कल वक्तव्य दिया जा चुका है । इससे आगे कोई चर्चा नहीं हो सकती . . . **(अन्तर्बाधा)** नहीं, श्रीमान्, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : हम स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब वे अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री हेम बरुआ : कल सारी रात मैं इस बात को सोचता रहा । मैं सो भी नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उतना ही बेचैन हूं; लेकिन कुछ व्यवस्था होनी चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question is totally different.

Mr. Speaker : Yesterday's statement can not be continued.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The apprehension which arises out of your statement * * *

Mr. Speaker : All this will not be recorded.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : * * *

Dr. Ram Manohar Lohia :

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* * * Not recorded.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am told that there was an agreement in 1960 whereby mediation was accepted. Now Shri Shastri finds himself in a helpless position. My first point is that since Pakistan has attacked us, all agreements become inoperative. Therefore, this agreement regarding mediation should be deemed to have been repudiated. After saying so many things Mr Shastri puts forward the plea that he was not aware of it. In these circumstances I have only to request him that he has no right to be there in office even for a moment.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, some of the words such as cease fire agreement, arbitration, etc. used by the Minister during the last 2-3 days have created some apprehensions. Had we occupied Pakistan territory through aggression, these things could be raised. But when Pakistan is aggressor and her forces are present on Indian soil, can we not tell them boldly that we are not prepared to discuss these things unless Pakistani forces withdraw from our soil ?

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) : First the Prime Minister said that we will not enter into any agreement unless *status quo ante* is restored. The Defence Minister said that the job has been entrusted to the army. Therefore from the security point of view you disallowed many questions in this House. Since yesterday some vague language is being used. The Prime Minister said we would see to it. What does the use of word "would" mean ? How you had said that you had given a free hand to the army to get the Pakistani aggression vacated ? Let it be clear when you will use force.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्रीमान्, हमें तथाकथित वस्तुतः युद्ध-विराम के बारे में कुछ शंकायें हैं । हम जानना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार ने वस्तुतः युद्ध-विराम के लिये कोई समझौता किया है अथवा लड़ाई बन्द रखने की वर्तमान स्थिति बनाये रखने के लिये कोई वचन दिया है । दूसरी बात यह कि क्या सरकार को मालूम है कि आज एक समाचार के अनुसार राजस्थान सीमा पर आक्रमण की कुछ घटनायें हुई हैं तथा बारमेड़ में वास्तव में वायु सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं । तीसरे यह है कि क्या सरकार ने इस सभा को बताये बिना इस मामले को विश्व न्यायालय में रखने का विचार किया है । अन्त में क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को राजस्थान आर्मड़ कान्स्टेबुलरी के अधिकार में देने का है, विशेषकर राजस्थान सीमा को, जो इस क्षेत्र के साथ लगती है । यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का गम्भीर मामला है ।

Shri Madhu Limaye : I shall cite an instance to show how grave the situation has become. China has issued a statement to-day openly supporting the Pakistani point of view and has given a warning and a threat to India that if we do not change our attitude, grave consequences would follow. Yesterday Shri Shastri held a meeting of various leaders. We were asked not to talk to the press. So we only briefed our leader. I want to know whether the Government of India had agreed in Indo-Pak Border Agreement of 1960 to refer the border dispute to a court, tribunal or arbitration. There are three aspects of the British proposal, first cease-fire, second restoration of *status quo* and the third reference of the border treaty to arbitration. I want to know whether Mr. Shastri has accepted this proposal. He was talking of simultaneous withdrawal. I want a clarification whether the cease-fire and withdrawal of Pakistani forces will be simultaneous or there will be only an agreement. regarding withdrawl of troops.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : जैसा मैं समझता हूं मामला यह है कि प्रधान मंत्री ने हमें यहां यह आश्वासन दिया है कि वे इस सभा की पूर्वानुमति लिये बिना कोई दृढ़ कदम नहीं उठायेंगे । दूसरी बात

यह कि प्रधान मंत्री ने इस सभा में यह वचन भी दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी एक इंच भमि भी नहीं छोड़ी जायेगी। यदि ये दोनों बातें सही हैं और प्रधान मंत्री इन्हें फिर दोहराने के लिये तैयार हैं, जो इन आशंकाओं के कारण आवश्यक हो गया है, तो फिर प्रधान मंत्री को परेशान करने से कोई लाभ नहीं ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वस्तुतः युद्ध-विराम बिल्कुल नहीं है। यह सच है कि लड़ाई बन्द है। लेकिन इसके बावजूद कभी-कभी गोलाबारी हो जाती है तथा जब वे गोलाबारी करते हैं तो उत्तर में कभी-कभी हम भी गोले फैंकते हैं। इसलिये, इसको युद्ध-विराम नहीं कह सकते हैं।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि युद्ध-विराम के लिये समझौता होता है तो उसके लिये एक औपचारिक घोषणा करनी होगी। इस के अतिरिक्त, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि युद्ध-विराम के साथ युद्ध-पूर्व स्थिति का सिद्धान्त भी स्वीकार करना होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : There was no ceasefire in case of China. They are still in occupation of our territory.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : लेकिन जैसा मैंने स्पष्ट किया था कि यथार्थ में सेना को हटाने में कुछ समय लग सकता है जो मैं समझता हूं यहां प्रत्येक व्यवहारिक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा।

जहां तक किसी प्रकार के पंच फैसले के इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि 1960 में श्री स्वर्ण सिंह तथा पाकिस्तान के कर्नल शेख के बीच एक समझौता हुआ था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या प्रधान मंत्री कृपया वह खंड विशेष पढ़ देंगे क्योंकि विज्ञप्ति (कम्यूनके) में यह नहीं दिया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह इस प्रकार है :

> "दोनों देश कच्छ-सिंध सीमा सम्बन्धी विवाद के बारे में अग्रेतर सामग्री इकट्ठी करने के लिये सहमत हैं तथा बाद में इस विवाद को सुलझाने के विचार से बातचीत होगी।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उन्होंने इसका उल्लंघन किया है।

श्री हेम बरुआ : इसके इकट्ठा करने के लिये पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है। उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिये, तथाकथित समझौता समाप्त हो गया।

श्री हरि विष्णु कामत : समझौते को अब समाप्त कर दो।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वह एक अलग मामला है। इस समय प्रश्न यह है कि युद्ध-पूर्व स्थिति कायम करनी है . . . .

श्री हेम बरुआ: लेकिन पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति की है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि हमारी इच्छानुसार युद्ध-पूर्व स्थिति ठीक प्रकार से कायम हो जाये, तो फिर आगे प्रश्न उत्पन्न होगा . . .

Shri Madhu Limaye : Question arises regarding violation of present position.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उन्होंने इसका उल्लंघन किया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा मैं ने कहा इस समय तो हम यह बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि मामले पर आगे विचार करने से पहले युद्ध-पूर्व स्थिति कायम करनी होगी ।

Dr, Ram Manohar Lohia :**

Shri Madhu Limaye :**

Mr. Speaker : This should not be recorded.

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक श्वेत-पत्र रखा जाना चाहिये ।

श्री राजेश्वर पटेल (हाजीपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रधान मंत्री ने अभी एक दस्तावेज से कुछ अंश पढ़ा, जिस पर वर्तमान विदेश मंत्री के हस्ताक्षर बताये जाते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जनवरी, 1960 में इस सरकार के मतानुसार वह क्षेत्र, कच्छ तथा सिंध क्षेत्र में वह सीमा विवादाग्रस्त थी । पिछली बार जब माननीय प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने यह कहा था कि इस सीमा के बारे में विवाद का कोई प्रश्न नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री को इस दस्तावेज के बारे में मालूम था ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह तो सरकार के उत्तर देने की बात है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : If this is not a point of order then what else in the world can be a point of order ?

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे इस समझौते के बारे में मालूम था । दूसरे मैंने यह कल ही स्पष्ट कर दिया था कि हम यह नहीं मानते कि इस मामले में कोई सीमा-विवाद है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सीमा-विवाद है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : प्रश्न यह है सीमा-रेखा कौनसी है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जमा बीमा निगम अधिनियम के अन्तगेत प्रतिवंदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 की धारा 32 की उप धारा (2) के अन्तर्गत जमा बीमा निगम के कार्य की 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not Recorded.

होने वाले वर्ष के लिए प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे, तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4355/65]**

जनपथ होटल्स के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे, समीक्षा इत्यादि

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली की 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(ii) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4356/65]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नयी दिल्ली के वर्ष 1963–64 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4357/65]**

व्यय कर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री रामेश्वर साहू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) व्यय-कर अधिनियम, 1957 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1106 दिनांक 1 अप्रैल, 1965 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4358/65]

(ii) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ संशोधन किये गये थे :—

(एक) दिनांक 3 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 503

(दो) दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 549

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4359/65]

(iii) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 550

[श्री ब० रा० भगत]

(दो) दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 551

(तीन) दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की जी० एस० आर० 552

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--4360/65]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही का सारांश

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं गृह कार्य मंत्रालय--जनशक्ति निदेशालय तथा व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था, नयी दिल्ली, के बारे में चौहत्तरवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

नवां तथा दसवां प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं सरकारी उपक्रमो सम्बन्धी समिति के *निम्नलिखित* प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :--

(i) नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपा नगर, के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के 157वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में नवां प्रतिवेदन ; और

(ii) भारत के औद्योगिक वित्त निगम के बारे में प्राक्कलन समिति के 36वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में दसवां प्रतिवेदन ।

केरल सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प तथा केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

RESOLUTION *RE* : PROCLAMATION IN RELATION TO KERALA AND KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय दूसरा संकल्प भी प्रस्तुत कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ले लिया जायेगा ।

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केरल राज्य के विधान मंडल को कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सितम्बर, 1964 की बात है कि शंकर मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया था । कोई भी दल उस समय सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था । राष्ट्रपति की उद्‌घोषणा को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत छः मास तक चलाना था, अर्थात् इसकी अवधि 30—3—65 तक थी । इस काल के बीच 4—3—65 को केरल राज्य में सामान्य चुनाव हुए । जो भी परिणाम सामने आये उससे स्पष्ट था कि कोई भी दल बहुमत नहीं प्राप्त कर सका । कोई भी एक दल अपनी शक्ति के आधार पर वहां सरकार नहीं बना सकता था । बहुमत के निकट पहुंचे दल भी स्वतः सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे ।

इस परिस्थिति में राज्यपाल ने विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया । उस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप स्थिति यह है कि श्री नम्बूद्रिपाद ने विभिन्न वर्गों तथा विधान मंडलों के सदस्यों से बातचीत करके ऐसा आधार बनाया जिस पर गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित की जा सके । उन्होंने इसे सम्भव बताया । इस सम्बन्ध में केरल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं ने राज्यपाल को यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि वे इस प्रकार के किसी मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होंगे, और न ही वे इस तरह के किसी मंत्रिमंडल का समर्थन ही करेंगे, जोकि वाम पक्षी साम्यवादियों द्वारा बनाई जायेगी अथवा उनके समर्थन से पदासीन होगी ।

इस परिस्थिति में, राज्यपाल ने महसूस किया कि साम्यवादी दल बहुमत प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, चाहे उस दलके सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ भी दिया जाय और वे सब लोग विधायकों के रूप में कार्य भी करने लगें । अतः राज्यपाल ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्‌घोषणा जारी कर दी जाय । स्थिति को देखते हुए इसके अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था ।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे । अतः उन्होंने इस स्थिति में 10 सितम्बर की उद्‌घोषणा को समाप्त कर के 24 मार्च, 1965 को नयी उद्‌घोषणा जारी कर दी । और केरल में पुनः राष्ट्रपति शासन स्थापित हो गया । राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसकी तथा उद्‌घोषण की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गयीं । विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, इस मामले पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई बार विचार किया गया है । अब तो स्थिति यह है कि राष्ट्रपति ने केरल का शासन अपने हाथ में ले लिया है । अतः इसके विकास और प्रशासन का उतरदायित्व भारत सरकार पर है । इस दिशा में जो कुछ भी हम से सम्भव होगा, हम करेंगे, और यह देखेंगे कि केरल निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ता जाय और उसके हितों की कोई हानि न हो ।

इस दिशा में कार्य आरम्भ किया जा रहा है । प्रस्थापनायें तथा योजनायें बनाई गयी हैं इसी कार्य के लिए मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई गयी है । जिसमें योजना आयोग के उप सभापति भी

[श्री हाथी]

रखे गये हैं। एक सुझाव यह भी दिया गया है कि इस उद्देश्य से हमें एक संसदीय समिति बनानी चाहिए। इस बारे में मेरा एक निवेदन यह है कि हमने केरल के सदस्यों को सम्मिलित कर के एक समिति बनाई थी। अब उस समिति के विस्तार की बात हो रही है। उस समिति में अब 30 लोक सभा के और 15 राज्य सभा के सदस्य लिये जायेंगे। इस समिति के कृत्यों को विधायिकी स्थिति प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि विधेयक के खंड 4 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कोई विधान सम्पूर्ण नहीं होगा। उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सदन को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह जो भी चाहे उसमें संशोधन तथा परिवर्तन कर ले। कोई भी सदस्य इस दिशा में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विधेयक में कुल तीन ही खंड हैं जिनका बहुत महत्व है। केरल के सदस्यों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के कारण केरल अथवा उस के लोगों को कोई हानि न पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय : दोनों संकल्प प्रस्तुत हुए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I put forward my amendment under Rule No. 177 but it was not accepted by the Speaker. I was also told that many members also wanted to put forth their amendments but they were not allowed to be moved. I submit that we may be allowed to move our amendments, as the declaration of the President is also done on the advice of the Government.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : हम भी इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे संशोधन स्वीकार किये जायें।

श्री वारियर (त्रिवूर) : हम प्रस्ताव और संकल्प का अन्तर नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि नियम के अन्तर्गत है। हम और कुछ नहीं चाहते, हमारा आग्रह केवल इतना है कि हमें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय: यह कहा गया है कि नियम संख्या 177 के अनुसार प्रस्तुत हुए संकल्प के सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अत: कुछ संशोधन प्रस्तुत भी किये गये हैं। मैंने उन सबको अस्वीकार कर दिया है। इस के कारण ये हैं। नियम 170 के अनुसार एक सदस्य को जो मंत्री नहीं है, 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। यह उन संकल्पों के बारे में है जो गैर-सरकारी सदस्यों के होते हैं, परन्तु यह शर्त संविधान के अधीन आने वाले कानूनों के लिये नहीं। संविधान के उपबन्ध के अनुसार इस प्रकार की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा होना चाहिये नहीं तो दो महीनों के पश्चात् यह अपने आप समाप्त हो जायेगी।

अब सभा को इस का अनुमोदन करना है या यह अपने आप ही समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार के संविहित संकल्प के स्थान पर कोई स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस पर भूतपूर्व अध्यक्षों के निर्णय भी हैं। वे भी इस प्रकार ही हैं। इस प्रकार के संकल्प का संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस प्रस्ताव के प्रति अपने दल की ओर से निस्नुमोदन व्यक्त करता हूं । मैं आशा करता हूं कि सदन भी इस संकल्प का अनुमोदन नहीं करेगा। केरल में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं । वहां पर सरकार लोकतन्त्र को जारी रखने में असफल रही है । यदि कांग्रेस पार्टी को कुछ निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिल जाता तो राष्ट्रपति का शासन नहीं होता। कांग्रेस पार्टी केरल में उन परम्पराओं के विपरीत कार्य कर रही हैं जिन्हें हम अपने देश में स्थापित करना चाहते हैं। केरल, उड़ीसा तथा कई अन्य राज्यों में हमारा अनुभव रहा है कि ब्रिटिश प्रणाली हमारे लिये उचित नहीं हैं । हमारे देश में कांग्रेस ही एक बड़ा दल है । इसकी यह ज़िम्मेदारी है कि देश में लोकतन्त्र को सफल बनाये और इस कार्य की पूर्ति के लिये हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार होना चाहिये। अमरीका की प्रणालियों का प्रयोग किया जाना चाहिये और देखना चाहिये हमारे देश में कौन सी प्रणाली लाभदायक सिद्ध होती है। केरल में कांग्रेस ने एक बार साम्यवादियों की भी मिलीजुली सरकार बनने दी । फिर इसने प्रजासमाजवादी दल के साथ मिलकर सरकार बनायी । इस प्रकार इसने समय समय पर लाभ उठाया । मंत्री महोदय ने कहा है कि 45 सदस्यों की समिति बनायी जा रही है । इस समिति में केरल के सभी संसद सदस्य होंगे । इस समिति का कोई लाभ नहीं होगा । वहां पर तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी का शासन होगा । राज्यपाल भी तो इसी पार्टी द्वारा ही मनोनीत हुआ है । वहां पर हर प्रकार का प्रभुत्व सत्ताधारी दल का ही रहेगा ।

यदि कांग्रेस वहां पर बहुमत प्राप्त करती और सरकार बनाती तो हमें कई आपत्ति नहीं थी । वहां पर फिर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा रहा है । यह कहा जा रहा है कि बड़े कार्यकुशल व्यक्ति को केरल का राज्यपाल बनाया जा रहा है। परन्तु इस से वहां के लोगों को स्वशासन से वंचित किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि केरल में कार्यकुशल शासन के साथ साथ स्वशासन में भी हो। यह सभी दलों का दायित्व है कि इस प्रकार का शासन बनाने में सहायता दें । मैं नहीं कह सकता कि केरल में राष्ट्रपति का शासन लाभदायक होगा या नहीं परन्तु निस्संदेह यह स्वशासन तो नहीं है । केरल को स्वशासन से वंचित करने की ज़िम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है ।

कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी साम्यवादियों को जेल में डाल कर बड़ी भूल की है । गृह-कार्य मंत्री को अब त्यागपत्र दे देना चाहिये। 29 साम्यवादी चुनाव में जीत गये हैं। मुझे खेद है केरल में इतने अधिक लोगों ने इन साम्यवादियों की गतिविधियों को जानते हुए भी इन को चुना है । इससे यही सिद्ध होता है कि लोगों का कांग्रेस में विश्वास नहीं है । कांग्रेस पार्टी ने केरल में प्रतिपक्ष वालों को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर ही नहीं दिया। यह उचित नहीं है । काश्मीर में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न की जा रही है । कांग्रेस पार्टी देश में लोकतन्त्र को असफल बनाने वाली कार्यवाहियां कर रही है । यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है । यदि आप वास्तविक रूप में लोकतन्त्र की स्थापना चाहते हैं तो यहां पर स्विटज़रलैंड में प्रचलित प्रणाली को लागू करें । इस के अनुसार सभी दलों को लगभग अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलेगा । एक बार ऐसा हो जाने पर वे एक समिति के रूप में कार्य करते हैं। मेरे इस सुझाव पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उचित निर्णय करना चाहिये ।

[श्री रंगा]

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* }

मैं आशा करता हूं कि इस प्रणाली का प्रयोग अवश्य किया जायेगा । कांग्रेस पार्टी के अपने संगठन में बहुत फूट है । सभी राज्यों में इस के गुट बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में वह प्रजातन्त्र को कैसे सफल बना सकती है । केरल भारत का एक बहुत प्रगतिशील राज्य है । वहां पर भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा साक्षरता बहुत अधिक है। ऐसे राज्य को आप स्वशासन से वंचित कर रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है । कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी । महात्मा गांधी इस के नेता थे । अब यह इस प्रकार के कार्य कर रही है जो इसे शोभा नहीं देते ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : श्रीमान्, श्री रंगा ने इस प्रश्न पर बड़े अच्छे शब्दों में प्रकाश डाला है । यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है । यदि हम में ज़रा भी राजनैतिक औचित्य है तो हमें इस संकल्प का अनुमोदन नहीं करना चाहिये। इस मामले के बहुत से पहलू है जिन पर संसद को विचार करना चाहिये। यह उद्घोषणा उस समय जारी की गई थी जब संसद का अधिवेशन चल रहा था । ऐसे समय में ऐसा करने के औचित्य पर भी विचार करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ केरल में किया है वह बहुत शोचनीय है । हमारे संविधान में राष्ट्रपति को इस प्रकार की उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है । इस प्रकार का उपबन्ध किसी और संविधान में नहीं है । हमारे संविधान के बनाने वालों ने यह उपबन्ध क्यों बनाया मैं इस बात को समझ नहीं सका। मुझे भारत सरकार 1935 के अधिनियम के अंश भी इस में लिये हुए जान पड़ते हैं। ब्रिटेन के इतिहास से पता चलता है कि वहां संसद ने बहुत पड़े संघर्ष के पश्चात् राजा के इस प्रकार के अधिकारों को समाप्त किया था । मेरा निवेदन है कि हमें ऐसी प्रथा बनानी चाहिये कि जब सभा का अधिवेशन चल रहा हो तो ऐसी उद्घोषणायें जारी न की जायें । सरकार को पहले संसद का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये था और उस के पश्चात् ही राष्ट्रपति से उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश करनी चाहिये थी ।

यदि उस विशेष समय पर संसद ने इस प्रकार का संकल्प स्वीकार किया होता तो इस विशेष कार्यवाही की कुछ संवैधानिक वैधता होती । यह नैतिक, संवैधानिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अवैध कार्यवाही है। जिस प्रकार अध्यादेशों के सम्बन्ध में यह उपबन्ध है कि उन्हें मंजूरी के लिये संसद में लाना पड़ेगा, उसी प्रकार उद्घोषणा को भी, जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो, संसद में लाया जाना चाहिये।

मैं अब यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर क्या हुआ। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भेजा जो गृह-मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखा गया और इसी प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा जारी की जिसके अनुसार केरल का प्रशासन अपने हाथों में लिया । राज्यपाल ने यह कारण बताया है कि राज्य का प्रशासन चलाना सम्भव नहीं है क्योंकि सभी दल अल्पसंख्यक दल हैं और इसलिये राष्ट्रपति को प्रशासन सम्भाल लेना चाहिये। यह पूर्णतया निराधार है ।

1952 में ट्रावनकोर कोचीन में, कांग्रेस ने, जो विधान सभा में पूर्णतः अल्पमत वाला दल था, श्री ए० जे० जॉन के अधीन मन्त्रालय स्थापित किया । किसी ने भी नहीं चाहा कि यह सरकार चले परन्तु यह एक अस्थायी सरकार के रूप में चलती रही । फिर 1954 में भी त्रावनकोर-कोचीन में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ । उस समय राज्यपाल को प्रजा समाजवादी दल के नेताओं को मंत्रिमण्डल बनाने के लिये बुलाने में कोई दुःख नहीं हुआ क्योंकि उस समय कांग्रेस चलाकी से मन्त्रिमण्डल में आ गई । कुछ समय बाद वह मन्त्रालय असफल हुआ परन्तु उस सभा को विघटित नहीं किया गया । उसके पश्चात् एकदम ही कांग्रेस मन्त्रालय बना दिया गया । अल्पसंख्यक सरकार होने पर भी कांग्रेस ने वहां इस प्रकार व्यवहार किया ।

1952 में एक और उदाहरण मिलता है। अविभक्त मद्रास राज्य में कांग्रेस हार गई और सबसे बड़ा दल श्री प्रकाशम का संयुक्त लोकतन्त्रीय मोर्चा निर्वाचित हुआ और क्योंकि इसमें साम्यवादी दल शामिल था इसलिये इसे सरकार नहीं बनाने दिया गया। श्री गोपालाचारी को नाम-निर्देशन द्वारा विधान परिषद् में लाया गया और उन्होंने सरकार बनाई। इस सम्बन्ध में आश्चर्यजनक तर्क यह दिया गया कि संयुक्त लोक-तन्त्रीय मोर्चा एक दल न हो कर एक संयुक्त मोर्चा है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में कांग्रेस ही एक दल है और वही शासन चला सकता है। इस प्रकार पहले भी लोगों के प्रतिनिधियों को सरकार बनाने से वंचित किया गया था।

उसी वर्ष "पैप्सू" में भी गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसे तोड़ दिया गया था और जो आरोप लगाये गये थे उनमें से एक यह भी है कि वह दल कुछ समाज-विरोधी कार्यवाहयों को प्रोत्साहन दे रहा था और साम्यवादी आन्दोलन देश के उस भाग में भाग ले रहा था। यह बहुत खेद का विषय है। यह बहुत ही तुच्छ बातें हैं परन्तु इनकी याद दिलाना अच्छा नहीं है।

1957 से 1959 की अवधि में केरल में साम्यवादी सरकार का शासन था और जिस प्रकार उस सरकार को पदच्युत किया गया वह एक ऐसी अपराधपूर्ण कार्यवाही है जिसे सभी भली प्रकार जानते हैं। 1960 में कांग्रेस का प्रजा समाजवादी दल के साथ असुविधाजनक सम्बन्ध स्थापित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भी अपना सहयोग दिया। फिर जिस प्रकार मुख्य मंत्री को राजनीतिक प्रलोभन देकर राज्यपाल बना कर बाहर भेज दिया गया वह एक बड़े पैमाने का राजनैतिक भ्रष्टाचार है।

इस प्रकार पूर्व दृष्टान्तों से यह पता चलता है कि एक दल का अल्पसंख्यां में होना सरकार बना सकने में बाधक नहीं है यदि यह आंग्रेस दल का मामला है। इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट है कि सरकार बनाने के लिये बहुमत में होना भी काफी नहीं है यदि सरकार बनाने वाला दल कांग्रेस दल से भिन्न है। केवल हर बात कांग्रेस की इच्छानुसार होनी चाहिये। लोकतन्त्र केवल कांग्रेसी लोकतन्त्र है, इससे भिन्न और कुछ नहीं। हमें यही गलत शिक्षा दी जा रही है।

प्रो० रंगा ने ठीक ही कहा है कि आज देश के सामने नई नई बातें आ रहीं हैं । भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में एक ही दल द्वारा नियन्त्रण रखे जाने का विचार एक स्वपन है

[श्री हो० ना० मुकर्जी]

जो शायद अगले निर्वाचन तक टूट जायेगा। परन्तु इस दौरान में राजनैतिक वातावरण में सुधार करने के लिये हमें कुछ करना चाहिये।

केरल के चुनाव में गृह-कार्य मंत्री की हार हुई है। उन्होंने कुछ व्यक्तियों के बारे में यह कहा कि वे देशद्रोही हैं और चीनी आक्रमणकारियों के साथ मिले हुये हैं। परन्तु केरल की जनता ने उन्हें ही चुना। कांग्रेस दल ने उनमें से 29 को जेल में डाल दिया तथा दल की बैठक में भी भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने इतना भी राजनैतिक शिष्टाचार नहीं दिखाया।

केरल में जो कुछ किया गया, वह राजनैतिक अनौचित्य का अन्तिम कार्य है। लोगों द्वारा एक सभा का निर्वाचन किया गया था। सदस्यों के नाम राजपत्रित हुये थे। उन्हें यह अधिकार था कि उन्हें सभा के रूप में मिलने के लिये बुलाया जाता और यह उनका मूलभूत अधिकार था। मैं यह इस लिये कहता हूं कि सभा कुछ व्यक्तियों का एक समूह नहीं है परन्तु भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से मिलकर यह सभा बनती है और इसका अपना एक व्यक्तित्व है, एक अस्तित्व है। इसीलिये सभा को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। इसलिये यह अच्छा होता कि वहां सभा बुलाई जाती ताकि वह यह देख सकती कि वह मन्त्रालय स्थापित कर सकती है अथवा नहीं।

श्री नम्बुद्रिपाद ने एक बहुत ही निश्चित वक्तव्य दिया था। उन्होंने इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को लिखा था कि राज्य में वामपंथी दलों के समर्थन से उनकी संख्या 61 हो जायेगी। विधान सभा को उस अवसर से वंचित रखा गया। ऐसे सदस्यों से मिल कर, जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित किया गया था, केरल में स्थिर मंत्रालय बना सकने पर सोच-विचार का अवसर छीन लिया गया।

ऐसे समय में जबकि हमारे देश में सभी क्षेत्रों में गैर-कांग्रेसी दल सामने आ रहे हैं, और कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में असफल रही है, और जिस बेशर्मी से भ्रष्टाचार ऊंचे वर्गों में बढ़ रहा है, चारों ओर अदक्षता है और प्रतिरक्षा के मामले में भी वह सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं, सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रही है। यह असाधारण नहीं है क्योंकि अबाध शक्ति से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। यह सब कुछ सहन नहीं किया जा सकता। देश के सब से अधिक पढ़े लिखे वर्ग को लोकतन्त्र के परामाधिकार तथा विशेषाधिकार से केवल इसलिये वंचित रखा जा रहा है कि एक ऐसे दल विशेष की लालसा तथा स्वेच्छापूर्ण विचारों को पूरा किया जा सके जिसके विरुद्ध जन-साधारण की शिकायतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। परन्तु यदि सरकार इसी प्रकार कार्यवाहियां करती रही तो एक दिन लोगों के सन्तोष का अन्त हो जायेगा और फिर इस सरकार को पश्चाताप होगा।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : दो प्रसिद्ध प्रोफेसरों के भाषण सुन कर मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभा के सामने इस समय जो विषय है उसके बारे में कोई संगत बात नहीं कही गई है।

पिछले वर्ष जब केरल में निर्वाचित विधान-सभा तथा सरकार बनी थी तब साम्यवादी दल अन्य दलों के साथ मिल गया था क्योंकि कांग्रेस को निकाला जा सके और वह इसमें सफल हो गया था। परन्तु इसके पश्चात क्या हुआ? वैकल्पिक सरकार की कोई सम्भावना नहीं थी क्योंकि कोई भी दल सरकार बनाने के लिये तैयार नहीं था। राज्यपाल ने सभी दलों के नेताओं को सरकार बनाने के लिये कहा परन्तु कोई भी उत्तरदायित्व सम्भालना नहीं चाहता था। इसलिये उद्घोषणा जारी की गई थी।

त्रावनकोर-कोचीन में 1953 में जो कुछ हुआ, उसके बारे में कुछ कहा गया है। संविधानिक औचित्य के अनुसार उस समय सरकार ने पद-त्याग किया तथा राजप्रमुख को सभा का विघटन करने का परामर्श दिया। कुछ समय तक के लिये यह सरकार रखवाली सरकार के तौर पर चलती रही। इसके बाद वहां निर्वाचन हुए। गृह मंत्रालय भी ऐसा कर सकता था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

पिछले निर्वाचन का क्या परिणाम रहा। कांग्रेस को हटाने के लिये सभी दल आपस में मिल गये। निर्वाचन में कांग्रेस की हार हुई। परन्तु कांग्रेस ने स्पष्टतया यह बता दिया कि जब तक कांग्रेस को बहुमत प्राप्त न हो वह सरकार नहीं बनायेगी और विरोधी दल के तौर पर काम करेगी। दूसरे सभी दलों ने सरकार बनाने का प्रयत्न किया परन्तु किसी अन्य दल या दलों के समूह के विधान-सभा में बहुमत प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं थी। अब वे यह दावा करते हैं कि सभा बुलाई जानी चाहिये थी।

संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत राज्यपाल सभा बुलाता है और निर्वाचन के पश्चात् जब वह पहली बार सभा बुलाते हैं, तो अवश्य ही सभा के सामने अपना भाषण देते हैं। केरल की इस स्थिति में राज्यपाल सभा किस लिये बुलाते। राज्यपाल का यह कर्तव्य नहीं है कि इकट्ठे हुए सभी सदस्यों के नेता चुनने के लिये कहें और चुने हुए नेता को सरकार बनाने के लिये कहें। राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा संघ सरकार केवल संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि संविधान में परिवर्तन किये जाने हों तो दूसरी बात है और यदि इसके लिये कोई समझदारी का सुझाव आता तो उस पर विचार किया जा सकता था।

विधान-सभा बुलाने से पूर्व यह अनुमान लग जाना आवश्यक है कि कोई दल सरकार बना सकेगा अथवा मंत्रिमण्डल गठित हो सकेगा। इस स्थिति में राज्यपाल ने जो कुछ भी किया वह पूर्णतया उचित था। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। स्विटजरलैण्ड तथा रूस के संविधानों का उल्लेख किया गया है। विश्व में बहुत प्रकार के संविधान हैं परन्तु हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारा अपना एक संविधान है। संविधान निर्माताओं ने शायद ऐसी आकस्मिकता के बारे में नहीं सोचा था।

यह कहा गया है कि उद्घोषणा जारी किये जाने से पूर्व संसद् से परामर्श किया जाना चाहिये था। परन्तु यहां भी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कार्यवाही करनी पड़ती है, राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बाद अथवा अपने आप। ऐसा कहने का कोई भी अर्थ नहीं है कि उद्घोषणा जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति को संसद से हिदायत लेनी चाहिये। संसद् इसे अस्वीकार अथवा स्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का उपबन्ध बिल्कुल भिन्न है और इस मामले में लागू नहीं होता।

[श्री मणियगाजन]

यदि केरल के चुनावों में निर्वाचित कुछ व्यक्तियों को इस कारण बन्दी बनाया गया है कि उनकी स्वतन्त्रता देश के हितों तथा प्रतिरक्षा के विरुद्ध है तो इसके लिये गृह-कार्य मंत्री को त्याग-पत्र देने के लिये कहने में क्या संवैधानिक औचित्य है ।

उन्हें कांग्रेस की सहायता के लिये बन्दी नहीं बनाया गया था। वे तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करने की तैयारियां कर रहे थे और वही कांड दोहराने की ताक में थे जो 1948 में तेलंगाना में हुआ था। चीन सीमा पर उनकी सहायता करने के लिये खड़ा था। उन्हें बन्दी बना कर वास्तव में कांग्रेस दल पर चुनावों में काफी सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम बन्दी बनाये गये उन 29 व्यक्तियों को भी गिनते हैं जब हम कहते हैं कि कोई भी दल सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मैं भी सराहना नहीं करता परन्तु सरकार के लिये केवल यही एक रास्ता था।

यह सुझाव दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई समिति के अधिकार अधिक व्यापक होने चाहियें। यह सुझाव मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। परन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार प्रशासनिक तथा विकास मामलों पर इस समिति की सलाह मांगी जाये। इस विधेयक में इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध रखा जाना चाहिये। इस समिति को केरल के मामलों सम्बन्धी एक प्रकार की विधान-सभा माना जाना चाहिये ।

श्री नटराज पिल्ले (त्रिवेन्द्रम) : यह दुर्भाग्य का विषय है कि केरल का निर्वाचन-मण्डल शिक्षित होते हुए भी किसी राजनैतिक दल को सरकार बनाने के लिये पर्याप्त मत न दे सका।

दलीय सम्बन्धों के अतिरिक्त इस राज्य में कुछ मूल आर्थिक कारणों से भी वहां की जनता ने किसी भी दल को इतने मत नहीं दिये जिससे कि वह सरकार बना सके। गत तीन योजनाओं के दौरान इस राज्य की आर्थिक दशा बिगड़ी है। दिन-प्रति-दिन बढ़ती हुई बेरोज़गारी खाद्य का अभाव तथा औद्योगिक प्रगति में स्थिरता आ जाने के कारण वहां के लोगों में निराशावादी मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई है। प्रत्येक दलको शासन चलाने का अवसर मिला परन्तु कोई भी दल इस राज्य के लिये कुछ विशेष कार्य न कर सका।

राज्य के संसाधन इतने सीमित हैं कि सरकार ने लगभग 21 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाये हैं, इसी प्रकार सरकारी ऋण 108 करोड़ रुपये हो गया है। तीन पांच वर्षीय योजनायें कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने में असमर्थ रही हैं।

केरल में खाद्य समस्या इतनी गम्भीर है कि पड़ौसी राज्य में संकट के समय खाद्य क्षेत्रों के कारण अन्न नहीं भेजा जा सकता है। केरल की खाद्यान्न की आधी मांग को आयात द्वारा पूरा करना पड़ता है। वहां प्रतिवर्ष लगभग दस लाख टन चावल का आयात करना पड़ता है। केरल के व्यापारी नये खण्ड बनाये जाने के कारण परम्परागत मण्डियों के साथ कोई सौदा नहीं कर सकते। न केवल यह बल्कि उन लोगों को, जिनके निकटवर्ती राज्यों के सीमान्त ज़िलों में धान के खेत हैं और जिनकी वे काश्त करते हैं, अपने घरेलू उपभोग के लिए भी अपना अनाज ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इससे ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा बन जाती है कि भारी कर दिये जाने के बावजूद भी जो लाभ हमें होता है वह न होने के बराबर है।

पिछले पचास या साठ वर्षों में प्रशासन का ध्यान मुख्यत: शिक्षा की ओर रहा है। हमारे राज्य में कुल आय का एक-तिहाई भाग शिक्षा पर व्यय किया जाता है और 81 प्रति त बच्चे स्कूल जाते हैं। इस कारण इस राज्य को वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं। प्रशासनिक कर्मचारी अनुभव करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते की तुलना में राज्य के प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में बहुत असमानता है। सरकारी कर्मचारी यह अनुभव करते हैं कि वे केवल द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। आर्थिक सुरक्षा की कमी के कारण लोगों ने एक प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण बना लिया है। इसी निराशा के कारण केरल के लोगों ने पिछले चुनाव के दौरान अपने मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था।

उन्हें किसी विशेष दल में रुचि नहीं है। वे अपनी कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं और उन्हें राज्य मंत्रालय के वह लाभ सुनिश्चित कराने की समर्थता का विश्वास नहीं है जिसका कि राज्य अधिकारी है। इन परिस्थितियों में उन्होंने किसी एक दल को मत द्वारा शक्ति प्रदान नहीं की। सभा या सरकार ने राज्य की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। विद्युत परियोजनायें भी, जो किसी राज्य के औद्योगीकरण की आरम्भिक आवश्यकतायें हैं, कई वर्षों से लटक रही हैं। इसका कारण यह है कि वहां कोई उत्पादन नहीं हैं, कोई बचत नहीं है और कोई पूंजी निर्माण नहीं है। जब तक देश में पूंजी निर्माण नहीं होगा, धन इकट्ठा नहीं किया जा सकता या ऋण नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसा कि माननीय मंत्री ने घोषणा की है, मंत्रि-मण्डल उप-समिति नियुक्त की जा चुकी है। मंत्रि-मण्डल की उप-समिति को व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्थिति का अध्ययन करना चाहिये और उस राज्य के करोड़ों लोगों की विपत्ति को कम करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे समय पर जब कि देश अपनी स्वतन्त्रता के लिए बाह्य खतरे के बारे में चिन्तित है, लोगों को संसदीय प्रजातन्त्र की संस्था के लिए उत्पन्न आन्तरिक खतरे पर भी विचार करना चाहिये। उद्घोषणा एक ऐसे समय जारी की गई जब कि संसद का अधिवेशन हो रहा था, यह बहुत ही घृणित बात है। इसी कारण मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया है ताकि उस समय राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी न कर सकें जब कि संसद् का अधिवेशन हो रहा हो।

इस घोषणा का दूसरा पहलू यह है कि विधान सभा को बुलाने से पहले ही उसे विघटित कर दिया गया। यह पैदा होने से पहले ही गला घोंटने के समान है। यह संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

यह कहना गलत है कि मार्च के चुनावों के बाद केरल में कोई स्थिर सरकार सम्भव नहीं थी। सभी सम्भव उपाय नहीं ढूंढे गये हैं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिये तैयार नहीं है परन्तु वह संवैधानिक विरोधी दल के रूप में काम करेगी। कोई सरकार बन जाने से पहले और विधान मण्डल के सामने जाकर अपनी नीतियां और विधेयक आदि पेश करने से पहले वे यह कैसे मान सकते हैं कि कांग्रेस नये मंत्रिमण्डल की नीतियों का समर्थन नहीं कर सकेगी।

न तो मैं और न ही मेरा दल तथाकथित दक्षिणपक्षी साम्यवादियों द्वारा सरकार बनाने के पक्ष में है। क्योंकि वे चीन समर्थक हैं। यदि यह बात है तो सरकार को उन पर वाद चलाना चाहिये

[श्री हरि विष्णु कामत]

था और इस दल को अवैध घोषित करके केरल में निर्वाचन में भाग लेने से रोक देना चाहिये था। सरकार ने चीन के सम्बन्ध में क्या किया है। उन्होंने स्वयं चीन समर्थक आन्दोलन को बढ़ावा दिया है। उनमें यह साहस नहीं है कि पेकिंग से सम्बन्ध तोड़ दें या भारत में चीनी दूतावास के कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबन्ध लगायें। हमारा दल राष्ट्र को आरम्भ से ही चीनी आक्रमण के बारे में चेतावनी देता रहा है परन्तु सरकार इस सारे मामले में आनाकानी करती रही है ।

विधान सभा के 29 सदस्य कारागार में डाल दिये गये हैं और उन्हें चुन व लड़ने से रोक दिया गया है। अब विधान सभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या 133 की बजाय केवल 104 थी। इसलिए 53 सदस्यों का कोई भी दल एक ऐसा मन्त्रिमण्डल बना सकता है जो काफी समय तक चल सके। जब 1954 में केवल 19 सदस्यों का एक दल लगभग एक वर्ष तक सरकार चला सकता है तो इससे बहुत अधिक संख्या में सदस्यों द्वारा बनाई गई मिली-जुली सरकार भी अब शासन चला सकती है। सरकार का यह कहना कोरा-झूठ है कि किसी भी चिर-स्थित सरकार के गठन की कोई सम्भावना नहीं है। इस प्रकार सरकार ने संसदीय प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों का त्याग करके संविधान को रद्द कर दिया है और राष्ट्रपति ने केरल की सरकार अपने हाथ में ले ली है।

यहविचित्र बात है कि श्री अ० प्र० जैन की नियुक्ति केरल के राज्य पाल के रूप में कई सप्ताह पहले हुई थी परन्तु उन्होंने तब तक केरल जाने से इन्कार किया जब तक कि सरकार राष्ट्रपति ने अपने हाथ में नहीं ले ली। सत्तारूढ़ दल ने ऐसे मनोवैज्ञानिक समय पर अपना एक सदस्य भेजकर जनता के संसदीय लोकतंत्र में विश्वास पर कठोर आघात किया है, सरकार का यह कदम संसदीय प्रजातंत्र के कफन में पहली कील सिद्ध होगा ।

सलाहकार समिति में कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत नहीं होना चाहिये क्योंकि केरल की राज्य विधान सभा में कांग्रेस को बहुत बहुमत प्राप्त नहीं था। जहां तक संभव हो इस सलाहकार समिति का स्वरूप भी विघटन विधान सभा के स्वरूप के समान होना चाहिये। यह समिति अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत की जायेगी और मैं जानता हूं कि अध्यक्ष महोदय तथा राज्य-सभा के सभापति पर निस्सन्देह ही सत्तारूढ़ दल के सुझावों का प्रभाव नहीं पड़ेगा । आप इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि कोई भी संसद अथवा विधान सभा तब तक गठित नहीं मानी जा सकती जब तक इसे सरकार द्वारा बुलाया न जाये तथा विभिन्न दलों को मिल कर बैठने का अवसर न दिया जाये और पहला मंत्रालय विधान सभा से मत न प्राप्त करे। ऐसी कोई बात नहीं की गई है । यदि विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाता तो मध्य प्रदेश की भांति मंत्रिमंडल बनाया जा सकता था । यह उद्घोषणा संविधान के साथ धोखा है और मैं इसका पूरी शक्ति से विरोध करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर): यदि शासक दल संविधान का विधान द्वारा शासन चलाये जाने का जरा भी आदर करता होता तो वह केरल के बारे में इस प्रकार का व्यवहार न करता । जैसा कि उस ने किया है । इस उद्घोषणा के बाद पश्चिमी बंगाल के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा था कि सरकार की यह कार्यवाही एक ऐसे शिशु की हत्या है जिसका कि अभी जन्म नहीं हुआ । समस्त देश में जनता के प्रगतिशील लोकतंत्रीय वर्गों ने सरकार द्वारा केरल राज्य में सब से बड़े दल अर्थात् साम्यवादी दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण दिये

बिना तथा सामान्य संवैधानिक कार्यप्रणाली चलते रहने की आज्ञा दिये बिना राष्ट्रपति का शासन लागू करने का विरोध किया है ।

श्री नम्बूद्रिपाद ने राज्यपाल को तथा उपराष्ट्रपति को बताया था कि उन्हें विश्वास है कि केरल राज्य में निर्वाचित सरकार बन सकती है । तब भारत सरकार यह कैसे कह सकती है कि चिर-स्थायी सरकार बनाने के सभी सम्भव उपाय किये गये हैं । यह कहना सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के समान है । न केवल श्री निम्बूद्रिपाद सरकार बनाना चाहते थे बल्कि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा था कि यदि दूसरों की सहायता से उन के दल के लिए सरकार बनाना सम्भव न हुआ तो उन्हें प्रजा समाजवादी दल को दूसरे गैर-कांग्रेसियों तथा लोकतंत्रीय विधान सभा के सदस्यों की सहायता से सरकार बना सकने पर कोई आपत्ति नहीं है । प्रजासमाजवादी दल को भी यह अवसर नहीं दिया गया ।

श्री अ० क० गोपालन, श्री राम मूर्ति तथा श्री वसवापुन्नया ने एक पत्र लिखा था जिस में गृह-कार्य मंत्री के वामपक्षी साम्यवादियों पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया गया था । नन्दाजी ने यह वक्तव्य सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा ?

सरकार के पास यह सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है कि चीन साम्यवादी दल को धन दे रहा है । यह कोरा झूठ है । हम बैंक आफ चाइना के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट चाहते हैं। नन्दा जी के मित्रों ने बैंक आफ चाइना से धन लिया है । अन्य कई आरोप भी लगाये गये हैं परन्तु सरकार के पास इतना उत्साह नहीं है कि वह एक भी मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर सके ।

श्री गोपालन ने मांग की है कि कम से कम हमारा वक्तव्य संसद् सदस्यों में परिचालित किया जाये । साम्यवादी दल की निन्दा करने में अन्य दलों ने भी श्री नन्दा का साथ दिया है । इस के बावजूद भी साम्यवादी दल केरल के चुनाव में सब से बड़े दल के रूप में सफल हुआ है । इन शब्दों के साथ मैं गृह-कार्य मंत्री के प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध करता हूं ।

श्री केप्पन (भवातुपुज़ा): इस देश में बामपक्षी साम्यवादी क्या कर रहे हैं । वह हर प्रकार की राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों में भाग लेते रहे हैं । मैं गृह-कार्य मंत्री को साहसपूर्ण कार्यवाही के लिए बधाई देता हूं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सारा देश उन के पीछे है और आने वाली पीढ़ियां इस देश में प्रजातंत्र के बचाव के कारण उनकी प्रशंसा करेंगी ।

केरल में सितम्बर, 1964 में शंकर मंत्रालय के असफल होने पर केन्द्रीय सरकार ने सीधे ही वहां राष्ट्रपति का शासन स्थापित नहीं किया । इस के विपरीत, राज्यपाल ने सभी प्रयत्न किये । जब चुनावों के बाद न केवल किसी दल ने बहुमत नहीं प्राप्त प्राप्त किया बल्कि दो या तीन दल मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते थे । कोई और विकल्प नहीं था । राज्यपाल ने लोक प्रिय सरकार बनाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये । यह असम्भव देख कर राज्यपाल ने प्रतिवेदन दिया कि राष्ट्रपति प्रशासन अपने हाथ में ले लें ।

[श्री केप्पन]

राज्य के सभी ठीक प्रकार सोचने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रपति के शासन अपने हाथ में लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था । हम जानते हैं कि जब तक संविधान है, उस पर चलने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है कि यह संविधान से धोखा है । संविधान की धारा 356 बिल्कुल स्पष्ट है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार विधान सभा का गठन राजपत्र में इसकी सूचना प्रकाशित होते ही स्वत: हो जाता है । जहां तक केरल की जनता का संबंध है, उनका शासन किस के हाथ में है इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है, उन्हें चिन्ता तो रोजगार, अधिक उद्योगों, अच्छा भोजन, कपड़ा, तथा आवास आदि की है ।

श्री रंगा तथा श्री हीरेन मुकर्जी का यह तर्क कि क्योंकि कांग्रेस को केवल 36 स्थान प्राप्त हुए हैं इसलिये उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये बिल्कुल असंगत है और यदि इसे मान भी लिया जाए तो पहले उन्हें स्वयं त्यागपत्र देना होगा क्योंकि उन के दल की स्थिति तो बिल्कुल खराब है ।

मुझे खुशी है कि केरल संबंधी एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है और मेरा विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार केरल के हितों तथा उसकी समस्याओं की देखभाल करेगी ।

Shri Madhu Limaye (**Monghyr**) : I am sorry to say that the use of Article 356 twice in Keral betrays the power-lust of the Government and the conditions there, though perfectly normal, were created to precipitate into an artificial crisis This is gross abuse of the Constitution.

Article 172 clearly provides that the Vidhan Sabha can be dissolved by the Governor anytime between its first sitting till its tenure which will be five years commending from its first sitting. But the Vidhan Sabha was never allowed to hold any sitting but was dissolved Thus this action of the Government is unconstitutional and the Congress is guilty of stifling democratic rule in the State. Before the elections in Kerala, almost all the Central leaders went there and threatened the electorates not to vote for Communists and that even if the Communists got a majority of seats in the State Legislature, they will not be allowed to form a Government in Kerala. What is more, prominent Communists were put behind the bar before elections. Inspite of all this, the Congress lost the elections.

The S.S.P. put up some very constructive proposals to the Governor, but none of these were agreed to and Presidents rule was clamped on Kerala. In my opinion the Central Government should ask the President to submit this issue to the Supreme Court for their opinion.

The State Legislature should not be dissolved as is being done in the case of Corporations Panchayats etc. The Central Government might take whatever legal action it likes, but they should not be allowed to dissolve them.

The Congress is responsible for setting up many undemocratic conventions. They have tried to disband and stifle any opposition party who could

muster enough sttength to form Government in a State Will the Government clamp President's Rule in all those States where the Congress will not be able to form Government ?

I would suggest, that in the interests of healthy democracy the Government might well adopt the procedure laid down in the 4th Republic of France and give a chance tc all parties who claim majority and allow them to function as long as they enjoy the majority of the Assembly.

I, therefore oppose this unconstitutional Resolution before the House.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं केरल के राजनैतिक इतिहास को पिछले तीस वर्षों से जानता हूं और जो साम्यवादी जेलों में बन्द हैं उन्होंने मुझ से , आप से और अन्य व्यक्तियों से कहीं अधिक राष्ट्र की सेवा की है । मैं यह नहीं मानता कि सभी राष्ट्र-द्रोही हैं। कम से कम कुछ बड़े नेता सच्चे राष्ट्रवादी हैं। और यदि वह जेल से बाहर होते तो अपने अनुयायियों को कभी भी देश के हितों के विरुद्ध नहीं जाने देते ।

यद्यपि इस दल के सब से अधिक व्यक्ति चुने गये थे, परन्तु उसको सरकार बनाने का कोई अवसर नहीं दिया गया । यह सब एक पूर्व चिन्तित योजना के अनुसार किया गया था । जैसा कि मुझे मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों से पता चला जो केरल राज्य में चले गये थे ।

केरल राज्य में राष्ट्रपति का शासन भी दिन प्रति दिन बिगड़ता जा रहा है । बाहर से जो अधिकारी आ रहे हैं, वे इस राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं रखते ।

सभी राजनैतिक दल और सभी प्रकार के व्यक्ति त्रिवेन्द्रम के हवाई अड्डे का विकास चाहते है जिससे कि नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर से सीधे विमान यहां उत्तर सकें । इस हवाई अड्डे के पास आई. टी. आई. का एक दुमंजला भवन बनने दिया गया है जो हवाई अड्डे के विकास में बहुत बड़ी रुकावट है । जब हमने इसका विरोध किया तो मुख्य सचिव ने उत्तर दिया कि जब हवाई अड्डे का विस्तार होगा तो हम इस भवन को गिरा देंगे । इस रवैये से क्या आप आशा करते हैं कि कांग्रेस कभी केरल में सत्ता प्राप्त कर सकेगी । श्री अ० प्र० जैन, जिनको केरल राज्य में कांग्रेस को पुनः सत्तारूढ़ करने का कार्य सौंपा गया है, इसे बहुत कठिन पायेंगे । यद्यपि केरल राज्य में जल प्रपातों का अधिक्य है, फिर यहां बिजली का सबसे कम उत्पादन होता है । केरल राज्य के औद्योगीकरण की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे यहां एक भी उद्योग नहीं है । पहली पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के लिये केवल 79 लाख रुपये दिये गये थे जब कि देश के अन्य भागों में छोटे छोटे कार्यों के लिए करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं ।

आपने जो यह आश्वासन दिया है कि सलाहकार समिति का विस्तार किया जायेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह सलाहकार समिति है और इसकी सलाह को पूर्ण रूप से रद्द किया जा सकता है ।

[श्री. नी० श्रीकाण्तन नायर]

(श्री तिरुमल राव पीठ सीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*)

विधेयक में जो यह लिखा हुआ है कि ". . . . . यदि राष्ट्रपति के लिए असुविधाजनक न हुआ . . ." बिल्कुल अर्थहीन है। मंत्रिमंडल की उपसमिति ने भी केरल राज्य के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परन्तु अब हमें धोखा देना इतना आसान नहीं है। कोई चार मास पूर्व बाहर से आये अधिकारियों ने केरल राज्य में बिजली के विकास के लिए योजना बनाई जिसके लिये 15 करोड़ रुपये की पूंजी की मंजूरी दी गई और 1½ करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी गई है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसे रद्द कर दिया और सभी सिंचाई की योजनायें ठप्प हो गई हैं।

केरल राज्य में उन वस्तुओं के लिए भी सिंचाई की सुविधा नहीं है जिनसे भारत को कुल विदेशी मुद्रा का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। इस राज्य में जल के प्रचुर संसाधन होने के बावजूद, सिंचाई की योजनायें नहीं बनाई जा रही हैं। यदि सरकार वास्तव में और सच्चे दिल से केरल राज्य का विकास चाहती है तो उसे रेलवे, उद्योगों और बिजली के मामले में केरल की जनसंख्या के अनुपात में उसे आर्थिक सहायता देनी चाहिये। और तभी आप हमें राष्ट्रवादी बनने के लिए कह सकते हैं। यदि आप हमें हमारा उचित भाग नहीं देंगे तो साधारण जनता चीन ही अच्छा समझेगी जहां लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाता।

मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति का शासन यथा-सम्भव शीघ्र समाप्त कर दिया जायेगा और राज्य में लोकप्रिय सरकार को लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री कोया (कोजीकोड़) : हिन्दु पुराणों में एक कहानी है कि कंस ने अपनी बहन के सभी पुत्रों की हत्या कर दी क्योंकि उसे डर था कि उनमें से कोई उसकी हत्या न कर दे। इसी प्रकार श्री नन्दा भी लोकतन्त्र के कंस हैं। और जो कुछ कांग्रेस ने केरल में किया है उससे उसे वहां दोबारा सत्ता प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिये।

श्री केप्पस ने अभी कहा कि केरल राज्य में मुस्लिम लीग दल प्रायः समाप्त हो गया है; परन्तु मैं उनको यह बतादूं कि हमने केवल एक ही सीट खोई थी जोकि पिछले चुनावों में हमने स्वतन्त्र रूप से जीती थी। वास्तव में मेरी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी केरल में समाप्त हो गई है।

जैसे ही केरल राज्य के चुनावों के परिणाम घोषित हुए, वहां के हारे हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य किसी सरकार के योग्य नहीं है और केन्द्र ने इसे सच करके दिखा दिया। मैं कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं के भाषणों से उद्धरण दे सकता हूं। डा० हरि कृष्ण महताब जो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं और कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता हैं, उन्होंने कांग्रेस दल के सदस्यों को एक टिप्पण जारी किया, जो इस प्रकार है :

"केरल के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया है उसका विश्व के किसी भी भाग में कोई पूर्वोधारण नहीं है और यह संसदीय लोकतन्त्र के विरुद्ध है। राज्यपाल को तो केवल

सभी दलों से यह पूछना चाहिये था कि वे सरकार बना सकते हैं कि नहीं और यदि कोई दल आगे आता तो इसे सरकार बनाने की स्वीकृति मिल जानी चाहिये थी। यदि सरकार बनाने के मामले में राज्यपाल का व्यक्तिगत निर्णय ही अन्तिम होगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिये।"

यह उद्धरण हिन्दुस्तान टाईम्स दिनांक 26 मार्च, 1965 से है।

श्री श्रीप्रकाश ने फ्री प्रेस जरनल दिनांक 7 फरवरी में एक लेख में यह लिखा :

"हमारे संविधान में राज्य सरकारों का राजनैतिक स्वरूप केन्द्र से भिन्न हो सकता है, परन्तु यदि केन्द्र दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा।"

श्री खाण्डिलकर ने भी 26 मार्च, को कहा था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा ने संविधान का उल्लंघन किया है। इस सम्बन्ध में मैं 27 मार्च, के हिन्दुस्तान टाईम्स की रिपोर्ट से उद्धरण देना चाहता हूं

"उन्होंने सरकार के इस दावे को नहीं माना कि सरकार बनाने के सभी सम्भव उपाय समाप्त हो गये थे क्योंकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 366 के अन्तर्गत अल्प संख्यक दल को सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। इनका यह विचार था कि साम्यवाद समाप्त करने का तरीका उचित नहीं है क्योंकि इससे देश के लोकतन्त्र को हानि पहुंचेगी।"

हमसे यह भी पूछा गया था कि जब राज्य विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के उपरान्त राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ था तो हमने उसका विरोध क्यों नहीं किया। परन्तु उस समय हमने इसका इसलिये विरोध नहीं किया था क्योंकि और कोई दल सरकार नहीं बना सकता था।

पिछली सरकार कांग्रेस, मुस्लिम लीग और प्रजा सोशिलस्ट पार्टी के संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर बनी थी और जैसे ही मुस्लिम लीग और प्रजा सोशिलस्ट पार्टी ने अपना समर्थन हटा लिया था तो कांग्रेस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये था, परन्तु उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको आशा थी कि विद्रोही कांग्रेस सदस्य उनका समर्थन करेंगे। यह सत्ता तथा अधिकार के लिए उनके लालच का सूचक था। जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इन्होंने आइवर जेनिंग्स की किताब देखी जिससे कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके कि अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के उपरान्त भी वह शासन जारी रख सकें।

सभापति महोदय : दो मिनट का समय और है। आप भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री कोया : कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया था कि यदि कोई सरकार बनी तो वह उसको अपना सहयोग देगी यदि यह सरकार उसके विरुद्ध न हुई, कम से कम वह उस सरकार का विरोध नहीं करेगी। उन्होंने साम्यवादियों का इसलिये समर्थन नहीं किया क्योंकि वह वामपंथी साम्यवादियों के विरुद्ध हैं। उनका वास्तविक ध्येय तो यह था कि यदि हम सरकार नहीं बना सकते तो कोई भी सरकार न बनाये।

[श्री कोया]

इस सभा के एक माननीय सदस्य को केरल का राज्यपाल बना कर भेजा गया। मैं इसके भी बिरुद्ध हूं क्योंकि सरकार जब भी चाहती है तो किसी को भी राज्यपाल बना देती है और उप-चुनाव करा देती है । इससे सरकारी धन मुफ्त में बरबाद होता है। जहां तक बामपंथी साम्यवादियों का सम्बन्ध है सरकार ने आरम्भ में यह नहीं कहा था कि यदि यह लोग चुने गये तो उनको छोड़ा नहीं जायेगा ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : यद्यपि केरल के निर्वाचनों में जनता का अधिमत स्पष्ट था, फिर भी विधान मंडल का सम्मेलन नहीं होने दिया गया। अनुच्छेद 172 (1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का प्रत्येक विधान मंडल पहली बैठक के उपरान्त पांच वर्ष तक जारी रहेगी .. अर्थात् विधान मंडल का गठन तब होता है जब कि उसकी बैठक हो जाय। राष्ट्रपति ने आपात स्थिति के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की थी, परन्तु मेरे विचार में ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी। केरल की तरह कांग्रेस का जोर अन्य राज्यों में भी कम हो रहा है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस के सदस्य श्री सन्थानम ने 9 मार्च, 1965 के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह कहा :

"यद्यपि यह एक अरुचिकर तथ्य है, फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस टिकट का अब वह प्रभाव नहीं रहा जो गांधी जी अथवा नेहरू जी के नाम से पहले होता था। अब कांग्रेस को साधारण राजनैतिक दल के समान कार्य करना पड़ेगा और इसका प्रभाव इसके नेतृत्व में लोगों के विश्वास तथा उम्मीदवारों के चरित्र के अनुपात में होगा।" सरकार वहां इस निश्चय पर किस प्रकार पहुंचे कि कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता।

केरल के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि जेलों में भी बन्द हैं। यदि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है, तो क्यों नहीं इन पर न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाता? 1935 में जब श्री शरत चन्द्र बोस पश्चिम बंगाल से चुन गये थे तो वह जेल में बन्द थे। उस समय दल ने उनको बन्दी रखने का विरोध किया और विधान मंडल में इसके विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। उस समय श्री भुलाभाई देसाई ने यह भाषण दिया :

"जिस प्रकार सरकार द्वारा इस मांग का विरोध किया जा रहा है उससे पता चलता है कि उस देश के शासकों और जनता में लगातार शत्रुता है। ऐसी कठिनाइयां किसी और देश में नहीं उठ सकतीं। किसी भी देश में ऐसी मांग का इस प्रकार विरोध नहीं किया जाता और यह विरोध आपके हौसले का नहीं बल्कि आत्म-अविश्वास की निशानी है।"

जो स्थिति 1935 में थी वही स्थिति अब भी है। मैं बामपंथी साम्यवादियों की ओर से नहीं बोलना चाहता, परन्तु सरकार को देश को बताना चाहिये कि उन लोगों ने क्या कसूर किया है। यदि उन्होंने कुछ किया है तो उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिये। लोकतन्त्रात्मक विरोधी तत्वों का विरोध करते करते कहीं सरकार स्वयं लोकतन्त्र-विरोधी न हो जाय। लण्डन शहर में इस प्रकार का मनोरंजक किस्सा है। लण्डन में एक सिपाही एक नंगे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था, परन्तु भारी जूतों और कपड़ों को पहने हुए के

कारण वह उसको नहीं पकड़ सका । अतः उसने भी अपने कपड़े और जूते उतार दिये और उस नंगे व्यक्ति का पीछा करते-करते उसे पकड़ लिया; परन्तु अब लोग यह नहीं पहचान सके कि सिपाही कौन है और दोषी कौन है । यही स्थिति हमारी सरकार की भी है । यह उद्घोषणा भी लोकतन्त्र के विरुद्ध है । केरल के लोगों के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों को दबाना अनुचित है ।

सभापति महोदय : समय बढ़ा दिया गया है और अब मैं उनको बुलाऊंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इससभा में यह प्रथा रही है कि पहले हर सभी दलों के एक-एक सदस्य को बुला लिया जाता है तथा तब दूसरी बारी में दूसरे सदस्यों को अवसर दिया जाता है ।

सभापति महोदय : मैं इसे मानता हूं । परन्तु इस तरह से तो पूर्ण समय विरोधी दलों को ही दे दिया जाएगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** Mr. Chairman, Sir, when none from our group has been called, then how the second man of another group can be called ?

श्री हरि विष्णु कामत : प्रत्येक दल को अवसर मिलना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) **:** You should call, the Members Sir, partywise. When two or three Members from one party can be called why even one Member from our party can't be called ?

श्री वारियर (त्रिचूर) : केरल में जो यह गड़बड़ हो रही है इसका उत्तरदायित्व सरकार और विशेषकर सत्तारूढ़ दल पर है । जब से ही यह राज्य बना है सरकार ने सत्ता में रहने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की है । यहां तक कि उन्होंने कई बार संविधान के विरुद्ध भी कार्य किया है । और अब सारा दोष केरल के लोगों पर थोपा जा रहा है कि वे अनपढ़ हैं और राजनीति को नहीं समझते हैं । कांग्रेस की सभी गलतियों के लिये देश के सब से अधिक पढ़े लिखे तथा समझदार लोगों को दोष दिया जा रहा है । अब हम सरकार की बात को माने या लोगों की ? परन्तु यह सरकार तो लोगों की बात को मानेगी नहीं । इसलिये इस पर निर्णय वहां की जनता ही करेगी । वे लोग पढ़े लिखे होते हैं और सरकार की प्रत्येक चीज को समझते हैं ।

वह तो जो होना था हो गया परन्तु अब सरकार ने विधान सभा का अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया है । जनता के प्रतिनिधियों को सभा में आकर निर्णय करने देने की अनुमति दी जानी चाहिये थी परन्तु इस बार कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको पता था कि वह मंत्रिमंडल नहीं बना पाएगी । उनमें इतना उत्साह तो है नहीं कि वह दूसरों को मंत्रिमंडल बनाने के लिये कहे ।

सभापति महोदय, श्री केप्पन तो वहां पर ऐसे बैठ रहे हैं जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है । वह यहां पर प्रतिनिधिमण्डल के साथ राष्ट्रपति को मिलने आये थे । विद्रोही कांग्रेस के पीछे उनका ही तो हाथ था ।

[श्री वारियर]

यह सरकार कहती है कि ये जो लोग चुन कर आये हैं वे देशद्रोही हैं। परन्तु यदि वे देशद्रोही हैं तो उनके विरुद्ध अभी तक कोई भी मामला न्यायालय में क्यों नहीं ले जाया गया है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वह तो लोगों से अधिक बातें छुपाती है और उनको कुछ बताती नहीं। अब उसे उस का परिणाम भुगतना पड़ेगा। राज्यों में ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अगले सामान्य चुनावों तक निर्वाचित सदस्यों के नेताओं को बुलाया जाना चाहिये ताकि वह सरकार को मंत्रणा दे सकें तथा समूचे शासन को अफसरशाही को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

सरकार को मंत्रणा समिति के गठन संबधी खंड में संशोधन करना चाहिये। इससे कोई लाभ नहीं होता है जबकि थोड़े ही समय में विधान पर हमें अपनी अनुमति देने के लिये कहा जाता है। इसलिये विधान-कार्य की समीक्षा के लिये मंत्रणा समिति को अधिक समय दिया जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि राज्य की दैनिक समस्यायें लोगों के अपने प्रतिनिधियों द्वारा हल की जायें। उन समस्याओं को समिति के सामने लाया जाना चाहिये ताकि समिति उन पर अपनी मंत्रणा दे सके।

यह दुर्भाग्य की बात है कि जब पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं तो केरल में लोगों का कोई सरकार नहीं है। मुझे सन्देह है यदि चौथी योजना अवधि में भी प्रतिनिधि सरकार योजना में कुछ सुझाव दे पायेगी। अन्त में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रशासन को यथा-सम्भव लोकतन्त्रात्मक बनाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय: चर्चा 5–30 बजे तक चलेगी। माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for having given me an opportunity to speak though late.

Our policy to introduce President's rule in Kerala has set back the democracy in our country.

The results of elections in Kerala have been very disappointing for the Government. But if you reject the elections and do not take the representatives of the people in Government then it will not be good for democracy. In case President's rule is introduced, then the people would like to know the facilities that have been afforded to them during that period. But you encouraged communalism there. You always tried to form a coalition Government. Had some facilities been given to them the people of that State then must have supported you.

In case President's rule will be introduced at places other than Kerala then the position of Congress will be very much lowered. I think that during the next elections Congress is likely to lose in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and also in Rajasthan. So, I would like to know at how many places the President's rule will be introduced.

Supposing you have rejected elections in Kerala, in that case new elections should have taken place there. But that was not so.

I think a Committee is going to be appointed. But what is the use of this Committee. More than half the Members will be from the Congress Party. The power will be in the hands of the President ; then what will this consultative Committee do ? The powers of the Committee, therefore, should be increased manifold.

The Government had not given facilities to the people of Kerala and now they wanted to get support from them. How was it possible ?

It cannot be said that it was not possible to form a government there. Had some efforts been made it would have been possible to form a Government or a composite Government.

Now when the President's rule will be introduced in Kerala, I think the President and the Government will prove that they have uppermost in their heart the interest of the people of that State. In case Government adopts the policy of introducing President's rule where they do not come in majority then this thing can prevail in every State. At present the best course before the Government is to have new elections in Kerala.

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

मैं केरल से आता हूं और मुझे पता है कि इस सभा के बहुत से सदस्यों को उस राज्य की बहुत सी समस्याओं का पता है तथा वे चाहते हैं कि वहां पर लोकतन्त्र की रक्षा की जाये। यदि हमारी ओर से बहुत से सदस्य वाद-विवाद में भाग नहीं ले सके हैं तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उनकी इस में रुचि नहीं थी। क्योंकि उनको बोलने का समय नहीं मिला इस लिये वे बोल नहीं पाए।

मैं इस संकल्प का इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि संविधान के अधीन सरकार के लिये इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। मेरे विचार से इस सभा का कोई भी दल चुनावों के परिणामों से सन्तुष्ट नहीं हुआ है। इस बात को सभी मानेंगे कि चुनावों के परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहे हैं। चाहें दलों में कितना ही असन्तोष क्यों न हो परन्तु इन परिस्थितियों में यह कहना कि सारा उत्तरदायित्व कांग्रेस दल तथा भारत सरकार पर है मेरे विचार से ठीक नहीं है। लोकतन्त्रात्मक देशों में मतदाताओं को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। वे जिस को चाहें अपना मत दे सकते हैं।

मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्यों के मन में यह होगा कि संविधान को ऐसी परिस्थितियों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये बनाया जाना चाहिये था। इस सभा में कई बार कहा जा चुका है कि लोकतन्त्र के संबंध में अनुभव किये जाने चाहिये थे। परन्तु इस ओर से इस सुझाव को मानने से किसी ने इन्कार नहीं किया है। मेरे माननीय मित्र आचार्य रंगा ने कहा था कि कांग्रेस को इस बारे में अनुभव करना चाहिये था। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस इसका अनुभव नहीं कर रही है तो फिर कौन कर रहा है। कई बार चुनाव हो चुके हैं। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र का इस से तात्पर्य यह था कि कांग्रेस को नया तरीका निकालना चाहिये। परन्तु यदि किसी नय तरीके को निकालना है तो उसको संविधान में लाना चाहिये। इसके लिये

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

फिर हमें संविधान में संशोधन करना चाहिये। परन्तु हम ने कभी नहीं कहा है कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिये। जब तक संशोधन नहीं होता है तब तक हमें वर्तमान संविधान के अनुसार ही चलना होगा। इस लिये यह कहना कि इसका उत्तरदायित्व सरकार या कांग्रेस पर है ठीक नहीं है।

तब मेरे माननीय मित्र श्री रंगा ने कहा था कि चूंकि सत्तारूढ़ दल केरल में बहुमत प्राप्त न कर सका इसलिये यह संकल्प लाया गया है। परन्तु मेरे विचार से वह इतिहास को भूल गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पहली बार है जबकि सत्तारूढ़ दल केरल में बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। इसले पहले भी कई बार ऐसे अवसर आये हैं। तब क्या हुआ। क्या इससे पहले केरल में अन्य दलों को सरकार बनाने नहीं दी गई थी। क्या इससे पहले ऐसे अवसर नहीं आए थे जबकि कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी और क्या ऐसे सभी अवसरों पर कांग्रेस इस सभा में यह संकल्प लाई थी कि राष्ट्रपति का शासन वहां पर होना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र आचार्य रंगा ने संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुये कहा था कि स्विटजरलैंड की तरह की समिति प्रकार की सरकार पर विचार किया जाना चाहिये। मुझे पक्का पता नहीं है कि उनका इस से तात्पर्य सभी राज्यों में इस तरह की सरकार बनाने का था या कि केवल ऐसे राज्यों में ही जहां बहुमत न मिल सके? परन्तु जहां तक मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलती पर हूं, उनका इससे तात्पर्य सभी राज्यों में ऐसी सरकार बनाने का था। मेरी समझ में यह नहीं आया कि वह ऐसी सरकार के पक्ष में क्यों थे—क्या वह इसलिये थे क्योंकि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस बहुतम प्राप्त न कर सकी या इसलिये क्योंकि विरोधी दल बहुमत प्राप्त न कर सके? क्या वह इसलिये पक्ष में नहीं थे क्योंकि विरोधी दल अक्षम होने के कारण संविधान से रियायतें चाहते हैं? हो सकता है कि विरोधी दलों ने सोचा हो कि वर्तमान संविधान के अनुसार मतदाता उनको पसन्द न करते हों इसलिये यदि समिति प्रकार की सरकार बनाई गई तो सरकार में उनकी कुछ तो आवाज होगी ही।

श्री रंगा ने कहा था कि स्वायत्त शासन अच्छे शासन की तुलना में अच्छा होता है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम स्वतन्त्रता संग्राम से पूर्व कहा करते थे कि हम स्वायत्त शासन चाहते हैं न कि अच्छा शासन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इस के विपरीत कर रही है। वह कह रही है कि अच्छी सरकार अपनी सरकार से अच्छी होती है। मेरे विचार से यह बिल्कुल असत्य वक्तव्य दिया गया है। कांग्रेस में से किस ने ऐसा कहा था? मेरे विचार से तो किसी ने एसा नहीं कहा था। हम तो अपनी सरकार में विश्वास रखते हैं। यदि केरल में चुनाव न हुये होते तो फिर ऐसा कहा भी जा सकता था कि अपनी सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा अवसर दिया गया था। यह तो उनका अपना अधिकार था जो उनको दिया गया और उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने भी थे। परन्तु उससे कोई परिणाम न निकला क्योंकि कोई सरकार न बन सकी। इसलिये स्वच्छा अच्छी सरकार और अपनी सरकार में न थी बल्कि सरकार अथवा सरकार-हीनता में थी।

कई सदस्यों ने कहा था कि बहुमत प्राप्त करने पर भी कांग्रेस ने दूसरे दलों को सरकार नहीं बनाने दी। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा अवसर कब आया था जबकि किसी दल

ने बहुमत प्राप्त किया हो और उनको सरकार न बनाने दी गई हो । यदि ऐसा एक भी उदाहरण दे दिया जाय तो विश्वास किया जा सकता है कि यह बात सत्य थी ।

श्वेत-पत्र का भी उल्लेख किया गया था और मैं भी इस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे पहले श्री वारियर बोले थे उन्होंने कहा था कि केरल के लोग पढ़े लिखे और समझदार होते हैं । मैं उनसे सहमत हूं, परन्तु जहां तक श्वत-पत्र का संबंध है इसके बारे में कहा गया था कि इसमें किसी को दोषी ठहराने के लिये कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है । परन्तु सरकार ने कभी यह नहीं कहा है कि श्वत-पत्र आरोप-सूची है । यह सच है कि हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ व्यक्ति एसे कामों में लगे हुये थे और यदि लगे नहीं हुये थे तो लगने वाले थे जिनसे देश की अखंडता को क्षति पहुंचाई जा सकती थी । इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था । तब ऐसा तर्क दिया जाने लगा था कि विधान मंडल के कुछ सदस्यों को जेल में रखा गया था । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इसलिये जेल में रखा गया था ताकि वे विधान सभा में कार्य न कर पायें । विरोधी दलों को यह पता होना चाहिये कि उनको जेल में चुनावों से पहले भेजा गया था ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यह बात उस समय हुई है जबकि केरल की स्थिति बहुत गम्भीर है । हमारे देश में समस्यायें तो हैं हीं । प्रत्येक राज्य में समस्यायें हैं । परन्तु केरल की समस्यायें अपनी प्रकार की ही हैं । हम केरल से निर्वाचित होकर आने वाले सदस्य ऐसा महसूस कर रहे हैं कि केरल की गम्भीर समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । तीन योजनायें बनाई हैं परन्तु क्या हुआ है । केरल के संबंध में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है । यह खेद की बात है कि जब चौथी योजना बन रही है तो उस समय भी ऐसी सरकार नहीं है जो जनता द्वारा निर्वाचित हो । इसलिये यह सभा का उत्तर-दायित्व बन जाता है कि जब यह संकल्प पारित किया जाता है तो वह केरल की समस्याओं की ओर पूरा पूरा ध्यान दे ।

केरल की समस्याओं का विशेष ध्यान रखने के लिये जो उप-समिति बनाई गई है, मैं उस का स्वागत करता हूं । मैं यह भी चाहता हूं कि सलाहकार समिति के कृत्यों को बढ़ाया जाना चाहिये । इस समिति का हमें पुराना अनुभव भी है । उससे तो यही पता चलता है कि यह ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकती है । इसलिये केरल की समस्याओं को भली प्रकार से नहीं दूर किया जा सकता है ।

मुझे आशा है कि जब तक राष्ट्रपति केरल के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होंगे तब तक वह स्वयं वहां के लोगों के हित के लिये जो कुछ सम्भव होगा करते रहेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल राज्य की समस्याओं तथा कठिनाइयों को अधिकतम महत्व दिया जाना चाहिए । आंध्र प्रदेश के लोग केरल राज्य को यथासम्भव चावल देने को तैयार हैं । चावल के उत्पादन को काफी अधिक बढ़ाने के लिए नागार्जुन सागर परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करना आवश्यक है । केरल विदेशों को गरम मसाले तथा अन्य वस्तुएं निर्यात करता है और वह खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता किन्तु आंध्र प्रदेश में सिंचाई की अधिक सुविधायें उपलब्ध करने पर उनकी समस्या हल हो सकती है ।

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

वामपक्षी साम्यवादियों के दावे के अनुसार भी उनके सदस्यों की संख्या 40 थी और वे और 23 स्थान प्राप्त कर सकते थे—तथापि वह पूर्ण बहुमत दल नहीं बन सकता था। मुस्लिम लीग ने उनका समर्थन करने से इन्कार कर दिया और वे सभी स्थानों से चुनाव भी नहीं लड़ सके ।

हमारे संविधान में विरोधी पक्ष को वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं। किन्तु जब विरोधी पक्ष स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि वे एक वैकल्पिक सरकार बना सकें, तो फिर कांग्रेस दल क्या कर सकती है ? केरल के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस दल को सरकार बनाने के लिए निर्वाचित नहीं किया गया तो वहां अराजकता फैल जायेगी।

वर्तमान स्थिति में वामपक्षी साम्यवादियों की गिरफ्तारियां न्यायोचित हैं। यह जानते हुए भी कि चुनावों के पूर्व उन्हें गिरफ्तार किये जाने पर लोगों की सहानुभूति उनके प्रति बढ़ जायेगी, गृह-कार्य मंत्री को देश की सुरक्षा को, जो खतरे में पड़ गई थी, सर्वाधिक महत्व देते हुए, बाध्य होकर उनका बन्दीकरण करना पड़ा ।

साम्यवादियों ने तेलंगाना आन्दोलन के दौरान सैकड़ों व्यक्तियों का बध किया गया था। वे हमेशा विशाल आन्ध्र तथा चीनी उद्देश्यों के समर्थक रहे हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि चीन नहीं अपितु भारत आक्रान्ता है। उनके देशद्रोही घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण 'माउत्से-तुंग' का चित्र प्रदर्शन तथा विजयवाड़ा अग्निकांड हैं। वे इधर उधर घूमकर लोगों को गोरिल्ला युद्ध कला में प्रशिक्षण देकर सरकार के खिलाफ़ तैयारी कर रहे हैं ।

साम्यवादी दल को इतना सशक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह प्रजातंत्री ढंग से सत्तारूढ़ दल का स्थान ले सके। किन्तु उनकी जड़ें स्वयं इस देश में होनी चाहिए और इस देश के लोगों में उनकी आस्था एवं विश्वास होना चाहिए। अपनी जड़ें पेकिंग अथवा मास्को में रखकर वे सफल नहीं हो सकते। साम्यवाद को केवल सशस्त्र क्रांति द्वारा ही लाना आवश्यक नहीं होता है। उन्हें जनता की इच्छा तथा उसका समर्थन प्राप्त करके सत्तारूढ़ होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

Shri Sheo Narayan (Bansi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on this occasion.

Sir, the President's rule in the State of Kerala was ended before the recent elections were held there. An ample opportunity was given to the people of Kerala to elect any party to power, but it was clear from the election results in Kerala that no party had obtained absolute majority in the Assembly. The Governor of Kerala made a clear report that no party or combination of parties was in a position to form a visible ministry. Therefore, there was no alternative for the Government but to bring the State under President's rule. There was no use putting any blame on the Government. I am sure that even opposition parties will appreciate this fact that the Government was obliged to take this course of action under force of circumstances.

The action which the Government had taken in detaining the left Communists, who had been indulging in anti-national and subversive activities and

functioning as foreign agents was perfectly justified. I would say that in fact the Government was treating them leniently. It should not show any mercy on them and put all the Communists under detention.

With these words, I support the Resolution.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र विधान सभा के लिए दो उपचुनावों में कांग्रेस की विजय से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनता का सत्तारूढ़ दल में विश्वास है। केरल में कम से कम इस समय लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस-विरोधी सभी दल कांग्रेस को पराजित करने के लिए एक साथ मिल गये थे किन्तु उनकी पराजय ही इसका परिणाम निकला। इसका आज यह नतीजा है कि वहां न तो कोई सरकार काम कर सकती है और न कोई सरकार ही वहां बन सकती है ।

प्रो० मुकर्जी ने यह शिकायत की है कि वहां विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया, किन्तु सभा का अधिवेशन तब ही बुलाया जा सकता है जब कि मंत्रालय बन जाने की संभावना हो। सरकार ने चुनावों के परिणामों के आधार पर स्पष्ट रूप से यह देख लिया कि वहां कोई भी मंत्रालय नहीं बन सकता ।

चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के लिए ऐसे इश्तहार निकाले गये जिनमें इन उम्मीदवारों द्वारा राष्ट्रपति के शासन की मांग की गई थी, और बाद में श्री पदमानाभन् ने भी यह बयान दिया था कि केरल में राष्ट्रपति का शासन ही एक मात्र उचित उपाय है ।

जहां तक स्वशासन का प्रश्न है, मैं राज्य पुनर्संगठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर यह कह सकता हूं कि स्वशासन का पता सारे भारत को सामने रखकर लग सकता है और किसी विशेष राज्य को सामने रख कर नहीं ।

कांग्रेस दल पर लगाये गये इस आरोप का कि उसने मंत्रालय नहीं बनाया, अथवा दूसरों को मंत्रालय बनाने में सहायता नहीं की या उसने पहले अन्य दलों के सहयोग से मंत्रालय नहीं बनाया, कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस ने यह आदर्श स्थापित किया है कि उसे सत्ता से कोई लगाव नहीं है।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० रंगा यहां उपस्थित नहीं हैं किन्तु उनके इस आक्षेप के--कि सत्तारूढ़ दल में बहुत से वर्ग हैं, उत्तर में मुझे यह कहना है कि अन्य दूसरे राजनैतिक दलों में भी यही दोष है। आज देश को एक सुदृढ़ विरोधी दल की आवश्यकता है। सभी सुविधायें प्राप्त होते हुए, यदि ऐसे दल का विकास नहीं हो रहा है तो इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। जब तक सुदृढ़ विरोधी दल नहीं बनता लोगों का राजनीति से विश्वास उठ जायेगा और लोग इस को महसूस करने लगे हैं कि कोई भी राजनैतिक दल, विशेषकर विरोधी दल सफल सत्तारूढ़ दल नहीं बन सकता ।

यह स्पष्ट है कि वामपक्षी साम्यवादियों की गतिविधियां आज देश के लिए खतरा बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केरल में वामपक्षी साम्यवादियों को नजरबन्द किया गया। चुनाव परिणामों का इस स्थिति पर कोई ऐसा अन्तर पड़ता कि उन्हें रिहा कर दिया जाये। वामपक्षी तथा

[श्री ओझा]

दक्षिण पक्षी साम्यवादियों में चीनी आक्रमण के बारे में तथा उसके बाद मतभेद हुआ । वामपक्षी साम्यवादियों ने कलक्त्ते में माओ-से-तुंग के चित्र का प्रदर्शन किया ।

यह तर्क पेश किया गया है कि वहां चुनावों के बाद सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया । किन्तु जब सभा को आमंत्रित किया जाना था तो उसे कुछ कार्य भी करना था लेकिन किसी सरकार की अनुपस्थिति में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । राज्यपाल का अभिभाषण सामान्यतया सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य होता है । जब वहां सरकार ही न हो तो उस स्थिति में राज्यपाल क्या करेंगे ? सरकार बनाने के निष्फल प्रयासों के पश्चात् उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता कि वह सभा को विघटित (डिसोल्व) कर दें।

श्री कामत का यह एक विचित्र सुझाव है कि विधेयक के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समिति में कांग्रेस के सदस्य न हों क्योंकि केरल में उन्हें पराजय मिली है और इसलिए इस समिति में विरोधी दल के सदस्यों का बहुमत हो । आयव्ययक तथा केरल राज्य से सम्बंधित अन्य विषय इस सभा द्वारा पारित किये जाते हैं और केरल के बारे में, सरकार सभा के सामने उत्तरदायी है। इस समिति में सभा के, कांग्रेस तथा विरोधी दोनों दलों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

वास्तविक समस्या यह है कि केरल राज्य का विकास किस प्रकार किया जाये, मुझे यकीन है कि केन्द्रीय सरकार योजना बनायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केरल में बेकारी तथा गरीबी की समस्या यथाशीघ्र हल की जाये ।

---

*बच्चों के लिए अनुपयोगी टानिक

UNFIT TONIC FOR CHILDREN

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, a number of issues viz preparation of spurious drug and its effect on children's health, hushing up of the offence by Police, Drug Inspector and the Ministry of Finance and earning of monopoly profits and foreign exchange by illegitimate means are connected with this matter which we are going to take up now. The woodwards Gripe Water Co. and their three subsidiaries viz. the T. T. Krishnamachari & Co., the Orient Pharma Co. and the Anglo Thai Corporation are connected with this matter. There is the question of 3 batches of gripe water found to be a spurious drug. The exact member in each batch is, however, not known. There may be ten thousand or fifty thousand or one lakh bottle in ecah batch and you can very well imagine, Sir, as to how these bottles might have affected the health of our innocent children. In terms of money, an amount of Rs. 2 lakhs or Rs. 5 lakhs might be involved. We can only guess since facts and figures are not before us. In reply to a question asked on 15th April, 1965, the Deputy Minister, Shri P.S. Naskar had pointed out that the matter was referred to the Madras Drug Controller sometime in Jan., 1965 to verify whether the bottles were manufactured by the original manufacturers or not. But it is pity that they have not so far been able to trace the fake-makers during a period of 2 1/2 months. It is a well-known fact that all druggists and

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

chemists have to maintain a record as to from where the medicines were purchased and to whom these were sold. It is, therefore, impossible that they have not been able to trace the offenders. As for as I think, the Government de not want to disclose their names because they want to hush up the whole matter.

The woodwards Gripe Water Co. are an English company who are the owners of this trade-mark. The drug is, however, manufactured by the Orient Pharma Co. whereas it is distributed by the T.T. Krishnamachari & Co. An interesting thing is this that another Co. known as the Anglo Thai Corporation who are actually doing nothing but they are, however, sharing the profits with the Woodwards Gripe Water Co. All these companies are themselves preparing spurious drug in order to earn more profits and also to evade income-Tax. Thus an amount of Rs. 20 lakhs or Rs. 30 lakhs or Rs. 50 lakhs is being sent to England. In this way they are earning a very large amount of foreign exchange. The Reserve Bank when asked could not give any information about the money being sent to England on behalf of the Woodwards Gripe Water Co. The Board of Direct Taxes also pointed out that :

> "The Ministry does not have information regarding sales, profits and loss or financial position of individual companies nor does the law permit the Ministry to obtain such information."

The Finance Minister should take the same action against these companies also as he would have taken in case of other companies indulging in such mal-practices. These companies being run by the sons of the Finance Minister are of the standing of Rs. 10 crores to Rs. 15 crores. An enquiry should, therefore, be held into the profits earned by the members of the family of the Finance Minister.

A number of cases of mal-practices have come to our notice. The tatas gave three trucks to the son of a Chief Minister which were, afterwards, sold by them in black market. A licence for installing a rice mill was issued to them inspite of the fact that the Central and the State Governments have taken a decision to the contrary. I would, therefore, suggest that all the properties thus illegitimately held by the sons of the Ministers should be forfeited.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछली बार मंत्री महोदय ने बताया था कि इस औषधि के तीन बैच नकली पाये गये थे परन्तु मुख्य उत्तर में यह बताया गया था कि केवल दो बैचों को पकड़ा गया है । यह समझ में नहीं आता जब तीन बैचों को नकली तथा मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाया गया था तो उनमें से राज्य अधिकारियों ने केवल दो ही बैचों को ही क्यों पकड़ा । तीसरे बैच का क्या बना, क्या यह अब भी बाजार में बिक रहा है । व्यापारियों को नकली औषधि बेचने के अपराध में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया । क्या इस बात की जांच की गई है कि क्या यह नकली औषधि एंग्लो थाई कारपोरेशन द्वारा तैयार की गई है अथवा व्यापारी लोग यह अपमिश्रण के अपराध करते रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : It is a pity that the Government have not so far been able to trace the fake-makers who have been earning lakhs of rupees in it, in spite of the fact that this spurious drug has been in circulation

[Shri Yashpal Singh]

for a long time and has been playing havoc with the health of our children. If Government can not trace out the offenders what else we can expect from it.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): Mr. Deputy-Speaker, in reply to the question raised by Dr. Lohia, I want to say that certain batches of gripe-water have found to be spurious and artificial as a result of a complaint made by M/s Anglo-Thai Corporation who are the owners of the trade-mark of Woodwards Gripe Water.

यह निगम मैसर्ज ओरिएंट फार्मा कम्पनी पराईवेट लिमिटेड के पास उपलब्ध निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं का उपभोग करता है, जिन के पास औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत पृथक रूप से उत्पादन के लिये लाइसेंस है तथा इस प्रकार औषधि तैयार करता है । मैसर्ज टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी दक्षिणी खण्ड में इस ग्राइप वाटर का वितरण करते हैं । अन्य खण्डों के लिये तीन अन्य वितरक हैं । डा० लोहिया का आरोप यह है कि शायद इन सब लोगों ने अधिक पैसा कमाने के हेतु यह नकली दवाई बनाई है । मुझे तो, यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि मालिक और निर्माता यह सब कैसे कर सकते हैं । मैं यह बता दूं कि लाइसेंस देने से पूर्व कड़ी छानबीन की जाती है, निर्माताओं को औषधि के प्रत्येक बैच का विश्लेषण विवरण रखना पड़ता है और हमारे निरीक्षक समय समय पर अकस्मात यह देखने के लिये जांच-पड़ताल करते रहते हैं कि औषधि का निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है । इस प्रकार बारम्बार जांच और सतर्कता की शर्तों के होते हुए इस बात की भी सम्भावना नहीं रह जाती कि वास्तविक लाइसेंस प्राप्त निर्माता अधिक लाभ उठाने अथवा आय-कर से बचने के हेतु नकली औषधियां बना कर बेचें । इन औषधियों का मूल्य इन के व्यापार-चिन्ह तथा इनकी लोकप्रियता पर निर्भर है । मेरे विचार में, निर्माता इस प्रकार नकली औषधियां बना कर अपनी साख को कभी भी खतरे में डालना नहीं चाहेंगे। नकली औषधियां तो उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं जो उनके वास्तविक निर्माता नहीं हैं। इस के अतिरिक्त मैं यह भी बता दूं कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति, जिसने एक वर्ष में कई लोगों, निर्माताओं, व्यापारियों तथा वैज्ञानिकों से इस बारे में पूछताछ की, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नकली औषधियों का निर्माण लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन के पास लाइसेंस नहीं हैं । इस निर्णय के प्रकाश में हमने उन औषधियों की बिक्री करना तथा उनमें व्यापार करना दण्डात्मक अपराध बना दिया है ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur); On a point of order, Sir, I had requested to the Finance Minister to be present here during this discussion because he is more concerned with this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता . . **(अन्तर्बाधाएं)**

डा० सुशीला नायर : यह बहुत ही अनुचित बात है कि वित्त मंत्री का नाम इस मामले के साथ जोड़ा जाये क्योंकि उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । इस मामले का सम्बन्ध मद्रास सरकार के औषधि नियंत्रण प्रशासन तथा कुछ सीमा तक स्वास्थ्य मंत्रालय के औषधि-

नियंत्रण प्रशासन से है । अतः इस समय हमें नकली औषधियों के मामले पर ही विचार करना चाहिये ।

मैं इस बारे में यह भी बताना चाहती हूं कि नकली औषधियों के ऐसे तीन बैच थे जिनकी शिकायत एंग्लो थाई कापोररेशन ने की थी । हमें पता है कि यह औषधि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर आदि राज्यों में बिक रही है और हमने इस सम्बन्ध में कई कदम उठाये हैं जैसे कई व्यापारियों के विरुद्ध मामले खड़े करना तथा समाचार-पत्रों में यह छपवाना कि जो कोई भी इन बैचों को देखें , तो वह इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दें ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : सरकार गरीब बच्चों के लिये हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स अथवा किसी अन्य सार्थ द्वारा सस्ता ग्राइप वाटर तैयार कराने का प्रबन्ध क्यों नहीं करती ?

डा० सुशीला नायर : जोकीम आल्वा जी ग्राईप-वाटर का एन्टीबायोटिक्स आदि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्राईप वाटर तो एक मामूली चीज है। इसमें तो बहुत साधारण चीजें होती हैं । यह औषधि तो केवल प्रचार की अधिकता के कारण लोकप्रिय हो गई है। अन्यथा यदि पानी में सौफ और अजवायन उबाल कर बच्चों को दिये जायें तो वह भी इतना ही अच्छा है और गरीब लोग ऐसा ही करते हैं । परन्तु जब कोई औषधि है तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि कोई भी नकली औषधि न बनाये और इसीलिये हमने उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है जो इनमें व्यापार करते हैं । आन्ध्र प्रदेश में, राजामंदरी, विजयवाड़ा तथा नेल्लोर के औषधि निरीक्षकों ने नकली औषधियां पकड़ी हैं और व्यापारियों के विरुद्ध अभियोग चलाये जा रहे हैं । अन्य स्थानों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है । उड़ीसा में बैच संख्या 72 एम 463 तथा 4 एम 463 की नकली औषधियों को पकड़ा गया है और नमूने परीक्षण के लिये केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता को भेजे गये हैं । सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा लोगों को इन दो बैचों तथा एक और बैच संख्या 86 एम 762, जिसका अब पता लगा है, की औषधियां न खरीदने के लिये कहा है । एंग्लो-थाई कारपोरेशन द्वारा, जो इस औषधि के व्यापार-चिन्ह के मालिक तथा इस के गुणों के नियंत्रण के लिये उत्तरदायी हैं, इन सभी बैचों का वि लेषण किया गया है । अतः यह कहना गलत है कि ऐसा थोक व्यापारियों द्वारा किया गया है । जहां तक औषधियों के मूल्यों के निर्धारण की बात है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सुनिश्चित कर लिये कार्यवाही करने में पहल की है कि औषधियों के मूल्य वही रखे जायें जो प्रथम अप्रैल, 1963 को थे । इसके अतिरिक्त हमने कुछ जीवन-रक्षक औषधियों की उत्पादन-लागत, विक्रय मूल्य तथा लाभ आदि के बारे में भी छानबीन की है । हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि औषधियों के मूल्य यथासम्भव युक्तियुक्त स्तर पर रहें ताकि आम जनता इन से लाभ उठा सके ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Let us first of all take up Pimpri Factory which is in the public sector.

डा० सुशीला नायर : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने पिम्परी कारखाने का जिक्र किया है । उन्होंने जो वहां पर कार्य किया है वह सराहनीय है । इस कारखाने की स्थापना के पूर्व पेनीसिलीन बहुत महंगी थी अब तो उसका मूल्य बहुत कम हो गया है । हालांकि उन्होंने इस की कीमत में कई बार कमी की है फिर भी लाभ प्रचुर मात्रा में हो रहा है । पिम्परी में हुए अनुभव के आधार पर हम औषधि-निर्माताओं से कह सकते हैं कि उन्हें औषधियों के मूल्य बढ़ाने का कोई हक नहीं है बल्कि यथासम्भव उन्हें कम किया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि डा० लोहिया मेरे से इस बात में सहमत होंगे कि जहां तक कली औषधियों का सम्बन्ध है, सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है और हमने निश्चय किया है कि इनको खत्म करने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : तीसरे बैच को क्यों नहीं पकड़ा गया ? इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

डा० सुशीला नायर : जहां भी निरीक्षक इसको बिकता हुआ देखते हैं, पकड़ लेते हैं। पहली बार शायद उन्हें केवल दो बैचों के ही नमूने मिले थे परन्तु बाद में उन्हें तीसरे बैच के भी नमूने मिले हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् लोक सभा 7 मई, 1965/वैशाख 17, 1887 (शक) शुक्रवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 7th May, 1965/Vaisakha 17, 1887 (Saka)